

## पहली FIRST

# अनुदानों की पूरक मांगें SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

## केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

(रेलवे को छोड़कर) (Excluding Railways)

# 2014-2015

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपित की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है) (Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

दिसम्बर December, 2014

## परिचायक टिप्पणी

विषय: अनुदानों की पूरक मांगों का पहला बैच 2014-15.

वर्ष 2014-15 की अनुपूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच में 54 अनुदान मांगे हैं। ₹ 12529.48 करोड़ के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से, निवल नकद सहित प्रस्तावों से संबंधित कुल खर्च ₹ 500.71 करोड़ है और मंत्रालयों/विभागों की बचत या बढ़ी हुई प्राप्तियों/उगाहियों के समतुल्य कुल अतिरिक्त व्यय ₹ 12027.78 करोड़ बनता है। इसके अतिरिक्त, नई सेवा या सेवा के नए उपकरण वाले मामलों में बचत के पुनर्विनियोजन के लिए व्यय की प्रत्येक मद हेतु एक लाख रुपए सहित, 99 लाख रुपए का सांकेतिक प्रावधान मांगा जा रहा है।

- 2. ₹ 500.71 करोड़ का निवल नकद प्रदान करने के प्रस्ताव से कुल अनुमानित व्यय में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा।
- निवल नकद खर्च वाले अतिरिक्त व्यय की मदें निम्नानुसार हैं :-

#### INTRODUCTORY NOTE

**Subject:** First Batch of Supplementary Demands for Grants, 2014-2015.

The first batch of Supplementary Demands for Grants for 2014-2015 includes 54 Grants. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of ₹ 12,529.48 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to ₹ 500.71 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to ₹ 12,027.78 crore. Besides, token provision of ₹ 99 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling reappropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

- 2. Proposal involving net cash outgo of ₹ 500.71 crore will not result in any significant variation in total estimated expenditure.
- 3. The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

	आयोजना	आयोजना-भिन्न	ड़ रुपए Rupees <b>जोड</b>	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	Plan	Non Plan	Total
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
33. आर्थिक कार्य विभाग	33 Department of Economic Affairs			
चुनिन्दा पूंजी वृद्धि के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम	For making payment to International			
को भुगतान करने के लिए।	Finance Corporation towards Selective			
	Capital Increase	-	0.58	0.58
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND			
	HIGHWAYS			
83. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	83 Ministry of Road Transport and			
	Highways			
राष्ट्रीय राजमार्ग के अनुरक्षण से संबंधित व्यय को	For meeting additional expenditure towards			
पूरा करने के लिए।	maintenance of National Highways	-	500.00	500.00
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT			
105.लेखन सामग्री तथा मुद्रण	105 Stationery And Printing			
न्यायालय के आदेश के कारण मेसर्स श्री कृष्णा	For meeting expenditure towards			
पेपर मिल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पक्ष में	Arbitration Award in favour of M/s. Shree			
माध्यस्थम पंचाट से संबंधित व्यय को पूरा करने के	Krishna Paper Mills and Industries Ltd. on			
लिए।	account of a Court order.	-	0.13	0.13
कुल नकद व्यय	Total Cash Outgo	-	500.71	500.71
<ol> <li>अनुदान की पूरक मांगों के बैच में ₹ 12,027.78</li> </ol>	4. This Batch of Supplementary Demands for			
करोड़ रूपये के लिए तकनीकी परक मांगों/विनियोगों से	Grants includes proposals for technical			

- 4. अनुदान की पूरक मांगो के बैच मे ₹ 12,027.78 करोड़ रूपये के लिए तकनीकी पूरक मांगों/विनियोगों से संबंधित ऐसे प्रस्ताव सम्मिलित हैं जिन्हें मंत्रालयों/विभागों की अतिरिक्त प्राप्तियों/वसूलियों या तदनुरूप बचतों से पूरा किया जाता है। ये मदें निम्नलिखित हैं:
- Grants includes proposals for technical supplementary grants/appropriations for ₹12,027.78 crore which are matched by additional receipts/recoveries or corresponding savings of the Ministries/ Departments. The items are as follows:

					रोड़ रुपए Rupees	
अनुदान	संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gr	ant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
रसायन	और उर्वरक मंत्रालय	MI	NISTRY OF CHEMICALS AND			
			FERTILISERS			
8. फ	ार्मास्युटिकल्स विभाग	8	Department of Pharmaceuticals			
हि	न्दुस्तान एंटीवायोटिक्स लिमिटेड को वेतन का		For providing loans to Hindustan			
भु	गतान करने के लिए ऋण प्रदान करने के लिए।		Antibiotics Ltd. for payment of Salaries	-	9.67	9.67
नागर वि	घेमानन मंत्रालय	MI	NISTRY OF CIVIL AVIATION			
9. ना	गर विमानन मंत्रालय	9	<b>Ministry of Civil Aviation</b>			
हो	टल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया को अपनी विभिन्न		For expenditue towards investment in			
	रेयोजनाओं के नवीकरण के लिए निवेश से संबंधित		Hotel Corporation of India for renovation			
व्य	य के लिए।		of its various projects	5.00	-	5.00
ग्राणिज्य	एवं उद्योग मंत्रालय	MI	NISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
11. वा	णिज्य विभाग	11	Department of Commerce			
नि	र्यात अवसंरचना को विकसित करने तथा अन्य		For meeting expenditure on scheme for			
सं	बद्ध कार्यकलापों हेतु राज्यों को केन्द्रीय सहायता		Central Assistance to States for developing			
सं	बंधी योजना के व्यय को पूरा करने के लिए।		Export Infrastructure and other allied			
			activities.	160.00	-	160.00
I2. औ	ोद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	12	Department of Industrial Policy and			
			Promotion			
(7	क) भारतीय चर्म विकास कार्यक्रम के अंतर्गत		(a) For meeting additional expenditure			
	अतिरिक्त व्यय (₹70 करोड़ ) और मेक		under Indian Leather Development			
	इंडिया के लिए निवेश संवर्धन (₹ 52.20		Programme (₹70 crore) and Investment			
	करोड़) को पूरा करने के लिए।		Promotion towards Make in India			
,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Campaign (₹ 52.20 crore)	89.00	-	89.00
(7	ख) मेसर्स स्वास्तिक फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स		(b) For meeting additional expenditure			
	प्राइवेट लिमिटेड को निवेश सब्सिडी (पुरानी)		towards Investment subsidy to M/s			
	से संबंधित अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।		Swastik Fertilisers and Chemicals Private Limited.	0.25	-	0.25
	यं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	M	NISTRY OF COMMUNICATIONS AND			
	व रावना प्राचानका विकास	IVIII	INFORMATION TECHNOLOGY			
3. ভা	क विभाग	13	Department of Posts			
(ব			(a) for meeting additional expenditure			
`	, को पूरा करने के लिए।		under the head Postal Services.	-	3.43	3.43
(સ			(b) for meeting additional expenditure			
	प्रदेश में भूमि अधिग्रहण तथा भूमि के अधिग्रहण		towards cost of acquisition of land and			
	के लिए संवर्धित क्षतिपूर्ति से संबंधित अतिरिक्त		enhanced compensation for land			
	व्यय को पूरा करने के लिए।		acquisition in Andhra Pradesh, Kerala,			
			Tamil Nadu and Uttar Pradesh.	2.26	-	2.26
4. दू	रसंचार विभाग	14	<b>Department of Telecommunications</b>			
(व	,		(a) For payment to Himachal Futuristic			
	के भुगतान के लिए, माध्यस्थम पंचाट के		Communications Ltd. as per arbitration			
	अनुसार।		award.	-	89.65	89.65

			रोड़ रुपए Rupee	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन Non Plan	न जोड़ Total
(ख) मेसर्स इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिते के कर्मचारिचों को वेतन की बकाया राशि भुगतान ।			165.00	165.00
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
20. रक्षा मंत्रालय	20 Ministry of Defence			
कैंटीन स्टोर विभाग के अतिरिक्त व्यय को प् करने के लिए।	For meeting additional expenditure of Canteen Store's Department.	of -	3,000.00	3,000.00
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	MINISTRY OF DEVELOPMENT OF	F		
	NORTH EASTERN REGION			
28. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	28 Ministry of Development of North Eastern Region	n		
पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निग लिमिटेड में इक्विटी निवेश प्रदान करने के लिए			-	2.50
मेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	MINISTRY OF DRINKING WATER &	ž.		
	SANITATION			
29. पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	29 Ministry of Drinking Water & Sanitation			
देश के 82 आईएपी जिलों की 10,000 ग्रामी				
बस्तियों में सौर ऊर्जा आधारित ड्यूअल पंप पाइ वाटर सप्लाई स्कीम के संस्थापन के लिए।	Pump Piped Water Supply Scheme is 10,000 rural habitations in 82 IAP District			
पाटर त्रप्ताइ स्कान के तस्थायन के लिए।	of the Country.	110.65	-	110.65
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT ANI FORESTS	)		
31. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	31 Ministry of Environment and Forests			
(क) राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के तह		d		
(i)राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय की स्थाप	expenditure (₹ 6 crore) of Nationa	ıl		
से संबंधित व्यय (₹ 6 करोड़) और (		•		
सामान्य सहायता अनुदान (₹ 9 करोड़) व		•		
पूरा करने के लिए।	under National River Conservation			15.00
(ख) राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के तहत पूं	Programme (b) For meeting expenditure toward	15.00	-	15.00
आस्तियों (६९ करोड़) के सृजन हेतु अनुदा				
से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए।	(₹ 69 crore) under National Rive			
·	Conservation Programme.	69.00	-	69.00
वेत्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
33. आर्थिक कार्य विभाग	33 Department of Economic Affairs			
(क) किसान विकास पत्र को पुनः आरम्भ क और "बालिका-सुकन्या समृद्धि योजना				
आर बालिका-सुकन्या सनृद्धि वाजना आरम्भ पर प्रचार अभियान से संबंधित अतिरि				
व्यय को पूरा करने के लिए।	on introduction of 'Savings Schem			
<b>G</b> .	for Girl Child-Sukanya Samruddh	ni		

				 आयोजना	रोड़ रुपए Rupee आयोजना-भिन	
अनुद	ान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. 8	k title and description of items	Plan	Non Plan	-
	(ख) (i) मूल्य अनुरक्षण हेतु अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को भुगतान (₹ 4118.80 करोड़) करने और (ii) अफ्रीकी विकास निधि को अंशदान (₹ 68.24 करोड़) करने के लिए।	cror towa for i	For making payment (₹ 4118.80 re) to International Monetary Fund ards Maintenance of Value and (ii) making subscription to African relopment Fund (₹ 68.24 crore)	-	4,187.04	4,187.04
	(ग) नई उधार व्यवस्था के तहत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को ऋण प्रदान करने के लिए।	Mor	providing loans to International netary Fund under New angement to Borrow	_	2,057.08	2 057 08
34	वित्तीय सेवा विभाग		nent of Financial Services		2,037.00	2,037.00
	विश्व बैंक की सहायता के तहत ऋण (i) राष्ट्रीय आवास बैंक (₹ 85 करोड़) और (ii) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को (₹ 60 करोड़)।	Loans to crore) Develop	and (ii) Small Industries ment Bank (₹ 60 crore) of India orld Bank assistance	-	145.00	145.00
भारी	उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय	MINISTRY	OF HEAVY INDUSTRIES AND			
		PUBLIC	CENTERPRISES			
51.	भारी उद्योग विभाग	51 Departn	nent of Heavy Industry			
	(कं) (i) एचएमटी लिमिटेड का ब्याज माफ करने के लिए (₹ 38.58 करोड़); (ii) नेपा लिमिटेज के ब्याज और दांडिक ब्याज (₹ 355.20 करोड़) को माफ करने तथा सांविधिक देयों (₹13.38 करोड़) को माफ करने और (iii) हेवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड की गारंटी शुल्क सब्सिडी (₹ 2.53 करोड़)। (ख) ऋण, एचसीएल को (₹ 14.66 करोड़), एचएमटी लि. को (₹ 1.37 करोड़), टायर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (₹ 9.05 करोड़) तथा हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (₹ 90 करोड़)।	of H Pen Wai of N subs Eng (b) Loa Ltd. of I Hine	or waiver of interest (₹ 38.58 crore)  IMT Ltd.; (ii) Waiver of interest and al Interest (₹ 355.20 crore) and ever of statutory dues (₹ 13.38 crore)  IEPA Ltd. And (iii) Guarantee Fee sidy (₹ 2.53 crore) of Heavy ineering Corporation Ltd. ens to HCL (₹14.66 crore), HMT  Interest (₹ 9.05 crore) and dustan Photo Films Manufacturing inpany Ltd. (₹ 90 crore)	-	409.69 115.08	409.69 115.08
नवीन	न और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय		OF NEW AND RENEWABLE			
	_0_4_0_0_	ENERG				
69.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय  (क) (i) ग्रिंड कनेक्टिड विद पावर प्रोजेक्ट  (₹ 299 करोड़)के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन के लिए ग्रिंड इन्टरेक्टिव एन्ड डिस्ट्रीब्युटिड रिन्यूएबल पावर-ग्रिंड इन्टरेक्टिव रिन्यूएवल पावर-ग्रिंड के तहत विद्युत सब्सिडी प्रदान करने और (ii) पेस सेंटर फंड भारत के बराबर अंशदान (₹ 24 करोड़) से संबंधित अंशदान को पूरा करने के लिए।	(a) For Grid Ren Ren base Win (ii) Indi	y of New and Renewable Energy (i) providing Power Subsidy under d Interactive and Distributed newable Power-Grid interactive ewable Power-Wind for generation ed incentive for Grid connected ad Power Projects (₹ 299 crore) and meeting expenditure towards a's matching contibution to the			
	(ख) सरकारी क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश- इरडा।	(b) Inve	CE Setter Fund (₹24 crore) estment in Public Sector and other ertakings - IRDA	323.00 200.00	-	323.00 200.00

			ोड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS			
70. प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय	70 Ministry of Overseas Indian Affairs			
प्रवासी भारतीय केन्द्र के निर्माण हेतु राष्ट्रीय भवन	For payment to National Building			
सन्निर्माण निगम को भुगतान करने के लिए।	Construction Corporation for construction			
	of Pravasi Bhartiya Kendra.	-	5.00	5.00
योजना मंत्रालय	MINISTRY OF PLANNING			
76. योजना मंत्रालय	76 Ministry of Planning			
नेशनल रेनफेड एरिया आथॉरिटी कार्यालय के लिए	For construction of two additional floors at			
प्लान अथॉरिटी भवन में दो अतिरिक्त मंजिलों के	Plan Authority Bhawan for the office of			
निर्माण के लिए।	National Rainfed Area Authority	7.99	-	7.99
विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER			
77. विद्युत मंत्रालय	77 Ministry of Power			
विद्युत प्रणाली विकास निधि में जमा करने के लिए	For crediting (₹199 crore) to Power System			
(₹199 करोड़) और विद्यमान पारेषण वितरण	Development Fund and meeting			
अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण संबंधी व्यय (₹199	expenditure on strengthening of existing			
करोड़) को पूरा करने के लिए।	distribution of transmission infrastructure	200.00		•••
	(₹199 crore)	398.00	-	398.00
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT			
90. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	90 Department of Social Justice and Empowerment			
अनुसूचित जनजातियों से संबंधित युवाओं और	For implementation of Credit Enhancement			
नवांगुतक उद्यमियों के लिए क्रेडिट संवर्धन गारंटी	Guarantee Scheme for Young and Start-up			
स्कीम के कार्यान्वयन के लिए।	Entrepreneurs belonging to Scheduled			
	Castes	200.00	-	200.00
वस्त्र मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
95. वस्त्र मंत्रालय	95 Ministry of Textiles			
भुगतान आयुक्त से संबंधित व्यय को पूरा करने के	For meeting expenditure towards			
लिए।	Commissioner of Payment	-	20.51	20.51
संघ राज्य क्षेत्र (बिना विधान मंडल वाले)	UNION TERRITORIES (WITHOUT			
	LEGISLATURE)			
98. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	98 Andaman and Nicobar Islands			
विद्युत उत्पादन हेतु एचएसडी खरीदने से संबंधित	For meeting expenditure towards purchase			
व्यय को पूरा करने के लिए।	of HSD for power generation	-	85.95	85.95
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT			
103.शहरी विकास मंत्रालय	103 Department of Urban Development			
(क) आवास के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा	(a) For meeting additional expenditure			
करने के लिए।	under Housing		2.37	2.37

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore आयोजना आयोजना-भिन्न जोड			
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	Plan	Non Plan	Total	
(ख) पूर्वोत्तर राज्य क्षेत्र शहरी विकास परियोजना संबंधी स्कीम के व्यय को पूरा करने के लिए।  104.लोक निर्माण कार्य	(b) For meeting expenditure of the scheme towards North Eastern Region Urban Development Project  104 Public Works	41.50	-	41.50	
लोग निर्माण कार्यों के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure under Public Works	-	90.00	90.00	
जल संसाधन मंत्रालय	MINISTRY OF WATER RESOURCES				
106. जल संसाधन मंत्रालय नदी प्रबंधन कार्यकलाप तथा सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित कार्यों संबंधी योजना के तहत पुडुच्चेरी की संघ राज्य क्षेत्र सरकार को सहायता अनुदान।	106 Ministry of Water Resources Grants-in-aid to Union Territory Government of Puducherry under the scheme River Management Activities and Works related to Border Areas.	13.26	_	13.26	
कुल तकनीकी	Total Technical	1 (25 41	10 200 25 12		
5. नीचे सूचीबद्ध की गई मदों के संबंध में प्रत्येक के लिए 1 लाख रुपए का पूरक अनुदान लेने का प्रस्ताव है, जिनके लिए व्यय दर्शाया गया है, को उपयुक्त अनुदान के राजस्व या पूंजी भाग में बचतों के पुनर्विनियोजन से पूरा किया जाएगा।		1,007.11	10,390.37 12	,027770	
कृषि मंत्रालय	MINISTRY OF AGRICULTURE				
1 कृषि और सहकारिता विभाग	1 Department of Agriculture and Cooperation				
"कृषि विस्तार उप मिशन" की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत (क) सहायता अनुदान (₹ 2 करोड़) और कार्यालय व्यय (₹ 43 करोड़) के लिए व्यय पूरा करने हेतु ।	For meeting expenditure towards (a) Grants-in-aid (₹2 crore), and office expenses (₹43 crore) under the centrally sponspored scheme of 'Sub-Mission on Agriculture	47.00		45.00	
2 कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	Extension'.  2 Department of Agricultural Research and Education	45.00	-	45.00	
(क) उत्कृष्टता संस्थान स्कीम झारखण्ड के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता अनुदान सामान्य प्रदान करने हेतु।	(a) For providing Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Institution of Excellence, Jharkhand.	0.01		0.01	
(ख) उत्कृष्टता संस्थान स्कीम, असम के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता अनुदान सामान्य प्रदान करने हेतु।	(b) For providing Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Institution				
3 पशु पालन, डेरी और मिल्यिकी	of Excellence, Assam.  3 Department of Animal Husbandry,	0.01	-	0.01	
(क) व्यावसायिक क्षमता विकास के लिए (i) राष्ट्रीय पशुधन मिशन (₹ 34.35 करोड़) और (ii) भारतीय पशुचिकित्सा परिषद (₹ 0.30 करोड़) स्कीमों के	Dairying and Fisheries  For meeting additional expenditure under the schemes of (i) National Livestock Mission (₹ 34.35 crore), and (ii) Vetenirary				

			रोड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु ।	Council of India (₹ 0.30 crore) for Professional Efficiency Development.	34.65	-	34.65
परमाणु ऊर्जा विभाग	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY			
4 परमाणु ऊर्जा	4 Atomic Energy			
भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु ।	For meeting additional expenditure of Bhabha Atomic Research Centre.	300.00	-	300.00
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS			
7      उर्वरक विभाग	7 Department of Fertilisers			
देशज यूरिया के अंतर्गत व्यय पूरा करने हेतु ।	For meeting expenditure under Indigenous Urea	-	5,000.00 5	5,000.00
नागर विमानन मंत्रालय	MINISTRY OF CIVIL AVIATION			
<ul><li>नागर विमानन मंत्रालय</li></ul>	9 Ministry of Civil Aviation			
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की सब्सिडी	Subsidy to Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi	-	13.60	13.60
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
12 औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	12 Department of Industrial Policy and Promotion			
पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति (₹ 35 करोड़) और परिवहन सब्सिडी स्कीम (₹ 24.50 करोड़) के अंतर्गत दावों के निपटान के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु ।	For meeting additional expenditure for settlement of claims under North East Industrial and Investment Promotion Policy (₹ 35 crore) and Transport Subsidy Scheme (₹ 24.50 crore)	59.50	-	59.50
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
13 डाक विभाग	13 Department of Posts			
डाक जीवन बीमा के निवेश प्रभाग के कम्प्यूटरीकरण	For meeting expendiutre on			
पर अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु ।	computerisation of Investment Division of Postal Life Insurance.	0.20	_	0.20
<ul><li>15 इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी</li></ul>	15 Department of Electronics and	0.20		0.20
इलेक्ट्रोनिक अभिशासन के अंतर्गत सहायता	Information Technology			
 अनुदान सामान्य के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा	For meeting additional expenditure towards			
करने हेतु ।	Grants-in-aid General under Electronic Governance.	73.15	-	73.15
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS,			
मंत्रालय	FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
16 उपभोक्ता मामले विभाग	16 Department of Consumer Affairs			
(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ के लिए राष्ट्रीय	(a) towards providing Grants-in-aid			
मानकीकरण प्रणाली को सहायता अनुदान	General to National System for			

		<u> </u>		pees in Crore	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total	
सामान्य प्रदान करने के लिए।	standardisation for the benefit of North Eastern Region.	0.30	-	0.30	
(ख) राष्ट्रीय मानकीकरण प्रणाली को सहायता अनुदान	<del>-</del>				
सामान्य प्रदान करने हेतु।	General to National System for	2.72		2.72	
17 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	standardisation.  17 Department of Food and Public	2.73	-	2.73	
The Grant Master And Talker Talker	Distribution				
(क) वस्तु बाजार के लिए विनियामक ढांचा हेत्	(a) For meeting expenditure on				
सुधार आयोजना शुरू करने के लिए भण्डागारण	Warehousing Development and				
विकास और विनियामक प्राधिकरण का व्यय	Regulatory Authority to undertake				
पूरा करने हेतु	transformation plan for stengthening				
	of regulatory framework for				
	commodity market.	6.90	-	6.90	
(ख) "चीन मिलों के पुनर्वास/आधुनिकीकरण" स्कीम					
के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र और अन्य उपक्रमे					
को अतिरिक्त ऋण प्रदान करने हेतु।	under the scheme "Rehabilitation/		<b>5</b> 0.00	<b>7</b> 0.00	
	Modernization of Sugar Mills".	-	50.00	50.00	
संस्कृति मंत्रालय	MINISTRY OF CULTURE				
19. संस्कृति मंत्रालय	19 Ministry of Culture				
(क) सचिवालय-सामाजिक सेवा स्कीम के सहायत					
अनुदान सामान्य के लिए अतिरिक्त व्यय पूर ` ` `			0.01	0.01	
करने हेतु।	scheme Secretariat-Social Services  (b) For (1) Groups in aid Solories to Control	-	0.01	0.01	
(ख) (1) केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन, वराणसी (₹ 1					
करोड़) को सहायता अनुदान वेतन (2) पूंर्ज	-				
आस्ति के सृजन के लिए (₹ 6.15 करोड़)					
नव नालन्दा महावीर को अनुदान (3) संग्रहालय संबंधी शंकाओं के लिए संग्रहालय संग्रहण					
अौर अकादमी सुविधाओं के लिए ( <b>₹</b> 2करोड़)					
सहायता अनुदान सामान्य (4) राष्ट्रीय नाट्य					
स्कूल को अनुदान (₹ 6 करोड़) हेतु।	faicilities for museum related				
	disciplines, (4) Grants to National				
	School of Drama (₹ 6 crore).	15.15	-	15.15	
(ग) (i) भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार (₹5.25	(c) For providing additional Grants-in-aid				
करोड़) (ii) केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन	General (i) National Archives of India				
विश्वविद्यालय ( <b>₹</b> 0.85 करोड़), (iii) दिर्ल्ल	(₹ 5.25 crore); (ii) Central University				
पब्लिक लाइब्रेरी (5.20 करोड़) (iv)	of Tibetan Studies (₹ 0.85 crore); (iii)				
सफदरजंग संग्रहालय, हैदराबाद (₹ 1 करोड़)	Delhi Public Library (₹ 5.20 crore);				
(v) केन्द्रीय हिमालयी संस्कृति अध्ययन, दहंग	(iv) Safdurjang Museum, Hyderabad				
(₹ 0.43 करोड़) (vi) विक्टोरिया मेमोरियल	(₹ 1 crore); (v) Central Institute of				
हाल कोलकाता ( <b>₹</b> 0.90 करोड़), (vii)	Himalayan Cultural Studies, Dahung				
गांधी स्मृति और दर्शन समिति (₹ 0.48					
करोड़) (viii) राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी					
फाउण्डेशन (₹ 0.51 करोड़), (ix) कल					
एवं संस्कृति के प्रोत्साहन के लिए वित्तीय	(₹ 0.48 crore); (viii) Raja Ram Mohun				

Roy Library Foundation (₹0.51 crore);

सहायता (₹ 0.35 करोड़) (x) एसियाटिक

			रोड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
सोसायटी कोलकाता (₹ 1.50 करोड़),	(ix) Financial Assistance for Promotion			
(xi) इलाहाबाद संग्रहालय (0.27 करोड़)	of Art and Culture (₹ 0.35 crore); (x)			
और (xii) सहायता अनुदान वेतन (₹ 13.95	Asiatic Society, Kolkata			
करोड़) के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान	(₹ 1.50 crore); (xi) Allahabad Museum			
सामान्य प्रदान करने के लिए। (क) केन्द्रीय	(₹ 0.27 crore) and (xii) Grants-in-aid			
तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, वराणसी (ख)	Salaries (₹ 13.95 crore) for (a) Central			
विक्टोरिया हाल कोलकाता (ग) राष्ट्रीय विज्ञान	University of Tibetan Studies, Varanasi,			
परिषद संग्रहालय, कोलकाता (घ) गांधी स्मृति	(b) Victoria Memorial Hall, Kolkata (c)			
और दर्शन समिति और (ड) नेहरू स्मारक	National Council of Science Museum,			
संग्रहालय और लाइब्रेरी हेतु।	Kolkata, (d) Gandhi Samriti and			
	Darshan Samiti and (e) Nehru Memorial			
	Museum & Library	-	30.69	30.69
(घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए सहायता	(d) Grants-in-aid General for			
अनुदान सामान्य	Archaeological Survey of India	-	1.10	1.10
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION			
28 पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	28 Ministry of Development of North Eastern			
(क) पूर्वोत्तर ग्रामीण आजीविका परियोजना के अंतर्गत	Region			
अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(a) For meeting additional expenditure under North Eastern Rural Livelihood			
जातात्वतं व्यव बूत करन हतु।	Project	60.00	_	60.00
(ख) पूर्वोत्तर राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम के अंतर्गत	(b) For meeting additional expenditure			
(₹ 80 करोड़) और कारबी एंगलोंग स्वापत्तशासी	under North Eastern States Road			
टेरीटोरियल काउंसिल (₹ 15 करोड़) हेतु	Investment Programme (₹80 crore) and			
विशेष पैकेज के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा	special package for Karbi Anglong			
करने हेतु ।	Autonomous Territorial Council			
	(₹ 15 crore)	95.00	-	95.00
पर्यावरण और वन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT AND			
	FORESTS			
31 पर्यावरण और वन मंत्रालय	31 Ministry of Environment and Forests			
पशु कल्याण बोर्ड को सहायता अनुदान वेतन के	For meeting expenditure towards Grants			
लिए व्यय पूरा करने हेतु	in-aid Salaries to Animal Welfare Board	-	0.18	0.18
विदेश मंत्रालय	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS			
32 विदेश मंत्रालय	32 Ministry of External Affairs			
बंगला देश, चीन भारत म्यांमार कार्यक्रम के अंतर्गत	For meeting expenditure towards Other			
अन्य प्रशासनिक व्यय के लिए व्यय पूरा करने हेतु।	Administrative Expenses under			
	Bangladesh China India Myanmar (BCIM)			
	Programme.	-	0.50	0.50
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
33 आर्थिक कार्य विभाग	33 Department of Economic Affairs			
(क) वायदा बाजार आयोग में पूंजी आस्ति के सृजन	(a) For meeting expenditure towards			
के लिए व्यय पूरा करने हेतु।	creation of Capital Assets in Forward			
	Market Commission	0.80	-	0.80

			ोड़ रुपए Rupees	in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) भारतीय एक्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहाता के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के हेतु ।	(b) For meeting additional expenditure towards Interest equalisation support to Exim Bank of India	_	450.00	450.00
(ग) बजट प्रेस के लिए प्रिंटिंग मशीन खरीदने के लिए	(c) Purchase of printing machines for Budget Press.	_	3.90	3.90
34   वित्तीय सेवा विभाग	34 Department of Financial Services			
(क) प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत व्यय	(a) For meeting expenditure under			
पूरा करने हेतु ।	Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana	_	100.00	100.00
(ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को	(b) Loans to National Bank for Agriculture		100.00	100.00
ऋण	and Rural Development	-	673.29	673.29
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES			
46. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	46 Ministry of Food Processing Industries			
गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स, मानक, अनुसंधान	For meeting additional expenditure under			
और विकास तथा अन्य संवर्धनात्मक कार्यकलापों	the scheme for quality assurance, codex,			
के लिए स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने	standards, R&D and other promotional			
हेतु ।	activities.	5.00	-	5.00
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
47 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	47 Department of Health and Family Welfare			
(क) सहायता अनुदान सामान्य (₹ 172.91	(a) For meeting expenditure towards			
करोड़), पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए	Grants-in-aid General (₹ 172.91),			
अनुदान, (₹ 439.31 करोड़) और वेतन	Grants for creation of Capital Assets			
सहायता अनुदान (₹ 117.73 करोड़)	(₹ 439.31) and Grants-in-aid Salaries			
चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के अंतर्गत	(₹ 117.73) to various Institutes/			
विभिन्न संस्थानों/कार्यक्रमों/स्कीमों के लिए	Programmes/Schemes under Medical			
व्यय पूरा करने हेतु ।	and Public Health	729.95	-	729.95
(ख) सहायता अनुदान सामान्य (₹ 116.12 करोड़)	(b) For meeting expenditure towards			
और सहायता अनुदान वेतन (₹ 267.99	Grants-in-aid General (₹ 116.12) and			
करोड़) चिकित्सा और सार्वजनिग स्वास्थ्य के	Grants-in-aid Salaries (₹ 267.99) to			
अंतर्गत विभिन्न संस्थानों/ कार्यक्रमों/स्कीमों	various Institutes/Programmes/			
का व्यय पूरा करने के लिए।	Schemes under Medical and Public			
	Health	-	384.11	384.11
(ग)   सहायता अनुदान सामान्य (₹ 51.50 करोड़)	(c) For meeting expenditure towards			
और पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान	Grants-in-aid General (₹ 51.50 ) and			
(₹ 1.16 करोड़) परिवार कल्याण के अंतर्गत	Grants for creation of Capital Assets			
विभिन्न संस्थानों/कार्यक्रमों/स्कीमों का व्यय	(₹ 1.16) to various Institutes/			
पूरा करने के लिए।	Programmes/Schemes under Family Welfare	52.66	_	52.66
(घ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान	(d) For meeting additional expenditure			- •
के लिए सहायता अनुदान सामान्य हेतु अतिरिक्त	towards Grants-in-aid General for the			
व्यय पूरा करने के लिए।	National Institute of Health and Family			
<b>a</b>	Welfare	_	0.25	0.25
	TI CITUIC	_	0.23	0.23

		<u></u> (क	(करोड़ रुपए Rupees in Cr		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of item	आयोजना s Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total	
(ड) विभिन्न संस्थानों/कार्यक्रमों/स्कीमों को सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹435.69 करोड़) पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु (₹205.73 करोड़) और पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं मेडिकल विज्ञान संस्थान को वेतन सहायता अनुदान (₹2 करोड़)।	(e) For meeting expenditure towal Grants-in-aid General (₹ 435.) Grants for creation of Capital As (₹ 205.73) to various Institute Programmes/Schemes and Grants aid Salaries (₹ 2 crore) to North East Indira Gandhi Regional Institute Health and Medical Sciences.	69), ssets tes/ s-in- stern		643.42	
(च) विभिन्न संस्थानों/कार्यक्रमों/स्कीमों को सामान्य सहायता अनुदान ( <b>१</b> 271.86 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान	<ul><li>(f) For providing Grants-in-aid Gen</li><li>(₹ 271.86 ) and Grants for creatio</li><li>Capital Assets (₹ 24.09) to var</li></ul>	n of ious	-		
(₹24.09 करोड़) प्रदान करना। (छ) संघ शासित राज्य सरकारों के तहत विभिन्न संस्थानों/कार्यक्रमों/स्कीमों के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹6.71 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹0.21 करोड़) प्रदान करना।	Institutes/Programmes/Schemes  (g) For providing Grants-in-aid Gen  (₹ 6.71 crore ) and Grants for crea  of Capital Assets (₹ 0.21 cro  to various Institutes/Program	ore) mes	-	295.95	
(रा) चिकित्सा और जन स्वास्थ्य के तहत पूंजीगत कम करने हेतु।	Schemes under UT Governments  (h) For incurring capital expendi under Medical and Public Health		-	6.92	
(झ) केंद्रीय कोढ़ शिक्षण और अनुसंघान संस्थान के लिए प्रमुख निर्माण कार्यों संबंधी व्यय पूरा	(i) For meeting expenditure on M. Works for Central Leprosy Teach	hing	-	377.72	
करना। 49 स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	and Research Institute, Chengalpa	attu 0.10	-	0.10	
(क) चिकित्सा और जन स्वास्थ्य स्कीम के तहत (१२०३.३५ करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (१४० करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (१४० करोड़) का अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	<ul> <li>49 Department of Health Research         <ul> <li>(a) For meeting additional expenditional expendition towards Grants-in-aid General (₹ 203.35) and Grants for creation Capital Assets (₹ 40 crore) and Grants in-aid Salaries (₹ 2 crore) under schemes Medical and Public Heal</li> </ul> </li> </ul>	eral n of ants- the	_	245.35	
(ख) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के संबंध में सामान्य अनुदान (₹52.23 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹18.10 करोड़) का अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(b) For meeting additional expenditional covards Grants-in-aid General (₹5% crore) and Grants-in-aid Sala (₹18.10 crore) in respect of Inc. Council of Medical Research	ture 2.23 ries	70.33	70.33	
(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्रों के अंतर्गत परियोजनाओं/स्कीमों के तहत प्रावधानों में बढ़ोत्तरी के लिए।	(c) For augmentation of provisions un projects/schemes under North Eas Areas		-	8.00	
भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES A PUBLIC ENTERPRISES				
51 भारी उद्योग विभाग	51 Department of Heavy Industry				
(क) कचार पेपर मिल, हिंदुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमि. की ईकाई को परिवहन सब्सिडी प्रदान	(a) For providing transport subsidy  Cachar Paper Mills, a unit of Hindu				
करने के लिए। (ख) एनईपीए लिमि. के संबंध में ऋण को इक्विटी	Paper Corporation Limited.  (b) For conversion of Loan into Equit	70.86	-	70.86	
में अंतरण हेतु।	respect of NEPA Limited.	-	231.01	231.01	

			रोड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ग) एचएमटी लिमि. को गैर-आयोजना ऋण प्रदान करने हेतु।	(c) For providing Non Plan loan to HMT Limited	-	90.80	90.80
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
54 मंत्रिमंडल (क) पूर्व-राज्यपालों के सचिवालयी व्यय की प्रतिपूर्ति का व्यय पूरा करने हेतु।	For meeting expenditure towards reimbursement of Secretariat expenditure of ex-Governors	_	0.88	0.88
55 पुलिस (क) विधानमंडल रहित संघ शासित राज्य क्षेत्रों में अग्नि और आपात सेवाओं के आधुनिकीकरण हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	<ul> <li>55 Police</li> <li>(a) For meeting expenditure towards modernisation of fire and emergency services in the Union Territories</li> </ul>			
(ख) सीमा पर बाड के अनुरक्षण का व्यय पूरा करने	without Legislature  (b) For marting expanditure towards	10.00	-	10.00
(ख) सामा पर बांड के अनुस्तान की व्यय पूरी करने हेतु। (ग) वनरोपण आदि और परामर्श शुल्क के भुगतान का अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	<ul> <li>(b) For meeting expenditure towards maintenance of Border Fencing</li> <li>(c) For meeting expenditure towards payment of compensation for</li> </ul>	-	20.00	20.00
	afforestation and payment of consultency fees etc.  (d) For meeting expenditure towards	23.51	-	23.51
	research	-	270.00	270.00
हाऊसिंग और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION			
58 हाऊसिंग और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	58 Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation			
(क) एकीकृत निम्न लागत स्वच्छता स्कीम के अन्य प्रशासन व्यय पूरा करने हेतु व्यय।	(a) For meeting expenditure towards other administrative expenses of the scheme Integrated Low Cost Sanitation	0.26		0.26
(ख) राजीव ऋण योजना स्कीम (₹2 करोड़) और सभी को आवास हेतु नया मिशन (₹0.01 करोड़) के अन्य प्रशासनिक व्यय हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure towards other administrative expenses of the scheme Rajiv Rinn Yojana (₹ 2 crore) and New Mission for Housing	0.20	-	0.20
<ul><li>(ग) राजीव आवास योजना स्कीम के तहत विज्ञापन व प्रचार के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के</li></ul>	<ul><li>for All (₹ 0.01 crore)</li><li>(c) For meeting additional expenditure towards advertising and publicity</li></ul>	2.01	-	2.01
लिए।	under the scheme Rajiv Awas Yojana	10.00	-	10.00
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT			
59 स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	59 Department of School Education and			
(क) 4000 अतिरिक्त शिक्षकों की भर्ती हेतु वेतन सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	Literacy  (a) For providing Grants-in-Aid Salaries for recruitment of 4000 additional teachers	261.00	-	261.00

			आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
अनुव	इान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	$ \label{eq:continuous} \textbf{Grant No. \& title and description of items} $	Plan	Non Plan	Total
	(ख) ब्लॉक स्तर पर 6000 मॉडल स्कूलों की	(b) For Grants-in-Aid to State Governmen	nts		
	स्थापना के लिए राज्य सरकारों को सहायता	for setting up of 6000 model school	ols		
	अनुदान के लिए।	at Block level	430.00	-	430.00
0	उच्चतर शिक्षा विभाग	60 Department of Higher Education			
	(क) (i) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, आन्ध्र	(a) For (i) Grants-in-aid General to Indi	an		
	प्रदेश (₹0.50 करोड़) को सामान्य सहायता	Institute of Information Technolog	gy,		
	अनुदान, और (ii) राष्ट्रीय डिजाइन नवप्रवर्तन	Andhra Pradesh (₹ 0.50 crore) and (	(ii)		
	पहल (₹27 करोड़) और भारतीय सूचना	Grants for creation of Capital Assets	in		
	प्रौद्योगिकी संस्थान, आन्ध्र प्रदेश (₹0.50	respect of National Intiative for Desi	gn		
	करोड़) के संबंध में पूंजीगत आस्तियों के	Innovation (₹ 27 crore) and Indi	an		
	सृजन हेतु अनुदान।	Institute of Information Technolog	gy,		
		Andhra Pradesh (₹ 0.50 crore)	28.00	-	28.00
	(ख) भारतीय प्रबंधन संस्थान स्कीम के तहत सामान्य	(b) For meeting expenditure towar	ds		
	सहायता अनुदान का व्यय पूरा करने के	Grants-in-aid General under the scher	me		
	लिए।	Indian Institutes of Management	-	1.20	1.20
	(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लाभार्थ पूंजीगत आस्तियों के	(c) For meeting expenditure as Grants f	for		
	सृजन हेतु अनुदान के रूप में अतिरिक्त व्यय	creation of capital assets for the bene	efit		
	पूरा करना।	of North Eastern Areas.	130.00	-	130.00
प्रम	और रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR AN	ID		
		EMPLOYMENT			
2	श्रम और रोजगार मंत्रालय	62 Ministry of Labour and Employment			
	(क) "स्कीम कौशल विकास" मिशन के तहत	(a) For meeting expenditure under t	he		
	सामान्य सहायता अनुदान के लिए व्यय पूरा	Scheme of Skill Developme			
	करना।	Mission towards Grants-in-aid Gener		-	1.00
	(ख) (i) मिशन स्कीम के तहत राज्य सरकारों को	(b) For meeting expenditure towar			
	सामान्य सहायता अनुदान (₹71.34 करोड़)	Grants-in- aid General to Sta			
	और (ii) पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु	Governments (Rs 71.34 crore) and (	` '		
	अनुदान ( <b>₹</b> 40 करोड़)।	Grants for Creation of Capital Asso			
		(Rs 40 crore) under the scheme Sk			
		Development Mission.	111.34	-	111.34
	(ग) कौशल विकास मिशन स्कीम के तहत संघ	(c) For Grants-in-aid General to Univ			
	राज्य क्षेत्र सरकारों को सामान्य सहायता	Territory Governments under t			
	अनुदान हेतु।	Scheme Skill Development Mission	n 1.50	-	1.50
तूक्ष	म, लघु और मध्यम उध्यम मंत्रालय	MINISTRY OF MICRO, SMALL AN	ND		
		MEDIUM ENTERPRISES			
6	सूक्षम, लघु और मध्यम उध्यम मंत्रालय	66 Ministry of Micro, Small and Mediu Enterprises	ım		
	महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान	Grants to Mahatma Gandhi Institute f	for		
	(₹2.74 करोड़) और कॉयर बोर्ड (₹11.38	Rural Industrialization (₹ 2.74 crore) a	nd		

			(क	रोड़ रुपए Rupees	in Crore)
अनुद	ान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना S Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
अल्प	संख्यक मामले मंत्रालय	MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS			
	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	68 Ministry of Minority Affairs			
	(क) (i) निःशुल्क कोचिंग स्कीम और संबद्ध स्कीम (₹20 करोड़) के तहत और (ii) मैरिट-सह- मिन्स छात्रवृत्ति और नई छात्रवृत्तियां (₹15 करोड़) के नवीकरण के लए सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(a) For meeting additional expendit towards Grants-in-aid General (i) un the scheme of Free Coaching a Allied Scheme (₹ 20 crore) and Renewal of Merit-cum-Mea scholorships and new scholorsh (₹ 15 crore)	nder and (ii) ans		35.00
	(ख) अल्पसंख्यकों हेतु कौशल विकास स्कीम (₹42.70 करोड़) और हमारी धरोहर हेतु व्यय (₹9 करोड़) के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(b) For meeting additional expendit under the schemes of SI Development Initiatives for Minoria (₹ 42.70) and meeting expendit	ture kill ties ture	-	
	(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्रों के तहत परियोजनाओं/स्कीमों के प्रावधानों में बढ़ोत्तरी हेतु।	<ul><li>(₹ 9 crore) for Hamari Dharohar</li><li>(c) For augmentation of provisions projects/schemes under North East</li></ul>		-	51.70
	(घ) राज्य सरकारों को सहायता अनुदान का अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	Areas  (d) For meeting additional expendi towards Grants-in-aid to State	5.80 itue	-	5.80
		Governments	30.00	-	30.00
कामि	कि, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBL GRIEVANCES AND PENSIONS	ЛС		
73	कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय	73 Ministry of Personnel, Public Grievan and Pensions	ices		
	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करना।	For providing grants for creation of Cap Assets (₹ 5 crore) to Indian Institute of Public Administration	5.00	-	5.00
पेट्रो	लेयम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS	ND		
75	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय आन्ध्र प्रदेश में पेट्रोलियम विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए।	75 Ministry of Petroleum and Natural Ga For Setting up Petroleum University Andhra Pradesh.		-	1.00
_	त मंत्रालय विद्युत मंत्रालय तकनीकी नियंत्रण और निगरानी स्कीम के तहत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को वेतन हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	MINISTRY OF POWER  77 Ministry of Power  For meeting expenditure on salaries  Central Electricity Authority under  Scheme Technical Control Planning a  Monitoring	the	4.00	4.00
सड़व	<b>ь परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय</b>	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT A	ND	4.00	4.00
83	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मोटर वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण	HIGHWAYS  83 Ministry of Road Transport a Highways For creation of State and National Regis			
	प्रमाण पत्र हेतु राज्य और राष्ट्रीय रजिस्टर का सृजन।	of Driving license and Registration Certificate of Motor Vehicle	7.68	-	7.68

	अनुवास कर कुरकर साम,	2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOI		p	(XV)
_				रोड़ रुपए Rupees	
अनुव	दान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
विज्ञ 88	जैव प्रौद्योगिकी मंत्रालय जैव प्रौद्योगिकी विभाग  निम्न का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (i) अनुसंधान और विकास-हेतु सहायता के लिए कृषि जैवप्रौद्योगिकी और संबद्ध क्षेत्र हेतु सहायता के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹14 करोड़)। (ii) अनुसंधान और विकास-आधारभूत अनुसंधान और उभरते क्षेत्र के लिए सहायता के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹7 करोड़) और (iii) जैव प्रौद्योगिकी सुविधाओं सामान्य सहायता अनुदान (₹4 करोड़)।	MINISTRY OF SCIENCE AND  TECHNOLOGY  88 Department of Biotechnology  For meeting additional expenditure towards  (i) Grant-in -aid General (₹14 crore)for assistance for Research & Development - Agricultural Biotechnology and Allied Areas; (ii) Grants-in-aid General (₹7 crore) for assistance for Research and Development - Basic Reasearch and Emerging Areas and (iii) Grants-in-aid General (₹4 crore) for Biotech facilities.	25.00	_	25.00
पोत 89	परिवहन मंत्रालय पोत परिवहन मंत्रालय (क) पेशेवर सेवाओं के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति का अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु। (ख) तटीय संरक्षण कार्य के लिए चैन्नई पोर्ट ट्रस्ट में अतिरिक्त व्यय के लिए।	MINISTRY OF SHIPPING  89 Ministry of Shipping  (a) For meeting expenditure under professional services for appointment of Arbitrator  (b) For meeting expenditure towards Coastal Protection Work in Chennai Port Trust.	15.00	3.00	3.00 15.00
	श्कि विभाग  अंतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (i) सामान्य सहायता अनुदान हे तु सभी कंडक्टर लेंबोरेटरी (₹6.67 करोड़) तथा पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अ नुदान (₹2.71 करोड़) तथा (ii) इण्डियन इंस्टीटयूट ऑफ स्पेस साइंस एण्ड टेक्नालाजी - सामान्य सहायता अनुदान (₹1 करोड़)।  (ख) अतिरिक्त वेतन सहायता अनुदान (i) सेमी कंडक्टर लेंबोरेटरी (₹1.13 करोड़); (ii) इण्डियन इंस्टीटयूट ऑफ स्पेस साइंस एण्ड टेक्नालाजी (₹1.50 करोड़); (iii) नार्थ इंस्टर्न स्पेश अप्लीकेशन सेंटर (₹1 करोड़) तथा (iv) नेशनल एटमास्फरिक रिसर्च लेंबोरेटरी (₹1.40 करोड़)।	DEPARTMENT OF SPACE  92 Department of Space  (a) For meeting additional expenditure for (i) Semi-conductor laboratory towards Grants-in-aid General (₹ 6.67 crore) and grants for creation of Capital Assets (₹ 2.71 crore) and (ii) Indian Institute of Space Science & Technology as Grants-in-aid General (₹ 1 crore).  (b) For providing additional Grants-in-aid Salary to (i) Semi-conductor laboratory (₹ 1.13 crore); (ii) Indian Institute of Space Science & Technology (₹ 1.50 crore); (iii) North Eastern Space Application Centre (₹ 1 crore) and (iv) National Atmospheric Research Laboratory (₹ 1.40 crore)	10.38	5.03	10.38 5.03
	ड़ा मंत्रालय  कपड़ा मंत्रालय  (क) (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹८ करोड़), पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹12 करोड़), अन्य प्रशासनिक व्यय (₹0.50 करोड़), व्यावसायिक सेवाएं (₹2.50 करोड़) तथा विज्ञापन एवं प्रचार (₹0.50 करोड़) - व्यापार सुविधा बांड तथा क्राफ्ट म्यूजियम हेतु; (ii) सामान्य सहायता अनुदान (₹3.33 करोड़) तथा कैटलाइटिक डेवलपमेंट प्रौग्रैम	MINISTRY OF TEXTILES  95 Ministry of Textiles  (a) (i) Grants-in-aid General (₹ 8 crore), grants for creation of Capital Assists (₹ 12 crore), other administrative expenses (₹ 0.50 crore), professional services (₹ 2.50 crore) and Advertisement and Publicity (₹ 0.50 crore) for Trade Facilitation Centre and Craft Museum towards; (ii) Grants-in-			

			(करोड़ रुपए Rupees in Cro	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and descript	आयोजना ion of items Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदन (₹2.20 करोड़)।	aid General (₹ 3.33 cro for creation of Capital crore) for Catalytic Programme	Assets (₹ 2.20	-	29.03
(ख) इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ कार्पेट टेक्नालाजी भदोही को अनुदान - वेतन हेतु। (ग) राज्य सरकारों को सहायता अनुदान - हैंडलूम क्लाथ के लिए विशेष छूट।	<ul><li>(b) Grants to Indian Inst Technology, Bhadohi t</li><li>(c) Grants-in-aid to State towards special rebate</li></ul>	owards salaries - Governments	3.50	3.50
	Cloth.	-	9.52	9.52
संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल रहित)	UNION TERRITORIES LEGISLATURE)	(WITHOUT		
98 अंडमान एवं निकोबार (द्वीपसमूह)	98 Andaman and Nicobar Isla	ands		
(क) नए शुरु किए गए कालेज (एएनसीओएल)	(a) For meeting expendi			
के व्यय का परा करने के लिए।	started college (ANCO		_	0.25
(ख) माइक्रो एण्ड स्माल एन्टरप्राइज के लिए क्रेडिट	(b) For meeting additiona	al expenditure		
गारण्टी फण्ड स्कीम के अन्तर्गत अतिरिक्त	under Credit Guarantee	e Fund Scheme		
व्यय को पूरा करने हेतु।	for Micro and Small En	terprises 5.00	_	5.00
102 लक्षद्वीप	102 Lakshadweep			
(क) पीआरआई के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के अतिरिक्त व्यय को पूरा	(a) For meeting additional the employees of I	Department of		
करने हेतु। (ख) पीआरआई के अन्तर्गत कार्यरत कला एवं	Education working und		4.80	4.80
(ख) पीआरआई के अन्तर्गत कार्यरत कला एवं संस्कृति के कर्मचारियों के अतिरिक्त व्यय	(b) For meeting additional of the ampleyees of Door	=		
को पूरा करने हेत्।	the employees of Dep and Culture working ur		0.46	0.46
(ग) टाइप राइटिंग इंस्टीटयूट्स को चलाने तथा अनुरक्षण और पीआरआई के अन्तर्गत रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग के कर्मचारियों को भत्ता हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	(c) For meeting additional of running and mainten Writing institutes a allownces of employees of Employment of Train under PRIs	expenditure for ance of Type and pay and sof Department	0.40	0.21
(घ) महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए वेतन तथा भत्ता के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	(d) For meeting additional towards pay and allow employees function Department of Wom	vances for the	0.65	0.65
(A) Marrow (A) and the state of the A	Development	-1 1'4	0.65	0.65
(ङ) पीआरआई के अन्तर्गत पंचायत विभाग के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए वेतन	(e) For meeting additional			
तथा भत्ता के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने	towards pay and for the employees of			
हेतु।	Panchayat working und		1.25	1.25
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVE	LOPMENT		
103 शहरी विकास विभाग	103 Department of Urban Deve	elopment		
(क) स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत व्यय को पूरा करने के लिए। (ख) स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत राज्य सरकारों	(a) For meeting expend Swachh Bharat Mission	n 130.25	-	130.25
(ख) स्वच्छ भारत । मशन के अन्तगत राज्य सरकारा को अंतरण।	(b) Swachh Bharat Mission	under Transfer 1970.00		1070.00
का अंतरण। (ग)   स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत संघ राज्य	to State Governments (c) Swachh Bharat Mission		-	1970.00
(ग) स्वच्छ भारत भिश्चन के अन्तगत संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरण। (घ) संघ परीक्षा (₹15 करोड़) और वित्त राजस्व	to UT Governments  (d) For meeting additional of	100.00	-	100.00
(₹25 करोड़) के संबंध में रिहायशी आवास	construction of	residential		

		 आयोजना	रोड़ रुपए Rupees आयोजना-भिन्न	 जोड़
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	Plan	Non Plan	Total
के निर्माण हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	accommodation in respect of Audit (₹15 crore) and Finance (Revenue)			
() ()	(₹ 25 crore)	-	40.00	40.00
(ड)  इक्विटी प्रदान करना : (i) बंगलूर मेट्रो (₹424 करोड़), (ii) कोच्चि मेट्रो (₹78.82 करोड़) तथा (iii) नागपुर मेट्रो (₹10 करोड़)।	(e) Providing equity to (i) Bangalore Metro (₹ 424 crore), (ii) Kochi Metro (₹ 78.82 crore) and (iii) Nagpur			
104 लोक निर्माण कार्य	Metro (₹ 10 crore)  104 Public Works	512.82	-	512.82
लोक परीक्षा (₹12 करोड़), वित्त (राजस्व) (₹40	For meeting expenditure towards			
करोड़) तथा कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन	construction of office buildings in respect			
(78 करोड़) के संबंध में कार्यालय बिल्डिंग निर्माण	of Audit (₹ 12 crore), Finance (Revenue)			
के व्यय को पूरा करना।	(₹ 40 crore) and Personnel Public			
عد عمام طرا في ال	Grievances and Pensions (₹ 8 crore)	-	60.00	60.00
जलसंसाधन मंत्रालय	MINISTRY OF WATER RESOURCES			
106 जलसंसाधन मंत्रालय	106 Ministry of Water Resources			
(क) पूंजीगत अस्तियाँ के सृजन (₹168 करोड़) तथा नेशनल गंगा रिवरबेसिन अथोरिटी के ईएपी घटक के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 5 करोड़) के व्यय को पूरा करना।	(a) For meeting expenditure for creation of Capital Assets (₹ 168 crore) and Grants-in-aid General (₹ 5 crore) under EAP component of National Ganga River Basin Authority.	173.00	<u>-</u>	173.00
(ख) नेशनल शिवर कंजरवेजन प्लान के अन्तर्गत नेशनल गंगा रिवरबेसिन अथोरिटी तथा नोन- प्लान इएपी घटक (₹ 17 करोड़) के अन्तर्गत पूंजीगत अस्तियों के सृजन हेतु (₹ 110 करोड़) के लिए राज्य सरकारों को सहायता अनुदान उपलब्ध करना हेतु।	(b) For providing Grants-in-aid to State Governments towards Grants for creation of Capital Assets (₹ 110 crore) under EAP component of National Ganga River Basin Authority and Non-EAP component (₹ 17 crore) under National River Conservation			
<b>()</b>	Plan.	127.00	-	127.00
(ग) नेशनल रिवर कंजरवेशन प्लान के ईएपी घटक के अन्तर्गत पूंजीगत पीसंपत्तियों (₹ 72 करोड़) तथा सामान्य सहायता अनूदान (₹ 8 करोड़) के अनुदान व्यय को पूरा करना।	(c) For meeting expenditure towards Grants for creation of Capital Assets (₹ 72 crore) and Grants-in-aid General (₹ 8 crore) under EAP component of			
3 4	National River Conservation Plan.	80.00	-	80.00
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT			
107 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	107 Ministry of Women and Child			
(क) (i) नेशनल कमीशन फार वूमेन की पूंजीगत आस्तियों के सृजन (₹9.08 करोड़); (ii) जेडंर बजटिंग के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम (₹0.22 करोड़) के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान उपलब्ध कराना तथा (iii) बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं व्यय को पूरा	Development  (a) For (i) providing Grant for Creation of Capital Assets to National Commission for Women (₹ 9.08 crore); (ii) training programme under Gender Budgeting (₹ 0.22 crore) and (iii) meeting expenditure Beti Bachao Beti Padhao			
करना ( <b>₹</b> 13.50 करोड़)। (ख) नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ पब्लिक कोआपरेशन	(₹ 13.50 crore) (b) Grants to National Institute of Public	22.80	-	22.80
एण्ड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए अनुदान (₹4.60 करोड़) तथा केंद्रीय समाज कल्याण	Cooperation and Child Development (₹ 4.60 crore) and Grants to Central			
बोर्ड को अनुदान (₹3.25 करोड़)।	Social Welfare Board (₹ 3.25 crore)	-	7.85	7.85
(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्तर्गत परियोजनाओं/स्कीमों के प्रावधान संवर्द्धन हेतु।	(c) For augmentation of provisions of projects/schemes under North Eastern		,	, 103
	Areas	1.58	-	1.58

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	न जोड़ Total
यूवा मामलें और खेल मंत्रालय	MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS			
(क) राजीवगाधीं नेशनल इंस्टीट्यूट आफ यूथ डेवलपमेंट (₹ 1.70 करोड़) (ii) जबाहर इंस्टीट्यूट आफ माउंटेनियरिंग एण्डं हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट (₹ 5.23 करोड़); (iii) नेहरु युवा संगठन को अनुवान (₹ 17.55 करोड़) (iv) लक्ष्मीबार्ड नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फिजिकल एजूकेशन, ग्यालियर को पूंजीगत परिसंपत्तियां के सृजन हेतु अनुवान (₹ 10 करोड़) (v) नेशनल स्पोर्ट्स फेडरशेन को सामान्य सहायता अनुवान (₹ 10 करोड़) (vi) विशेष नकद पुरस्कार स्कीम के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुवान (₹ 10 करोड़) (vii) नेशनल एंटीडोपिंग एजेंसी को सामान्य सहायता अनुवान (₹ 3 करोड़) तथा (viii) स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना हेतु सामान्य सहायता अनुवान (₹ 25 करोड़)।	108 Ministry of Youth Affairs and Sports  (a) For meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹ 1.70 crore) to Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development; (ii) contribution to Jawahar Institute of Mountaineering & Himalayan Mountaineering Institute (₹ 5.23 crore); (iii) Grants (₹ 17.55 crore) to Nehru Yuva Kendra Sangathan; (iv) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 10 crore) to Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior; (v) Grants-in-aid General (₹ 10 crore) towards Assistance to National Sports Fedarations; (vi) Grants-in-aid General (₹ 10 crore) under the scheme of Special Cash Awards; (vii) Grants-in-aid General (₹ 3 crore) to National Anti Doping Agency and (viii) Grants-in-aid General (₹ 25 crore) for setting up of Junior Sports Academies	82.48	_	82.48
<ul> <li>(ख) राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट आफ यूथ डेवलपमेंट के लिए अनुदान</li> <li>(ग) (i) नेशनल प्रोग्राम फार यूथ एण्ड एडालेसेंट डेवलपमेंट स्कीम (₹ 5 करोड़); (ii) नेशनल सर्विस स्कीम (₹ 2.50 करोड़); (iii) नेहरु युवा संगठन (₹ 1.95 करोड़) तथा (iv) लक्ष्मी बार्ड नेशनल इंस्टीट्यूट और फिजिकल एजूकेशन को पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 20 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान के व्यय को पूरा करने हेतु।</li> </ul>	<ul> <li>(b) Grants to Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development</li> <li>(c) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General for (i) Scheme of National Programme for Youth and Adolescent Development (₹ 5 crore); (ii) National Service Scheme (₹ 2.50 crore); (iii) Nehru Yuva Kendra Sangathan (₹ 1.95 crore) and (iv) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 20 crore) to Lakshmi Bai National</li> </ul>	-	6.43	6.43
(घ) नेशनल सर्विस स्कीम के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	Institute of Physical Education  (d) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General under National Service Scheme	29.45 27.80	<u>-</u>	29.45 27.80
कुल सांकेतिक	Total Token	0.63	0.36	0.99
कुल योग	GRANDTOTAL	1,638.04	10,891.44	12,529.48
निवल नकद प्रवाह	Net Cash Outgo	-	500.71	500.71
तकनीकी पूरक	Technical Supplementary	1,637.41	10,390.37	12,027.78
सांकेतिक पूरक	Token Supplementary	0.63	0.36	0.99

## विषय सूची CONTENTS

					(	करोड़ रुपए ।	Rupees in	crore)
					राजस्व	पूंजी	, जोड़	पृष्ट
मांग संख्या और शीर्षक			No. and Title of Demand		Revenue	Capital	Total	Page
कृषि मंत्रालय		MI	NISTRY OF AGRICULTURE					
1 कृषि और सहकारिता		1.	Department of Agriculture and					
विभाग	स्वीकृत		Cooperation	Voted	0.01	•••	0.01	1
2. कृषि अनुसंघान तथा		2.	Department of Agricultural Research					
शिक्षा विभाग	स्वीकृत		and Education	Voted	0.02		0.02	2
3. पशु पालन और डेयरी कार्य		3.	Department of Animal Husbandry,					
तथा मात्स्यिकी विभाग	स्वीकृत		Dairying and Fisheries	Voted	0.01		0.01	3
परमाणु ऊर्जा विभाग		DE	PARTMENT OF ATOMIC ENERGY					
4 परमाणु ऊर्जा	स्वीकृत	4.	Atomic Energy	Voted		0.01	0.01	4
रसायन और उर्वरक मंत्रालय		MI	NISTRY OF CHEMICALS					
			AND FERTILISERS					
7 उर्वरक विभाग	स्वीकृत	7.	Department of Fertilisers	Voted	0.01		0.01	5
8 फार्मास्युटिकल विभाग	स्वीकृत	8.	Department of Pharmaceuticals	Voted		9.67	9.67	6
नागर विमानन मंत्रालय		MI	NISTRY OF CIVIL AVIATION					
9 नागर विमानन मंत्रालय	स्वीकृत	9.	Ministry of Civil Aviation	Voted	0.01	5.00	5.01	7
वाणिज्य और उद्योग		MI	NISTRY OF COMMERCE					
मंत्रालय			AND INDUSTRY					
11 वाणिज्य विभाग	स्वीकृत	11.	Department of Commerce	Voted		160.00	160.00	8
12 औद्योगिक नीति तथा		12.	Department of Industrial Policy					
संवर्धन विभाग	भारित		and Promotion	Charged	0.25		0.25	9
	स्वीकृत			Voted	89.01		89.01	
संचार और सूचना		MI	NISTRY OF COMMUNICATIONS					
प्रौद्योगिकी			AND INFORMATION					
मंत्रालय			TECHNOLOGY					
13 डाक विभाग	भारित	13.	Department of Posts	Charged	3.43	2.26	5.69	10-11
	स्वीकृत			Voted		0.01	0.01	
14 दूरसंचार विभाग	भारित	14.	Department of Telecommunications	Charged	254.65		254.65	12
15 आणविक और सूचना		15.	Department of Electronics and					
प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत		Information Technology	Voted	0.01		0.01	13
उपभोक्ता मामले,		MI	NISTRY OF CONSUMER AFFAIRS,					
खाद्य और सार्वजनिक			FOOD AND					
वितरण मंत्रालय			PUBLIC DISTRIBUTION					
16 उपभोक्ता मामले विभाग	स्वीकृत	16.	Department of Consumer Affairs	Voted	0.02		0.02	14
17 खाद्य और सार्वजनिक		17.	Department of Food and					
वितरण विभाग	स्वीकृत		Public Distribution	Voted	0.01	0.01	0.02	15
संस्कृति मंत्रालय			NISTRY OF CULTURE					
19. संस्कृति मंत्रालय	स्वीकृत	19.	Ministry of Culture	Voted	0.04		0.04	16-18

(करोड़ रुपए Rupees in crore) राजस्व पूंजी जोड पृष्ट मांग संख्या और शीर्षक No. and Title of Demand Revenue Capital **Total** Page MINISTRY OF DEFENCE रक्षा मंत्रालय 20. रक्षा मंत्रालय स्वीकृत 20. Ministry of Defence 3000.00 3000.00 19 Voted पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास MINISTRY OF DEVELOPMENT OF मंत्रालय NORTH EASTERN REGION पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास 28. Ministry of Development of मंत्रालय स्वीकृत North Eastern Region Voted 0.02 2.50 2.52 20 MINISTRY OF DRINKING WATER पेय जल एवं स्वच्छता AND SANITATION मंत्रालय पेय जल एवं स्वच्छता 29. Ministry of Drinking Water 29 मंत्रालय स्वीकृत and Sanitation Voted 110.65 110.65 21 पर्यावरण और वन MINISTRY OF ENVIRONMENT मंत्रालय AND FORESTS पर्यावरण और वन मंत्रालय स्वीकृत 31. Ministry of Environment and Forests Voted 84.01 84.01 22 विदेश मंत्रालय MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 32 विदेश मंत्रालय स्वीकृत 32. Ministry of External Affairs Voted 0.01 0.01 23 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE आर्थिक कार्य विभाग स्वीकृत 33. Department of Economic Affairs Voted 4.92 6244.71 6249.63 24-25 वित्तीय सेवा विभाग स्वीकृत 34. Department of Financial Services Voted 0.01 145.01 145.02 26-27 खाद्य प्रसंस्करण MINISTRY OF FOOD उद्योग मंत्रालय PROCESSING INDUSTRIES 46. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वीकृत 46. Ministry of Food Processing Industries Voted 0.01 0.01 28 स्वास्थ्य एवं परिवार MINISTRY OF HEALTH कल्याण मंत्रालय AND FAMILY WELFARE स्वास्थ्य और परिवार 47. Department of Health कल्याण विभाग स्वीकृत and Family Welfare Voted 0.07 0.02 0.09 29-34 स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग 49. Department of Health Research Voted 0.03 0.03 35-36 भारी उद्योग और सरकारी MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES तराम मंत्रालय AND PUBLIC ENTERPRISES भारी उद्योग विभाग भारित 51. Department of Heavy Industry 25.08 25.08 37-38 Charged स्वीकृत 409.70 90.02 499.72 Voted गृह मंत्रालय MINISTRY OF HOME AFFAIRS मंत्रीमंडल स्वीकृत 54. Cabinet 0.01 0.01 Voted 39 स्वीकृत 55. Police पुलिस Voted 0.02 0.02 0.04 40 55 आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन MINISTRY OF HOUSING AND मंत्रालय URBAN POVERTY ALLEVIATION 58. आवास और शहरी गरीबी 58. Ministry of Housing and उन्मूलन मंत्रालय स्वीकृत Urban Poverty Alleviation Voted 0.03 0.03 41 मानव संसाधन विकास MINISTRY OF HUMAN RESOURCE मंत्रालय DEVELOPMENT स्कूली शिक्षा और 59. Department of School Education साक्षरता विभाग स्वीकृत and Literacy Voted 0.02 0.02 42

(करोड़ रुपए Rupees in crore) राजस्व पूंजी जोड पृष्ट मांग संख्या और शीर्षक No. and Title of Demand Revenue Capital **Total** Page 60 उच्च शिक्षा विभाग स्वीकृत 60. Department of Higher Education 0.03 0.03 Voted 43 श्रम और रोजगार MINISTRY OF LABOUR मंत्रालय AND EMPLOYMENT 62. श्रम और रोजगार मंत्रालय स्वीकृत 62. Ministry of Labour and Employment Voted 0.03 0.03 44-45 सूक्ष्म, लघु और मध्यम MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES उद्यम मंत्रालय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम 66. Ministry of Micro, Small मंत्रालय स्वीकृत and Medium Enterprises Voted 0.01 0.01 46 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS 68 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय स्वीकृत 68. Ministry of Minority Affairs Voted 0.04 0.04 47-48 नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा MINISTRY OF NEW AND मंत्रालय RENEWABLE ENERGY 69. नवीन तथा नवीकरणीय 69. Ministry of New and ऊर्जा मंत्रालय स्वीकृत Renewable Energy Voted 323.00 200.00 523.00 49-50 अप्रवासी भारतीय MINISTRY OF OVERSEAS मंत्रालय INDIAN AFFAIRS 70 अप्रवासी भारतीय मंत्रालय स्वीकृत 70. Ministry of Overseas Indian Affairs Voted 5.00 5.00 51 कार्मिक, लोक शिकायत MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC और पेंशन मंत्रालय **GRIEVANCES AND PENSIONS** 73 कार्मिक, लोक 73. Ministry of Personnel, Public शिकायत और पेंशन मंत्रालय स्वीकृत Grievances and Pensions Voted 0.01 0.01 52 पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक MINISTRY OF PETROLEUM मंत्रालय AND NATURAL GAS पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस 75. Ministry of Petroleum मंत्रालय स्वीकृत and Natural Gas Voted 0.01 0.01 53 MINISTRY OF PLANNING योजना मंत्रालय 76. योजना मंत्रालय स्वीकृत 76. Ministry of Planning 7.99 7.99 Voted 54 विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER 77 विद्युत मंत्रालय स्वीकृत 77. Ministry of Power Voted 398.01 398.01 55 सडक परिवहन और MINISTRY OF ROAD TRANSPORT राजमार्ग मंत्रालय AND HIGHWAYS 83. सड़क परिवहन और 83. Ministry of Road Transport राजमार्ग मंत्रालय स्वीकृत 500.01 and Highways 500.01 Voted 56 विज्ञान और प्रौद्योगिकी MINISTRY OF SCIENCE मंत्रालय AND TECHNOLOGY 88. जैव प्रौद्योगिकी विभाग स्वीकृत 88. Department of Biotechnology Voted 0.01 0.01 57 नौवहन मंत्रालय MINISTRY OF SHIPPING 89. नौवहन मंत्रालय स्वीकृत 0.01 0.01 0.02 89. Ministry of Shipping Voted 58

(करोड़ रुपए Rupees in crore) जोड राजस्व पूंजी पृष्ट मांग संख्या और शीर्षक No. and Title of Demand Capital Revenue **Total** Page सामाजिक न्याय और MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE अधिकारिता मंत्रालय AND EMPOWERMENT 90 सामाजिक न्याय और 90. Department of Social Justice स्वीकृत अधिकारिता विभाग 200.00 and Empowerment Voted 200.00 59 अंतरिक्ष विभाग DEPARTMENT OF SPACE 92. अंतरिक्ष विभाग स्वीकृत 92. Department of Space Voted 0.02 0.02 60 वस्त्र मंत्रालय MINISTRY OF TEXTILES 95 वस्त्र मंत्रालय स्वीकृत 95. Ministry of Textiles Charged 20.51 20.51 61-62 Voted 0.03 0.03 संघ राज्य क्षेत्र **UNION TERRITORIES** (विधान मंडल रहित) WITHOUT LEGISLATURE 98 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्वीकृत 98. Andaman and Nicobar Islands 85.96 0.01 85.97 Voted 63 102 लक्षद्वीप स्वीकृत 102. Lakshadweep Voted 0.05 0.05 64-65 ... शहरी विकास मंत्रालय MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT 103 शहरी विकास विभाग भारित 103. Department of Urban Development Charged 2.37 41.50 43.87 66-67 स्वीकृत Voted 0.03 0.02 0.05 104 लोक निर्माण कार्य स्वीकृत 104. Public Works Voted 90.00 0.01 90.01 68 105 लेखन एवं मुद्रण स्वीकृत 0.13 105. Stationery And Printing Charged 0.13 69 जल संसाधन मंत्रालय MINISTRY OF WATER RESOURCES 106 जल संसाधन मंत्रालय 106. Ministry of Water Resources Charged 13.26 13.26 70-71 0.03 0.03 Voted महिला और बाल MINISTRY OF WOMEN AND विकास मंत्रालय CHILD DEVELOPMENT 107 महिला और बाल 107. Ministry of Women and विकास मंत्रालय स्वीकृत 0.03 0.03 Child Development Voted 72-73 युवा मामले और MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS खेल मंत्रालय AND SPORTS स्वीकृत 108 युवा मामले और खेल मंत्रालय 108. Ministry of Youth Affairs and Sports Voted 0.04 0.04 74-75 कुल जोड़ **GRAND TOTAL** 5390.62 7138.86 12529.48 भारित 294.60 68.84 363.44 Charged स्वीकृत Voted 5096.02 7070.02 12166.04 अनुबंध ANNEXURE 76-87

## कृषि और सहकारिता विभाग

#### DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 1 देखिये)

(See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) पूंजी जोड राजस्व Revenue Capital Total I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: स्वीकृत: 22603.06 49.19 22652.25 Voted: इस समय आवश्यक रकम का प्रक Supplementary Estimate of the amount now अन्मान: required: स्वीकृत: Voted: 0.01 0.01 22603.07 22652.26 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 49.19 II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head: आयोजना आयोजना-जोड़ Plan भिन्न Total Non-Plan राजस्व भाग REVENUE SECTION म्ख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 2401 - कृषि कार्य स्वीकृत: 2401 -Crop Husbandry Voted: 0.01 0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) कृषि विस्तार उप-मिशन (केंद्रीय प्रायोजित स्कीम) के अंतर्गत सामान्य सहायता अन्दान (₹ 2.00 करोइ)प्रदान करना।
- (ii) कृषि विस्तार (केन्द्र प्रयोजित स्कीम) उप मिशन के तहत आई टी संबंधी घटकों, जैसे पीआईसीओ प्रोजेक्टर, हाथ से पकड़ने वाले उपकरणों के लिए कार्यालय व्यय के तहत जरूरत को पूरा करने के लिए (₹ 43.00 करोड़)अनुदान ।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

- (i) providing Grants-in-aid-General (₹ 2.00 crore) under Sub-Mission on Agriculture Extension (Centrally Sponsored Scheme).
- (ii) meeting requirement (₹ 43.00 crore) under Office Expenses for IT related components, viz. PICO Projector, Hand Held Devices under Sub-Mission on Agriculture Extension (Centrally Sponsored Scheme).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

## कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग

## DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 2 देखिये)

(See page 2 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

						(	'करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
					राजस्व		पूंजी	जोड़
					Revenue		Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:			Voted:	6144.39			6144.39
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the	ne amount no	ow				
अनुमान:		required:						
	स्वीकृत:			Voted:	0.02		•••	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplemental	ry)		6144.41			6144.41
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब नि	ोम्नलिखित मु	<b></b> छ्य शीर्षों के अंतर्ग	त दिखाया जार	येगा:		
		II. This Supplementary Grant	will be acco	unted for under	the following	Major H	eads:	
					आयोजना		आयोजना-	जोड़
					Plan		भिन्न	Total
							Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2415 - कृषि अनुसंधान और शिक्षा	स्वीकृत:	2415 -Agricultural Research	and Education	n Voted:	0.01	(कa)	•••	0.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas		Voted:	0.01	(खb)		0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)		Voted:	0.02			0.02
	मपेक्षित है:		The supple	ementary grants	are require	d for:		
(क) "उत्कृष्ट संस्थान, झारखंड" स	कीम के तहत	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को	(a) Gra	ants-in-aid Ger	neral (₹ 0.	.01 crore	e) to Indian	Council of
सामान्य सहायता अनुदान (१	₹ 0.01 करोड़)।		_	ricultural Resea arkhand".	rch under th	e scheme	e, "Institution of	Excellence,
अनुदान के उसी भाग में उप	त्रब्ध बचतों को	देखते ह्ए सांकेतिक पूरक अपेक्षित	Tal	king into accour	nt the savin	gs availa	ble in the same	e section of
ै है।		J .	the	Grant, a token	supplement	ary is sou	ıght.	
(ख) "उत्कृष्ट संस्थान, असम" स्व	निम के तहत भ	गरतीय कृषि अन्संधान परिषद को					e) to Indian	Council of
सामान्य सहायता अनुदान (१		Ç Ş	_	ricultural Resea sam".	rch under th	e scheme	e, "Institution of	Excellence,
अनुदान के उसी भाग में उप है।	न्नब्ध बचतों को	देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित	Tal			-	ble in the same	e section of

## पशु पालन और डेयरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग

## DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 3 देखिये)

(See page 3 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

					es in Crore)	
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	2726.13	20.18	2746.31
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		2726.14	20.18	2746.32
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य	शीर्ष के अंतर्गत दि	खाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be account	ed for under the	following Majo	or Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2403 - पशु पालन	स्वीकृत:	2403 -Animal Husbandry	Voted:	0.01		0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) राष्ट्रीय पशुधन मिशन की अतिरिक्त मांग (₹ 34.35 करोड़)पूरी करना।।
- (ii) भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद की पेशेवर दक्षता विकास की अतिरिक्त मांग (₹ 0.30 करोड़)पूरी करना।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते ह्ए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

- (i) meeting additional demand (₹ 34.35 crore) of National Livestock Mission.
- (ii) meeting additional demand (₹ 0.30 crore) of Veterinary Council of India for Professional Efficiency Development.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

## परमाणु ऊर्जा

#### ATOMIC ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 4 देखिये)

(See page 4 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) पूंजी जोड़ राजस्व Revenue Capital Total I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: भारित: 11.00 12.00 Charged: 1.00 स्वीकृत: Voted: 6829.02 4408.42 11237.44 इस समय आवश्यक रकम का प्रक Supplementary Estimate of the amount now अन्मान: required: 0.01 0.01 स्वीकृत: Voted: जोड़ (मूल और पूरक) 6830.02 4419.43 11249.45 Total (Original plus Supplementary) भारित: Charged: 1.00 11.00 12.00 स्वीकृत: 4408.43 Voted: 6829.02 11237.45 II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head: आयोजना आयोजना-जोड़ Plan भिन्न Total Non-Plan पूंजी भाग **CAPITAL SECTION** मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** स्वीकृत: 5401 - परमाण् ऊर्जा अन्संधान पर पूंजी 5401 - Capital Outlay on Atomic Energy Voted: 0.01 0.01 परिव्यय Research यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: The supplementary grant is required for: भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 300.00 meeting additional expenditure (₹ 300.00 crore) of Bhabha Atomic करोड़) Research Centre. अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है। Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

#### उर्वरक विभाग

#### **DEPARTMENT OF FERTILISERS**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 7 देखिये)

(See page 7 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) पूंजी जोड़ राजस्व Revenue Capital Total ।. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: स्वीकृत: 77112.30 87.70 77200.00 Voted: इस समय आवश्यक रकम का पूरक Supplementary Estimate of the amount now अनुमान: required: स्वीकृत: Voted: 0.01 0.01 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 77112.31 87.70 77200.01 II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head: जोड़ आयोजना आयोजना-Plan भिन्न Total Non-Plan राजस्व भाग **REVENUE SECTION** मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 2852 - उद्योग स्वीकृत: 2852 -Industries Voted: 0.01 0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: स्वदेशी यूरिया को प्रदान करने हेतु ₹ 5000 करोड़। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

₹ 5000 crore to provide for Indigenous Urea.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

#### भेषज विभाग

#### **DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 8 देखिये)

(See page 8 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

					(करोड़ रुपये।	Rupees ii	n Crore)
				राजस्व	पूंजी		जोड़
				Revenue	Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	217.83	30.04		247.87
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now					
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:		Voted:		9.67		9.67
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		217.83	39.71		257.54
		॥. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष	के अंतर्गत दि	खाया जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accounted fo	r under the	following Maj	or Head:		
				आयोजना	आयोजना-		जोड़
				Plan	भिन्न		Total
					Non-Plan		
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
6857 - रसायन और भेषज उद्योगों के	स्वीकृत:	6857 - Loans for Chemical and Pharmaceutical	Voted:	•••	9.67	(कa)	9.67
लिए ऋण		Industries					

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के कर्मचारियों को वेतन के भुगतान के प्रयोजनार्थ ऋण के तौर पर भारत की समेकित निधि से ₹ 9.67 करोड़ के अग्रिम का रिकूपमेंट।

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपरोक्त में कोई नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary grant is required for:

(a) recoupment of an advance of ₹ 9.67 crore sanctioned from the Contingency Fund of India as loan to Hindustan Antibiotics Limited for the purpose of payment of salaries of its employees.

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

#### नागर विमानन मंत्रालय

#### MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 9 देखिये)

(See page 9 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

						(करोड़ रुपये	Rupees	in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	837.92		6540.10		7378.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now						
अनुमान:		required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		5.00		5.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		837.93		6545.10		7383.03
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य	शीर्षों के अंतर्ग	त दिखाया उ	जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accounted	ed for under	the follow	ing Major	Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
3053 - नागर विमानन	स्वीकृत:	3053 -Civil Aviation	Voted:			0.01	(कa)	0.01
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
5053 - नागर विमानन पर पूंजी	स्वीकृत:	5053 - Capital Outlay on Civil Aviation	Voted:	5.00	(खb)			5.00
परिव्यय								
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	5.00		0.01		5.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) 2010-11 तक प्रदत्त सब्सिडी के अनुसरण में वित्त वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (आईजीआरयूए) को सब्सिडी उपलब्ध कराना (₹ 13.60 करोड़)।
  अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित
  है।
- (ख) इसकी विभिन्न परियोजनाओं के नवीकरण के लिए होटल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया में निवेश(₹ 5.00 करोड़)। अनुदान के राजस्व भाग में उपलबध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपरोक्त में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) providing subsidy to Indira Gandhi Rashtriya Uran Academy(IGRUA) for the Financial Year 2011-12 and 2012-13 in continuation of the subsidy provided till 2010-11(₹ 13.60 crore).
  - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) investment in Hotel Corporation of India for renovation of its various projects (₹ 5.00 crore)
  - Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

## वाणिज्य विभाग

#### **DEPARTMENT OF COMMERCE**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 11 देखिये)

(See page 11 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) पूंजी जोड राजस्व Revenue Capital Total ।. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: भारित: 0.50 Charged: 0.50 स्वीकृत: Voted: 5552.00 304.50 5856.50 इस समय आवश्यक रकम का प्रक Supplementary Estimate of the amount now अन्मान: required: 160.00 स्वीकृत: Voted: 160.00 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 5552.50 464.50 6017.00 भारित: Charged: 0.50 0.50 स्वीकृत: Voted: 5552.00 464.50 6016.50 II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head: जोड आयोजना आयोजना-Plan भिन्न Total Non-Plan पूंजी भाग **CAPITAL SECTION** म्ख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 5453 - विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्धन स्वीकृत: 5453 - Capital Outlay on Foreign Trade and Voted: 160.00 160.00 पर पूंजी परिव्यय **Export Promotion** यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है: The supplementary grant is required for: डेवलपिंग एक्सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड अन्य एलाइड एक्टिविटीज के लिए राज्यों को Assistance to Scheme for Central Assistance to the States for developing केंद्रीय सहायता हेत् स्कीम को सहायता। export infrastructure and other allied activities. अनुदान के राजस्व भाग में अभ्यर्पित उपलब्ध बचतों को देखते हुए उपर्युक्त में अलग से Taking into account the surrender of savings available in the Revenue कोई नकद व्यय नहीं होगा। Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

## औदयोगिक नीति तथा संवर्धन विभाग

#### DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 12 देखिये) (See page 12 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	1839.27	105.75	1945.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित:		Charged:	0.25		0.25
	स्वीकृत:		Voted:	89.01		89.01
जोड़ (मूल और पूरक)	-	Total (Original plus Supplementary)		1928.53	105.75	2034.28
	भारित:		Charged:	0.25		0.25
	स्वीकृत:		Voted:	1928.28	105.75	2034.03
		II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नर्लि। II. This Supplementary Grant/Appropriation				eads:
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग						
		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	-	MAJOR HEAD		00.00	(=-)	00.00
	स्वीकृत:	MAJOR HEAD 2852 -Industries	Voted:	89.00	( <b>क</b> a)	89.00
_	स्वीकृत: <i>भारित:</i>	MAJOR HEAD	Voted: Charged:	89.00 <i>0.25</i>	(कa) <i>(खb)</i>	89.00 <i>0.25</i>
		MAJOR HEAD 2852 -Industries			` '	
2852 - उद्योग 2885 - उद्योग और खनिजों पर अन्य		MAJOR HEAD 2852 -Industries 2885 - Other Outlays on Industries and			` '	
2852 - उद्योग 2885 - उद्योग और खनिजों पर अन्य	भारित:	MAJOR HEAD 2852 -Industries 2885 - Other Outlays on Industries and	Charged:	0.25	( <b>ख</b> b)	0.25
2852 - उद्योग 2885 - उद्योग और खनिजों पर अन्य व्यय	भारित:	MAJOR HEAD 2852 -Industries 2885 - Other Outlays on Industries and Minerals	Charged:	0.25 0.01	(खb) (गc)	0.25 0.01

यह पूरक अन्दान/विनियोग निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) भारतीय विकास कार्यक्रम के तहत ₹ 70 करोड़ और 'मेक इन इंडिया' अभियान के लिए निवेश प्रोन्नित स्कीम के तहत ₹ 52.20 करोड़ का अतिरिक्त व्यय पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 33.20 करोड़ की बचत और अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 89 करोड़ की बचत जिसका अभ्यर्पण किया जाना है, के मद्देनजर जिसका तकनीकी पूरक अपेक्षित है।
- (ख) मेंसर्स स्वास्तिक ऊर्वरक और रसायन प्राइवेट लिमिटेड को भुगतान के लिए भारत की आकस्मिक निधि से अग्रिम की स्वीकृति हेतु रिकाउपमेंट के लिए निवेश सब्सिडी (ओल्ड) के तहत ₹ 0.25 करोड़ का अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु। चूंकि इसे अनुदान के स्वीकृत भाग में समान बचत से पूरा किया जाएगा, तकनीकी प्रक अपेक्षित है।
- (ग) पूर्वोत्तर औयोगिक और निवेश प्रोन्नित नीति (एनईआईपी)(₹ 35 करोइ)और परिवहन सब्सिडी स्कीम (₹ 24.50 करोइ) के तहत लंबित दावों के निपटान के लिए अतिरिक्त जरूरत पूरी करना, चूंिक अनुदान के इसी भाग में बचत उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant/appropriation are required for:

- (a) meeting additional expenditure of ₹ 70 crore under Indian Leather Development Programme and ₹ 52.20 crore under the scheme 'Investment Promotion' towards 'Make in India' campaign. Taking into account the saving of ₹ 33.20 available in the same section of the grant and saving of ₹ 89 crore available in the capital section of the grant, which will be surrendered, a technical supplementary is sought.
- b) meeting additional expenditure of ₹ 0.25 crore under Investment Subsidy (Old) for recoupment of the advance sanctioned from Contingency Fund of India for payment to M/s Swastik Fertilizers & Chemicals Pvt. Ltd. As this will be matched by savings in the voted section of the Grant, a technical supplementary is sought.
- meeting additional requirement to settle pending claims under North East Industrial and Investment Promotion Policy (NEIIP) (₹ 35 crore) and Transport Subsidy Scheme (₹ 24.50 crore). As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

#### डाक विभाग

#### **DEPARTMENT OF POSTS**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 13 देखिये)

(See page 13 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) पूंजी राजस्व जोड Capital Total Revenue I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: भारित: 0.20 0.20 Charged: स्वीकृत: Voted: 18141.35 518.30 18659.65 इस समय आवश्यक रकम का Supplementary Estimate of the amount पूरक अन्मान: now required: भारित: Charged: 3.43 2.26 5.69 स्वीकृत: Voted: 0.01 0.01 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 18144.98 520.57 18665.55 भारित: Charged: 3.63 2.26 5.89 स्वीकृत: Voted: 18141.35 518.31 18659.66 II. इस पूरक अन्दान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads: आयोजना जोद आयोजना-भिन्न Plan Total Non-Plan **REVENUE SECTION** राजस्व भाग म्ख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 3201 - डाक सेवाएं भारित: 3201 - Postal Services (कa) Charged: 3.43 343 पूंजी भाग CAPITAL SECTION म्ख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 5201 - डाक सेवाओं पर प्ंजी भारित: 5201 - Capital Outlay on Postal Services (खb) Charged: 2.26 2.26 परिव्यय स्वीकृत: 0.01 Voted: 0.01 (गc) जोड़ (पूंजी भाग) Total (Capital Section) 2.27 2.27 जोड़ (पूरक) Total (Supplementary) 2.27 3.43 5.70 भारित: Charged: 2.26 3.43 5.69 स्वीकृत: Voted: 0.01 0.01

यह पूरक अन्दान/विनियोग निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) (i) आईजॉल (मिजोरम) में काम कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को (₹ 1.66 करोड़) मुआवजे के भुगतान के लिए, (ii) हैदराबाद में अम्बरपेट डाक घर कार्यालय के संबंध में मध्यस्थ द्वारा दिए जाने गए किराए के बकाया के भुगतान के लिए (₹ 0.31 करोड़), (iii) न्यायालय के फैसले के तहत मैसर्स ट्राइंगल मेनेजमेन्ट कम्पनी, लंदन के पेशेवरों को व्यय भुगतान के लिए (₹ 1.44 करोड़) और (iv) तमिलनाडु न्यायालय के फैसले के तहत भुगतान (₹ 0.02 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध होने के कारण तकनीकी पूरक ₹ 3.43 करोड़ अपेक्षित है।
- (ख) केरल में भूमि अधिग्रहण के बढ़े हुए मुआवजे के भुगतान के लिए और आंध्र प्रदेश, तमिलनाड़ और उत्तर प्रदेश में भूमि अधिग्रहण के बढ़े हुए मुआवजे और

The supplementary grant/appropriation are required for:

- (a) (i) payment of compensation (₹ 1.66 crore) to Central Government Employees working at Aizawl (Mizoram); (ii) payment of arrears of rent awarded by the Arbitrator in respect of Amberpet Post Office building in Hyderabad(₹ 0.31 crore);(iii) payment of professional charges to M/s Triangle Management Company, London arising out of Court judgement (₹ 1.44 crore); and (iv) payment arising out of Court judgement in Tamil Nadu (₹ 0.02 crore). As savings are available in the Revenue-Voted section of the grant, technical supplementary of ₹ 3.43 crore is sought;
- (b) for making payment of enhanced compensation for land acquisition in Kerala and payment of arrears of cost of land and

#### अनुदानों की पूरक मांगे, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

- भूमि खर्च के बकाया के भुगतान के लिए (₹ 2.26 करोड़)। चूंकि अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, तकनीकी पूरक मांगा गया है।
- (ग) पोस्टल लाईफ इश्योरेंस के निवेश कंप्यूटरीकरण के व्यय को पूरा करने के लिए
   ₹ 0.20 करोड़ व्यय पूरा करना। अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध होने के कारण सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- payment of enhanced compensation on acquisition of land in Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Uttar Pradesh (₹ 2.26 crore). As savings are available in the Voted section of the grant, a technical supplementary is sought;
- meeting an expenditure of ₹ 0.20 crore towards computerization of Investment Division of Postal Life Insurance. As the savings are available in same section of the grant, a token supplementary is sought.

## दूरसंचार विभाग

#### **DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 14 देखिये)

(See page 14 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(		······································	/				
				(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
				राजस्व	पूंजी		जोड़
				Revenue	Capital		Total
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
. •	स्वीकृत:		Voted:	14267.06	3798.00		18065.06
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now					
अनुमान:		required:					
	भारित:		Charged:	254.65	***		254.65
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		14521.71	3798.00		18319.71
	भारित:		Charged:	<i>254.65</i>	***		<i>254.65</i>
	स्वीकृत:		Voted:	14267.06	3798.00		18065.06
		II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
		II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:					
				आयोजना	आयोजना-		जोड़
				Plan	भिन्न		Total
					Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
3451 - सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	भारित:	3451 - Secretariat-Economic Services	Charged:		89.65	(कa)	89.65
3275 - अन्य संचार सेवाएं	भारित:	3275 - Other Communication Services	Charged:		165.00	(खb)	165.00
जोड़ (पूरक)	भारित:	Total (Supplementary)	Charged:	•••	254.65		254.65

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) मध्यस्थता पुरस्कार दिनांक 12.10.2007 के तहत हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनीकेशन लि. (एचएफसीएल) को ₹ 89.65 करोड़ का भुगतान। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, जोकि अभ्यर्पित की जाएंगी, तकनीकी पूरक अपेक्षित है।
- (ख) उच्चतम न्यायालय के दिनांक 29.8.2014 के आदेश के तहत मेसर्स भारतीय दूरभाष उद्योग लिमिटिड के कर्मचारियों के वेतन के बकाया के भुगतान के लिए (₹ 165 करोड़)। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, जोिक अभ्यर्पित की जाएंगी, तकनीकी पूरक अपेक्षित है।

The supplementary appropriations are required for:

- (a) payment of ₹ 89.65 crore to Himachal Futuristic Communications Ltd. (HFCL)as per Arbitration Award dated 12.10.2007. Taking into account the savings available under the Capital side, which will be surrendered, a technical supplementary is sought
- (b) payment of arrears of pay (₹ 165 crore) to employees of M/s Indian Telephone Industries Ltd. arising out of Supreme Court Order dated 29.8.2014.Taking into account the savings available under the Capital side, which will be surrendered, a technical supplementary is sought.

## इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

#### DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 15 देखिये)

(See page 15 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) पूंजी जोड राजस्व Revenue Capital Total I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: स्वीकृत: 3734.10 195.00 Voted: 3929.10 इस समय आवश्यक रकम का प्रक Supplementary Estimate of the amount now अन्मान: required: स्वीकृत: Voted: 0.01 0.01 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 3734.11 195.00 3929.11 II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head: आयोजना आयोजना-जोड़ Plan भिन्न Total Non-Plan राजस्व भाग **REVENUE SECTION** म्ख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 2852 - उद्योग 2852 -Industries Voted: 0.01 0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

इलेक्ट्रॉनिक शासन की स्कीमों/कार्यक्रमों के अन्तर्गत के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त जरूरत (₹ 73.15 करोड़) पूरी करना। इसमें ये भी शामिल हैं: (i) अच्छा शासन व सर्वश्रेष्ठ विधियों संबंधी कार्यक्रम और (ii) सभी विद्यालयों को अभासी कक्षाओं में समर्थ बनाने के कार्यक्रम सहित) इलेक्ट्रॉनिक्स शासन।

अन्दान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

Meeting additional expenditure (₹ 73.15 crore) under the schemes/programmes of Electronic Governance (including (i)Programme on Good Governance and Best Practices and (ii)Programme on enabling all schools with virtual classrooms) towards Grants-in-aid General in respect of Programme Component (Electronic Governance).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

## उपभोक्ता मामले विभाग

## **DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 16 देखिये)

(See page 16 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

					(9	करोड़ रुपये Rupees	s in Crore)
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	283.49		27.30	310.79
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now					
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.02			0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		283.51		27.30	310.81
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीष	ीं के अंतर्गत	दिखाया जाये	गा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted f	or under th	e following	Major He	eads:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(कa)		0.01
2852 - उद्योग	स्वीकृत:	2852 -Industries	Voted:	0.01	(खb)		0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02		•••	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) राष्ट्रीय मानकीकरण प्रणाली हेतु स्कीम के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.30 करोड़) के रूप में उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों और सिक्किम में प्रावधानों में वृद्धि। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक पार्थित है।
- (ख) राष्ट्रीय मानकीकरण प्रणाली हेतु स्कीम के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.73 करोड़) के रूप में अतिरिक्त आवश्यकता। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पुरक पार्थित है।

- (a) For augmentation of provision under NER and Sikkim as Grantsin-aid-General (₹ 0.30 cr.) for the Scheme National System for Standardization. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Additional requirement as Grants-in-aid-General (₹ 2.73 cr.) for the Scheme National System for Standardization. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

## खादय और सार्वजनिक वितरण विभाग

### DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 17 देखिये)

(See page 17 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) पूंजी जोड गजस्त Capital Total Revenue I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: स्वीकृत: 10678.25 126284.34 Voted: 115606.09 इस समय आवश्यक रकम का Supplementary Estimate of the amount पूरक अनुमान: now required: स्वीकृत: Voted: 0.01 0.01 0.02 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 115606.10 10678.26 126284.36 II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads: आयोजना आयोजना-जोड़ भिन्न Plan Total Non-Plan राजस्व भाग REVENUE SECTION म्ख्य शीर्ष MAJOR HEAD स्वीकृत: 2408 - खाद्य भंडारण और 2408 -Food Storage and Warehousing Voted: 0.01 (कa) 0.01 भाण्डागारण पूंजी भाग CAPITAL SECTION मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 6860 - उपभोक्ता उद्योगों के लिए 6860 - Loans for Consumer Industries Voted: 0.01 (खb) 0.01 ऋण जोड़ (पूरक) 0.01 0.01 स्वीकृत: 0.02 Total (Supplementary) Voted:

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) उपभोक्ता वस्तु बाजार हेतु नियामक ढांचा सुदृढ़ करने के लिए अंतरण योजना के निमित्त वेयर हाउसिंग विकास तथा नियामक प्राधिकरण को सहायता उपलब्ध कराना (₹ 6.90 करोड़)।
  - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) "सुगर मिलों के पुनर्वास/आधुनिकीरण" स्कीम के अन्तर्गत लंबित दावों के आधार पर चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को अतिरिक्त ऋणों का संवितरण (₹ 50.00 करोड़)।
  - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (a) providing assistance to Warehousing Development and Regulatory Authority (₹ 6.90 crore) to undertake transformation plan for strengthening of regulatory framework for commodity market.
  - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) additional loans to Public Sector and other Undertakings (₹ 50.00 crore) to be disbursed during the current financial year based on pending claims under the scheme "Rehabilitation/Modernization of Sugar Mills".
  - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

# संस्कृति मंत्रालय

# MINISTRY OF CULTURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 19 देखिये)

(See page 19 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

						(करोड़ रुपये	Rupees	in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	2443.00		68.00		2511.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now						
अनुमान:		required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.04				0.04
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		2443.04		68.00		2511.04
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य १	शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया उ	जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accounted	d for unde	r the followi	ing Major	Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2251 - सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	स्वीकृत:	2251 -Secretariat-Social Services	Voted:			0.01	(कa)	0.01
2205 - कला और संस्कृति	स्वीकृत:	2205 -Art and Culture	Voted:	0.01	(खb)	0.01	(गc)	0.02
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:			0.01	(घd)	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.01		0.03		0.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) संस्कृति मंत्रालय के अवर-सचिवालय को बजट शीर्ष 2251.00.090.07.03.31 के तहत गैर-आयोजन के तहत ₹ 0.01 करोड़ की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है -मुद्रास्फीति और कल्ब द्वारा संवर्धित मनोरंजन गतिविधियों के कारण मंत्रालय की मनोरंजन एवं खेल क्लब की अतिरिक्त धन प्रदान करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान।

> अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(ख) संस्कृति मंत्रालय के तहत स्वायत संगठन के रूप में केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, वाराणासी में नए भर्ती किए गए कर्मचारियों को भुगतान के लिए आयोजना के तहत वेतन सहायता अनुदान के रूप में ₹ 1.00 करोड़ की कुल अतिरिक्त राशि अपेक्षित है। 2. संस्कृति मंत्रालय के तहत स्वायत संगठन के रूप में नव नालंदा महाविद्यालय को पूंजीगत आस्तियों के मृजन कैंपस विस्तार और बाउंड्री की दीवार के निर्माण के लिए अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण हेतु आयोजना के तहत अनुदान के रूप में ₹ 6.15 करोड़ की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है। 3. इस स्कीम के तहत म्यूजियम के संकलन और म्यूजियम संबंधी विधाओं के लिए शैक्षिक सुविधाओं का डिजिटलीकरण स्कीम के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए सहायता अनुदान के रूप में आयोजना के तहत र ₹ 2.00 करोड़ की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है। 4. आयोजना के तहत नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को आयोजना के तहत निम्नानुसार ₹ 6.00 करोड़ की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है (i) देश के चार क्षेत्रों में भारतीय क्लासिकल थियेटर में प्रशिक्षण शुरु करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.50 करोड़) (ii) एनएसड़ी कैंपस पुननिर्मित

The supplementary grants are required for:

(a) Under Secretariat of the Ministry of Culture an additional amount of ₹ 0.01 crore is required under Non-Plan, under Budget Head 2251.00.090.07.03.31 – Grants in aid General for providing additional fund to Recreation and Sports Club of the Ministry, due to inflation and enhanced recreation activities by the Club.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

1. Central University of Tibetan Studies, Varanasi an Autonomous Organization under the Ministry of Culture requires total additional amount of ₹ 1.00 crore under Plan, as Grants-in-Aid Salaries for payment of newly recruited employees. 2. Nava Nalanda Mahavihara an autonomous organization under the Ministry of Culture requires additional amount of ₹ 6.15 crore under Plan as Grants for creation of Capital Assets, acquisition of additional land for expansion of Campus and construction of Boundary Wall. 3. Digitization of Museums collection and academic facilities for museum related disciplines – under this scheme, an additional amount of ₹ 2.00 crore is required under Plan as Grants in aid General, for meeting additional expenditure requirement under the scheme. 4. National School of Drama, an additional amount of

करने के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 5.00 करोड़) (iii) जनजातीय उप-आयोजना के तहत छत्तीसगढ़ में तीन जनजातीय उत्सवों के आयोजना हेत् सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.50 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(ग)

सांस्कृति मंत्रालय के तहत संबद्ध कायार्लय भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार (एनएआई) को निम्नलिखित विवरण के अनुसार गैर-आयोजना के तहत कुल ₹ 5.25 करोड़ की राशि अपेक्षित है: (i)बजट शीर्ष 2205.00.104.03.01.13 कार्यालय व्यय के तहत निम्नलिखित के व्यय हेत् ₹ 4.00 करोड़ की अतिरिक्त राशि (क) एनडीएमसी को विय्त प्रभार (₹ 3.36 करोड़) और जल प्रभार (₹ 1.76 करोड़) के बकाया का भगतान करने हेतु; (ख) पांडिचेरी, जयपुर, भोपाल, भ्वनेश्वर में एनएआईआरसी की आपूर्ति के विविध लंबित बिलों के भ्गतान के लिए (₹ 1.60 करोड़) (₹ 0.64 करोड़)(ii) 2009-10 से 2013-14 और वर्तमान वर्ष की शेष अवधि के "किराया दरों व करों" (₹ 0.95 करोड़) के बकाया बिलों के अनिवार्य भ्गतान के लिए ₹ 1.20 करोड़ की अतिरिक्त राशि (iii) कैंटीन स्टाफ आदि को वेतन के भ्गतान हेत् अन्य प्रशासनिक व्यय के तहत ₹ 0.05 करोड़ की अतिरिक्त राशि 2. मुल्यों के वृद्धि के कारण बिजली और पेट्रोल/डीजल बिलों के भुगतान के लिए सामान्य सहायता अनुदान के रूप में संस्कृति मंत्रालय के तहत स्वायत्त संगठन के रुप में केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, वाराणासी को ₹ 0.85 करोड़ की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है। 3. संस्कृति मंत्रालय के तहत स्वायत संगठन, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को सामान्य सहायता अनुदान के रूप में ₹ 5.20 करोड़ की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है जिसमें निम्नलिखित शामिल है: (i) अपर्याप्त निधियों के कारण भ्गतान लंबित रहने के पेंशनधारियों को पेंशन, मृत्यु के मामलों में सेवा सामाप्ति लाभों का भगतान हेत्(₹ 3.60 करोड़); (ii) (₹ 1.60 करोड़) सीजीएचएस अंशदान, और किराया व करों, बिजली, पानी, टेलीफोन, यूनिफार्म, मुद्रण लेखन सामग्री, पेट्रोल, पारिश्रमिक आदि के लिए। 4. संस्कृति मंत्रालय के तहत स्वायत संगठन, सालारजंग म्युजियम, हैदराबाद को सेवानिवृत्ति लाभ, बिजली व जल प्रभारों के भ्गतान के लिए सामान्य सहायता अनुदान के रूप में ₹ 1.00 करोड़ की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है। 5. संस्कृति मंत्रालय के तहत केंद्रीय हिमालयी सांस्कृतिक अध्ययन संस्थान, देबांग को स्वायत्त संगठन के रूप में प्रशासनिक व्यय में बढ़ोत्तरी के कारण सामान्य सहायता अनुदान के रूप में ₹ 0.43 करोड़ की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है। 6. सांस्कृतिक मंत्रालय के तहत स्वायत संगठन, विक्टोरिया मैमोरियल हॉल को 01.07.2007 से 31.12.2013 की अवधि के लिए जल व विय्त प्रभारों के लिए कोलकाता नगर निगम को भ्गतान के लिए सामान्य सहायता अनुदान के रूप ₹ 0.90 करोड़ की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है। 7. संस्कृति मंत्रालय के तहत स्वायत्त संगठन गांधी स्मृति दर्शन समिति, नई दिल्ली को जल, बिजली प्रभारों, पेंशनरों व सीजीएच आदि को अंशदान के भ्गतान के लिए सामान्य सहायता अन्दान के रूप में ₹ 0.48 करोड़ की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है। 8. संस्कृति मंत्रालय के तहत स्वायत्त संगठन राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता को सामान्य सहायता अन्दान के रूप में कुल ₹ 0.51 करोड़ की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है, जिसमें निम्नलिखित शामिल है:- (i) पेंशन और डीसीआरजी के भ्गतान के लिए (₹ 0.35 करोड़); (ii) स्टाफ कार के रख-रखाव, टेलीफोन बिलों के भ्गतान विभिन्न समिति की बैठक हेत् गैर-सरकारी सदस्यों के लिए यात्रा भत्ते के लिए ₹

₹ 6.00 crore is required under plan as under: (i) Grants in aid General (₹ 0.50 crore) for starting training Indian Classical Theatre in four regions in the Country. (ii) Grants for creation of capital assets (₹ 5.00 crore) for re-developing of NSD Campus. (iii) Grants in aid General under Tribal Sub Plan (₹ 0.50 crore) for holding three Tribal festival at Chhattisgarh.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

1. National Archives of India (NAI), an attached office under the Ministry of Culture, NAI requires total amount of ₹ 5.25 crore under Non Plan as per following details: (i) An additional amount of ₹ 4.00 crore under Budget Head 2205.00.104.03.01.13 office expenses for (a) ₹ 3.36 cr. in order to clear the arrears bill of electricity and water to NDMC (₹ 1.76 cr.); for payment of current electricity bills (₹ 1.60 cr.); (b) ₹ 0.64 cr. for payment of misc. bills pending payment to supplies of NAI RCs at Pondicherry, Jaipur, Bhopal and Bhubaneswar. (ii) An additional amount of ₹ 1.20 crore for mandatory payment of "Rent Rates & Taxes" (₹ 0.95 cr.) arrears bills for 2009-10 to 2013-14 and balance for the current year. (iii) An additional amount of ₹ 0.05 crore under "Other Administration Expenses" for payment of Salary to canteen staff etc. 2. Central University of Tibetan Studies, Varanasi an Autonomous Organization under the Ministry of Culture requires total additional amount of ₹ 0.85 crore as Grants-in-aid-General for payment of electricity and petrol/diesel bills due to hike in prices. 3. Delhi Public Library an Autonomous Organization under the Ministry of Culture requires total additional amount of ₹ 5.20 crore as Grants-in-aid-General, comprising of (i) payment of pension to Pensioners, terminal benefits in death cases kept in abeyance for payment due to insufficient funds (₹ 3.60 crore); (ii) (₹ 1.60 crore) towards CGHS contribution and payment of Rent and Taxes, electricity, water, telephone, uniform, printing, stationary, petrol, wages, etc. 4. Salarjung Museum, Hyderabad an Autonomous Organization under the Ministry of Culture requires additional amount of ₹ 1.00 crore as Grants-in-aid-General, for payment of retirement benefit, electricity and water charges. 5. Central Institute of Himalayan Cultural Studies, Dahung an Autonomous Organization under the Ministry of Culture requires total additional amount of ₹ 0.43 crore as Grants-in-aid-General due to increase in administrative expenses. 6. Victoria Memorial Hall, Kolkata an Autonomous Organization under the Ministry of Culture requires additional amount of ₹ 0.90 crore as Grants-in-aid-General, for payment to Kolkata Municipal corporation on account of water and electricity charges rent payment for the period 01.07.2007 to 31.12.2013. 7. Gandhi Samriti Darshan Samiti, New Delhi an Autonomous Organization under the Ministry of Culture requires additional amount of ₹ 0.48 crore as Grants-in-aid-General, for payment of water, electricity charges, contribution of pensioners

(d)

0.16 करोड़। 9. स्कीम के तहत एक संगठन अर्थात आर.के. मिशन को भगतान के लिए प्रतिबद्ध देयताएं प्री करने के लिए, संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित कला एवं संस्कृति प्रोन्निति को सामान्य सहायता अन्दान के रूप में ₹ 0.35 करोड़ की अतिरिक्त राशि की वित्तीय सहायता। 10. संस्कृति मंत्रालय के तहत स्वायत्त संगठन, एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता को बिजली, जल प्रभारों, टेलीफोन, नगर निगम करों, बिलों आदि के भ्गतान के लिए सामान्य सहायता अन्दान के रूप में ₹ 1.50 करोड़ की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है। 11. संस्कृति मंत्रालय के तहत स्वायत संगठन, इलाहाबाद म्यूजियम, इलाहबाद को बिजली, जल प्रभारों, टेलीफोन, नगर निगम करों, बिलों आदि के भगतान के लिए सामान्य सहायता अनुदान के रूप में ₹ 0.27 करोड़ की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है। 12. केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, वाराणसी, विक्टोरिया मैमोरियल हॉल, कोलकाता, राष्ट्रीय विज्ञान म्यूजियम परिषद, कोलकाता, गांधी स्मृति और दर्शन समिति और नेहरु मैमोरियल म्यूजियम एवं प्स्तकालय को बढ़े मंहगाई भत्ते, अन्य भत्तों और एजीपी/एमएसीपी के बकाया आदि के लिए वेतन भ्गतान हेत् वेतन सहायता अन्दान के रूप में ₹ 13.95 करोड़ की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(घ) भारतीय आर्कियालोजिकल सर्वे द्वारा संचालित, दिल्ली में एंटीक्टीज ऑफ ट्रिजरी एक्ट के संचालन, एंटीक्टीज ऑफ ट्रिजरी एक्ट, 1972 के कार्यान्वयन के लिए पंजीकरण अधिकारियों व उनके सहयोगी स्टाफ आदि को (विगत वितीय वर्ष 2013-14 के बकाया सिहत) वेतन की प्रतिपूर्ति के लिए गैर-आयोजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान के रूप में ₹ 1.10 करोड़ की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है। and CGHS, etc. 8. Raja Ram Mohan Roy Library Foundation, Kolkata an Autonomous Organization under the Ministry of Culture requires total additional amount of ₹ 0.51 crore as Grants-in-aid-General, comprising of (i) (₹ 0.35 crore) for payment of pension and DCRG (ii) ₹ 0.16 crore for maintenance of staff car, payment of telephone bills and traveling allowance for non-official members for different committee meeting. 9. Grants-in-Aid General meeting the committed liabilities for payment to R.K. Mission under 'Financial Assistance for Promotion of Art & Culture' (₹ 0.35 crore). 10. The Asiatic Society, Kolkata an Autonomous Organization under the Ministry of Culture requires additional amount of ₹ 1.50 crore as Grants-in-aid-General, for making payment of electricity, water charges, telephone, municipal taxes bills, etc. 11. Allahabad Museum, Allahabad an Autonomous Organization under the Ministry of Culture requires additional amount of ₹ 0.27 crore as Grants-in-aid-General for making payment of electricity, water charges, telephone, municipal taxes bills, etc. 12. An additional amount of ₹ 13.95 crore as "Grants-in-aid-Salaries" is required for Central University of Tibetan Studies, Varanasi, Victoria Memorial Hall, Kolkata, National Council of Science Museum, Kolkata, Gandhi Samriti and Darshan Samiti and Nehru Memorial Museum & Library for payment of Salaries on account of enhanced DA, other allowances & ACP/MACP arrears, etc.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Operation of Antiquities of Treasure Act in Delhi operated by the Archaeological Survey of India an additional amount of ₹ 1.10 crore under Non Plan, as Grants-in-aid-General is required for arrears of salaries (including arrears of last financial year 2013-14) to the Registering Officers and their supporting staff etc. for implementation of the Antiquities and Art Treasures Act, 1972.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

## रक्षा मंत्रालय

## MINISTRY OF DEFENCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 20 देखिये)

(See page 20 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

		•	·		(करोड़ रुपये Rupe	ees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:		Charged:	0.51		0.51
	स्वीकृत:		Voted:	14956.64	1620.72	16577.36
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	3000.00		3000.00
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		17957.15	1620.72	19577.87
	भारित:		Charged:	0.51	•••	0.51
	स्वीकृत:		Voted:	17956.64	1620.72	19577.36
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष	के अंतर्गत दि	खाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted for	or under the	following Majo	r Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2075 - विविध सामान्य सेवाएं	स्वीकृत:	2075 -Miscellaneous General Services	Voted:		3000.00	3000.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

कैंटीन स्टोर विभाग की 'आपूर्ति तथा सामग्री'विषयक ₹ 3000 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। इसे ₹ 3200 करोड़ की अतिरिक्त प्राप्तियों से पूरा किया जाएगा। The supplementary grant is required for:

meeting additional expenditure of  $\ref{thmost}$  3000 crore towards 'supplies & materials' of Canteen Stores Department. This will be matched by additional receipts of  $\ref{thmost}$  3200 crore.

# पूर्वीत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

## MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 28 देखिये)

(See page 28 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

						(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	2151.78		351.00	2502.78
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now					
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.02		2.50	2.52
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		2151.80		353.50	2505.30
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शी	र्षों के अंतर्ग	न दिखाया जा	येगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted	for under	the following	Major H	Heads:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	( <b>क</b> a)		0.01
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:	0.01	(खb)		0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	0.02		•••	0.02
पूंजी भाग	-	CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
- 4851 - ग्राम एवं लघ् उद्योगों पर पूंजी	स्वीकृत:	4851 - Capital Outlay on Village and Small	Voted:	2.50	(गc)		2.50
परिव्यय	Č	Industries					
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	2.52			2.52

(b)

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) पूर्वोत्तर ग्रामीण आजीविका परियोजना के तहत अतिरिक्त व्यय (₹ 60.00 करोड़)पूरा करना।
  - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) (i) 'पूर्वोत्तर राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम'के तहत देयताओं को पूरा करने हेत् अतिरिक्त जरूरत (₹ 80.00 करोड़) पूरी करना।
  - (ii) कारबी एनालॉग आटोनोमस टेरिटोरियल काउंसिल हेतु विशेष पैकेज (₹ 15.00 करोड़)।
  - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ग) हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमि. में इक्विटी निवेश (₹ 2.50 करोड़)।
  - अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद नहीं देना होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting additional expenditure (₹ 60.00 crore) under North Eastern Rural Livelihood Project.
  - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
  - (i) meeting additional expenditure (₹ 80.00 crore) to meet liabilities under 'North Eastern States Road Investment Programme'.
  - (ii) Special Package for Karbi Anglong Autonomous Territorial Council (₹ 15.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- equity investment in North Eastern Handicrafts and Handloom Development Corporation Limited (₹ 2.50 crore).
  - Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

## पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

### MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 29 देखिये)

(See page 29 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) पूंजी जोड राजस्व Revenue Capital Total I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: स्वीकृत: Voted: 15266.85 15266.85 इस समय आवश्यक रकम का Supplementary Estimate of the amount now पूरक अनुमान: required: स्वीकृत: Voted: 110.65 110.65 15377.50 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 15377.50 II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head: आयोजना-भिन्न जोड़ Plan Non-Plan Total REVENUE SECTION राजस्व भाग मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 3601 - राज्य सरकारों को स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments Voted: 110.65 110.65 सहायता टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अन्मानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है! Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure. राजस्व भाग **REVENUE SECTION** 3601 - राज्य सरकारों को 3601 - Grants-in-aid to State Governments (-) 110.65 (-) 110.65 सहायता

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

देश के 82 आईएपी जिलों में 10,000 ग्रामीण वासों में इयूल पाईप्ड वाटर सप्लाई स्कीम पर आधारित सौर ऊर्जा की स्थापना के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष से ₹ 110.65 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता। व्यय को नेशनल क्लीन एनर्जी फंड से पूरा किया जाएगा। तकनीकी पूरक अपेक्षित है। The supplementary grant is required for:

Additional requirement of ₹ 110.65 cr. for installation of Solar Energy based Dual Pump Piped Water Supply Scheme in 10,000 rural habitations in 82 IAP districts of the country. The expenditure will be met from the National Clean Energy Fund, a technical supplementary is sought.

## पर्यावरण और वन मंत्रालय

### MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 31 देखिये) (See page 31 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

						(करोड़ रुपये	Rupees	in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	2404.39		106.11		2510.50
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now						
अनुमान:		required:						
	स्वीकृत:		Voted:	84.01				84.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		2488.40		106.11		2594.51
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य १	शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया र	जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accounted	ed for unde	r the follow	ing Majo	r Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2406 - वानिकी और वन्य जीवन	स्वीकृत:	2406 -Forestry and Wild Life	Voted:			0.01	(कa)	0.01
3435 - पारिस्थितिकी और पर्यावरण	स्वीकृत:	3435 -Ecology and Environment	Voted:	15.00	(खb)			15.00
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:	69.00	(गc)			69.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	84.00		0.01		84.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) पशु कल्याण बोर्ड को वेतन सहायता अनुदान के अतिरिक्त खर्च (₹ 0.18 करोड़) को पूरा करना। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित ३।
- (ख) राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय (एनआरसीडी) के स्थापना संबंधी व्यय (₹ 6 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम (एनआरसीपी) के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 9 करोड़) पूरा करना और(iii) नेशनल एडेपशन फण्ड फार क्लाइमेंट चेंज के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 99.60 करोड़) और अन्य व्यय (₹ 0.40 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 100 करोड़ की बचत के मद्देनजर और अनुदान सं. 106 जल संसाधन मंत्रालय में ₹ 15 करोड़ की उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, तकनीकी पूरक अपेक्षित है, जिसमें कोई नकद नहीं देना होगा।

(ग) राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के व्यय हेतु अनुदान (₹ 69 करोड़) पूरा करना। अनुदान सं. 106 जल संसाधन मंत्रालय में ₹ 69 करोड़ की उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण के मद्देनजर, तकनीकी पूरक अपेक्षित है, जिसमें कोई नकद नहीं देना होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) Meeting additional expenditure (₹ 0.18 crore) towards Grants-inaid Salaries to Animal Welfare Board.
  - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) Meeting Establishment related expenditure (₹ 6 crore) of National River Conservation Directorate (NRCD); (ii) Grants-in-aid General (₹ 9 crore) under National River Conservation Programme (NRCP) and (iii) Grants-in-aid General (₹ 99.60 crore) and other expenditure (₹ 0.40 crore) under National Adaptation Fund for Climate Change.

Taking into account the savings of ₹ 100 crore available within the same section of the Grant and savings of ₹ 15 crore available in the Grant No. 106 Ministry of Water Resources, which will be surrendered, a technical supplementary is sought, which will not entail cash outgo.

Meeting expenditure towards Grants for creation of Capital Assets (₹ 69 crore) under National River Conservation Programme.

Taking into account the surrender of savings of ₹ 69 crore available in the Grant No. 106 Ministry of Water Resources, which will be surrendered, a technical supplementary is sought, which will not entail cash outgo.

# विदेश मंत्रालय

# MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 32 देखिये)

(See page 32 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

					(करोड़ रुपये Rup	ees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:		Charged:	0.03	•••	0.03
	स्वीकृत:		Voted:	11264.35	3466.01	14730.36
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of th	ne amount now			
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	· ·	Total (Original plus Supplementar	у)	11264.39	3466.01	14730.40
	भारित:		Charged:	0.03	•••	0.03
	स्वीकृत:		Voted:	11264.36	3466.01	14730.37
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब नि	म्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत वि	रेखाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant	will be accounted for under the	following Major	Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2061 - विदेशी मामले	स्वीकृत:	2061 -External Affairs	Voted:		0.01	0.01
	नेक्षित है:		The supplementary grant is	equired for:		
बंगलादेश चीन भारत म्यांमार कार्यक्रम	। (बीसीआईए	म) के तहत अन्य प्रशासनिक खर्च	Other Administrative Expen	ses (₹ 0.50 cro	ore) under Bangl	adesh China
(₹ 0.50 करोड़)।			India Myanmar (BCIM) Prog	ramme.		
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों	के मद्देनजर,	सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।	Taking into account the savi	ngs available in	the same section	of the Grant,
			a token supplementary is so	ught.		

### आर्थिक कार्य विभाग

### DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 33 देखिये)

(See page 33 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) पूंजी जोड गजस्व Capital Total Revenue I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: स्वीकृत: 6271.15 21990.42 Voted: 15719.27 इस समय आवश्यक रकम का प्रक Supplementary Estimate of the amount अन्मान: now required: स्वीकृत: Voted: 4.92 6244.71 6249.63 जोड़ (मूल और पूरक) 12515.86 28240.05 Total (Original plus Supplementary) 15724.19 II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads: आयोजना आयोजना-जोड़ भिन्न Plan Total Non-Plan राजस्व भाग REVENUE SECTION म्ख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 2047 - अन्य राजकोषीय सेवाएं स्वीकृत: 2047 -Other Fiscal Services Voted: 4.90 (कa) 4.90 ... स्वीकृत: 3475 - अन्य सामान्य आर्थिक 3475 -Other General Economic Services Voted: 0.01 (खb) 0.01 सेवाएं 3605 - अनय देशों के साथ तकनीकी स्वीकृत: (गc) 3605 - Technical and Economic Co-Voted: 0.01 0.01 और आर्थिक सहयोग operation with Other Countries जोड़ (राजस्व भाग) स्वीकृत: Total (Revenue Section) Voted: 0.01 4.91 4.92 पूंजी भाग CAPITAL SECTION म्ख्य शीर्ष MAJOR HEAD 4058 - लेखन सामग्री और छपाई स्वीकृत: 4058 - Capital Outlay on Stationery and Voted: 0.01 (घd) 0.01 पर पूंजी परिव्यय Printing स्वीकृत: 5466 - अंतर्ज्ञष्ट्रीय वित्तीय 5466 - Investments in International Voted: 4187.62 4187.62 (ङe) संस्थानों में निवेश Financial Institutions 7475 - अन्य सामान्य आर्थिक स्वीकृत: 7475 - Loans for Other General Economic (चf) Voted: 2057.08 2057.08 सेवाओं के लिए ऋण Services जोड़ (पूंजी भाग) **Total (Capital Section)** स्वीकृत: Voted: 6244.71 6244.71 जोड़ (पूरक) स्वीकृत: Total (Supplementary) 0.01 6249.62 6249.63 Voted:

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) "िकसान विकास पत्र" पुन: शुरू करने के लिए और लड़िकयों के लिए प्रस्तावित स्कीम- "सुकन्या समृद्धि स्कीम" के लिए जन प्रचार अभियान का अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 4.90 करोड़) अनुदान के पूंजी भाग में समान परिमाप में बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) में पूंजीगत परिसम्पत्ति के सृजन के व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 0.80 करोड़) अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचते के मद्देनजर, सांकेतिक पूर प्रार्थित है।
- (a) Meeting additional expenditure (₹ 4.90 crore) towards Publicity Campaign for re-introduction of "Kisan Vikas Patra" and proposed Savings Scheme for Girl Child –"Sukanya Samridhi Yojana". After taking into account surrender of savings of an equivalent amount under Capital Section of the Grant, it will not entail cash outgo.
- (b) Meeting expenditure (₹ 0.80 crore) for 'Creation of Capital Assets' in Forward Markets Commission (FMC). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

## अन्दानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

- (ग) 'एक्जिम बैंक आफ इंडिया' को ब्याज साम्यकरण सहायता के व्यय को पूरा करने के लिए(₹ 450.00 करोड़)। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं इसलिए एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (घ) बजट प्रैस के लिए 4 कलर सीट फैड मशीन के आपूर्तिकर्ता को रेसिड्यूल भुगतान करना। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं इसलिए एक सांकेतिक प्रक की मांग की जाती है।
- (ङ) (i) कीमत अनुरक्षण (एमओवी) के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को भुगतान के लिए (₹ 4118.80 करोड़) कोई नकद व्यय नहीं होगा क्योंकि इसे प्रतिभृतियों के रूप में प्राप्तियों से पूरा किया जाएगा।
  - (ii) चयनात्मक पूंजी वृद्धि (एससीआई) के लिए अन्तरराष्ट्रीय वित्त संस्थान को भृगतान के लिए (₹ 0.58 करोड़)। इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।
  - (iii) अफ्रीकी विकास निधि को अंशदान (₹ 68.24 करोड़)। इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा क्योंकि इसे प्रतिभृतियों के रूप में प्राप्तियों से पूरा किया जाएगा।
- (च) नई उधार व्यवस्था (एनएबी) के तहत, अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) को ऋण (₹ 2057.08 करोड़) कोई नकद व्यय नहीं होगा। क्योंकि आरबीआई सुर्पुदगी की तारीख को भारत सरकार के नामे में डालेगा और साथ ही एनएबी नोट्स को उसी खाते में जमा करके सुपुर्दगी की तारीख (वैल्यू डेट) पर आरबीआई को अन्तरित कर दिया जाएगा।

- Meeting expenditure (₹ 450.00 crore) towards 'Interest equalisation support to Exim Bank of India'. As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) Making residual payment (₹ 3.90 crore) to the supplier of 4 Colour Sheet- fed Machine for Budget Press. As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- e) (i) Making payment (₹ 4118.80 crore) to International Monetary Fund (IMF) towards Maintenance of Value (MoV). There will be no cash out go as this would be matched by receipts in the form of securities
  - (ii) Making payment to International Finance Corporation (₹ 0.58 crore) towards Selective Capital Increase (SCI). This will entail a cash outgo;
  - (iii) Making subscription to African Development Fund (₹ 68.24 crore). This will not entail cash out go as this would be matched by receipts in the form of securities.
- Providing loans (₹ 2057.08 crore) to International Monetary Fund (IMF) under New Arrangement to Borrow (NAB). This will not entail a cash outgo as RBI would debit the Government of India Account on value date and simultaneously the NAB Notes will be transferred to the RBI on the same value date by crediting the same account.

## विततीय सेवायें विभाग

#### **DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 34 देखिये)

(See page 34 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) पूंजी ग्रासम्ब जोड Capital Total Revenue ।. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: स्वीकृत: 24650.01 Voted: 8186.09 32836.10 इस समय आवश्यक रकम का प्रक Supplementary Estimate of the amount now अन्मान: required: स्वीकृत: Voted: 0.01 145.01 145.02 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 8186.10 24795.02 32981.12 II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads: आयोजन भायोजना-जोड़ भिन्न Plan Total Non-Plan राजस्व भाग **REVENUE SECTION** म्ख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 2235 - सामाजिक सुरक्षा और स्वीकृत: 2235 -Social Security and Welfare Voted: 0.01 (कa) 0.01 कल्याण पूंजी भाग CAPITAL SECTION मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** स्वीकृत: 6416 - कृषि वित्तीय संस्थानों के 6416 - Loans to Agricultural Financial Voted: (खb) 0.01 0.01 लिए ऋण Institutions 6885 - उद्योग और खनिजों को अन्य स्वीकृत: 6885 - Other Loans to Industries and Minerals 145.00 145.00 Voted: (गc) ऋण जोड़ (पूंजी भाग) स्वीकृत: Total (Capital Section) Voted: 145 01 145 01 जोड़ (पूरक) स्वीकृत: 145.02 145.02 Total (Supplementary) Voted:

(c)

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस के भाषण के अनुसार, भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत रुपे डेबिट कार्ड धारकों को किसी भी कारण मृत्यु होने के कारण आउटगो क्लेम और प्रशासनिक व्यय को कवर करने के लिए ₹ 100 करोड़ की आरंभिक निधि मुहैया करना। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) 23 लाइसेंस रहित डिस्ट्रिक्ट को-ओपरेटिव बैंक्स (डीसीसीबी) के पुनरूद्वार के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में नेशनल बैंक का एग्रीक्लचर एण्ड रूरल डेवलपमेंट (नाबाई) को केन्द्र सरकार के हिस्से के रूप में निधियां (₹ 673.29 करोड़) उपलब्ध कराना। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक प्रक अपेक्षित है।
- (ग) (i) लो इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट (क्रेडिट सं. 5283-आईएन) के लिए, वर्ष

- (a) Providing an initial fund of ₹ 100 crore required to cover outgo claims and administrative expenses on account of an accident cover i.e. death by any cause to the RuPay Debit Card holders under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) to be implemented through LIC of India in accordance with the Prime Minister's Independence Day Speech. As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Providing funds (₹ 673.29 crore) to National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) as interest free loan for revival of 23 Unlicensed District Central Co-operative Banks (DCCBs) as Central Government's share. As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
  - (i) making a provision (₹ 85.00 crore) towards World Bank

# अनुदानों की पूरक मांगे, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

2014-15 के दौरान भारत में माइक्रोफाइनस तक पहुँच में सुधार के लिए राष्ट्रीय हाऊसिंग बैंक (एनएचबी) को सहायता हेतु विश्व बैंक सहायता में प्रावधान करना (₹ 85.00 करोइ)। (ii) भारत में माइक्रो फाइनेंस (आईडीए सं.4754-आईएन) तक पहुंच में सुधार करने के लिए भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक (सिडबी) को विश्व बैंक द्वारा सहायता के लिए अतिरिक्त राशि (₹ 60.00 करोइ) मुहैया करना क्योंकि करार के अनुसार ऋण की पूरी राशि मार्च, 2015 तक आहरित की जानी है। चूँकि यह विश्व बैंक सहायता का अंतर खाता अंतरण है, इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

Assistance to National Housing Bank (NHB) to improve access to microfinance in India during 2014-15 for low Income Housing Finance Project (Credit No. 5283-IN) and (ii) providing additional amount (₹ 60.00 crore) towards World Bank Assistance to Small Industries Development Bank of India (SIDBI) to improve access to microfinance in India (IDA Credit No. 4754-IN) as the entire credit line is to be drawn by March 2015 as per the agreement. As this is an inter-account transfer of the World Bank Assistance, it will not entail cash outgo.

# खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

## MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 46 देखिये)

(See page 46 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) पूंजी जोड राजस्व Revenue Capital Total I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: स्वीकृत: 785.86 Voted: 785.86 इस समय आवश्यक रकम का प्रक Supplementary Estimate of the amount now अन्मान: required: स्वीकृत: Voted: 0.01 0.01 785.87 785.87 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head: आयोजना आयोजना-जोड़ Plan भिन्न Total Non-Plan राजस्व भाग REVENUE SECTION म्ख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** स्वीकृत: 2408 - खाद्य भंडारण और 2408 -Food Storage and Warehousing Voted: 0.01 (**क**a) 0.01 भाण्डागारण

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(क) गुणवता आश्वासन, कोडेक्स मानकों, अनुसंधान एवं विकास और अन्य प्रोन्निति गितिविधियों की स्कीम के तहत खाच परीक्षण प्रयोगशाला प्रस्तावों और अनुसंधान एवं विकास प्रस्तावों के दायित्व पूरा करने के लिए (₹ 5.00 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

(a) To meet out liabilities for Food Testing Lab proposals and R&D proposals under Scheme for Quality Assurance, Codex, Standards, R&D and other Promotional Activities (₹ 5.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

# स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

## DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 47 देखिये)

(See page 47 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

						(करोड़ रुप	ये Rupe	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	36481.30		1964.49		38445.79
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount						
अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.07		0.02		0.09
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		36481.37		1964.51		38445.88
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित म्	नुख्य शीर्षों के	अंतर्गत दिखा	या जायेगा	:		
		II. This Supplementary Grant will be acco	ounted for t	under the foll	owing M	ajor Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष	_	MAJOR HEAD						
2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	स्वीकृत:	2210 -Medical and Public Health	Voted:	0.01	(कa)	0.01	(खb)	0.02
2211 - परिवार कल्याण	स्वीकृत:	2211 -Family Welfare	Voted:	0.01	(गc)	0.01	(घd)	0.02
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(ङe)			0.01
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State	Voted:	0.01	(चf)			0.01
		Governments						
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को	स्वीकृत:	3602 -Grants-in-aid to Union Territory	Voted:	0.01	( <u>छ</u> g)			0.01
सहायता अनुदान		Governments						
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	0.05		0.02		0.07
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
4210 - चिकित्सा और जन स्वास्थय	स्वीकृत:	4210 - Capital Outlay on Medical and	Voted:	0.01	(जh)			0.01
पर पूंजी परिव्यय		Public Health						
4216 - आवास पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4216 - Capital Outlay on Housing	Voted:	0.01	(झi)			0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत:	Total (Capital Section)	Voted:	0.02		•••		0.02
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.07		0.02		0.09
	•							

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) निम्निलिखित संस्थानीं/कार्यक्रमीं/स्कीमीं के तहत अतिरिक्त जरूरत पूरी करने हेतु सामान्य सहायता अनुदानः 1. ओवर साइट समिति के अनुसार उच्चतर अधिगम संस्थान (₹ 7.58 करोड़) 2. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (₹ 20.00 करोड़) 3. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर (₹ 0.65 करोड़) 4. अखिल भारतीय वाक् एवं श्रवण संस्थान, मैसूर (₹ 16.66 करोड़) 5. क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केन्द्र, जेआईपीएमईआर पुडुचेरी (₹ 106.00 करोड़) 6. कस्तूरबा हैल्थ सोसायटी,वर्धा (₹ 3.22 करोड़) 7. मानव स्वास्थ्य संसाधन-नया चिकित्सा कॉलेज स्थापित करना (जिला अस्पताल का

The supplementary grants are required for:

(i) Grants-in-aid General for meeting additional requirement under the following Institutions/ Programmes/ Schemes: 1. Institutions of higher learning as per Oversight Committee (₹ 7.58 crore) 2. All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (₹ 20.00 crore) 3. National Institute of Mental Health & Neuro-Sciences, Bangalore (₹ 0.65 crore) 4. All India Institute of Speech & Hearing, Mysore (₹ 16.66 crore) 5. Regional Post Graduate Centre, JIPMER, Puducherry (₹ 106.00 crore) 6. Kasturba Health Society, Wardha

उन्नयन (₹ 0.35 करोड़) 8. नर्सिंग सेवा का विकास (₹ 9.36 करोड़) 9. यास उन्मूलन कार्यक्रम (₹ 0.10 करोड़) 10. राष्ट्रीय ड्रग डि-एडिक्शन प्रोग्राम के तहत एम्स, नई दिल्ली (₹ 1.43 करोड़) और निमहांस, बंगलौर (₹ 0.60 करोड़)11. लाला रामस्वरूप टी.बी और संबद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली (₹ 2.10 करोड़) 12. केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो (₹ 0.10 करोड़) 13. राष्ट्रीय रोगवाहक जन्म रोग नियंत्रण कार्यक्रम (₹ 4.76 करोड)।

- निम्नलिखित संस्थानों/कार्यक्रमों/स्कीमों के अंतर्गत अतिरिक्त जरूरत (ii) पूरी करने हेत् पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेत् अन्दान: 1. ओवर साइट समिति के अनुसार उच्चतर अधिगम संस्थान (₹ 112.12 करोड़) 2. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (₹ 142.00 करोड़) 3. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर (₹ 21.75 करोड़) 4. अखिल भारतीय वाक् एवं श्रवण संस्थान, मैसूर (₹ 7.50 करोड़) 5. क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केन्द्र, जेआईपीएमईआर पुड्चेरी (₹ 132.00 करोड़) 6. मानव स्वास्थ्य संसाधन-नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना (जिला अस्पतालों का उन्नयन (₹ 0.22 करोड़) 7. नेशनल ड्रग डि-एडिक्शन प्रोग्राम के तहत एम्स, नई दिल्ली (₹ 0.80 करोड़) 8. भारतीय फार्माकोपिया आयोग (₹ 2.00 करोड़) 9. नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम (₹ 1.00 करोड़) 10. भारतीय पाश्च्यूर संस्थान, कुन्नूर (₹ 13.13 करोड़) 11. राष्ट्रीय जीवविज्ञानी संस्थान, नोएडा (₹ 0.10 करोड़) 12. लाला रामस्वरूप टी.बी और संबद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली (₹ 6.69 करोड़)।
- (iii) निम्नलिखित संस्थानों/कार्यक्रमों/स्कीमों के अंतर्गत अतिरिक्त जरूरत पूरी करने हेतु वेतन सहायता अनुदान: 1. ओवर साइट सिमिति के अनुसार उच्चतर अधिगम संस्थान (₹ 32.24 करोड़) 2. वल्लभ भाई पटेल वक्ष संस्थान, दिल्ली (₹ 0.20 करोड़) 3. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (₹ 52.00 करोड़) 4. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर (₹ 3.26 करोड़) 5. क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केन्द्र, जेआईपीएमईआर, पुडुचेरी (₹ 25.00 करोड़) 6. कस्तूरबा हैल्थ सोसायटी,वर्धा (₹ 2.33 करोड़) 7. लाला रामस्वरूप टी.बी और संबद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली (₹ 2.70 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(b)

(ख) (i) निम्निलिखित संस्थानों/कार्यक्रमों/स्कीमों के अंतर्गत अतिरिक्त जरूरत पूरी करने हेतु सामान्य सहायता अनुदानः 1. वल्लभ भाई पटेल वक्ष संस्थान, नई दिल्ली (₹ 2.10 करोड़) 2. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (₹ 65.00 करोड़) 3. राष्ट्रीय मानिसक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर (₹ 6.37 करोड़) 4. अखिल भारतीय वाकृ एवं श्रवण संस्थान, मैस्र (₹ 0.83 करोड़) 5. स्नातकोत्तर

- (₹ 3.22 crore) 7. Human Resources for Health Establishing New Medical college (Upgrading district Hospital (₹ 0.35 crore) 8. Development of Nursing Service (₹ 9.36 crore) 9. Yaws Eradiction Programme (₹ 0.10 crore) 10. AIIMS, New Delhi (₹ 1.43 crore) and NIMHANS, Bangalore (₹ 0.60 crore) under National Drug De-addition Programme 11. Lala Ram Swarup Institute of T.B & Allied Diseases, New Delhi (₹ 2.10 crore) 12. Central Bureau of Health Intelligence (₹ 0.10 crore) 13. Directorate of National Vector Borne Disease Control Programme (₹ 4.76 crore)
- Grants for creation of capital assets for meeting additional requirement under following Institutions/Programmes/Schemes: 1. Institutions of higher learning as per Oversight Committee (₹ 112.12 crore) 2. All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (₹ 142.00 crore) 3. National Institute of Mental Health & Neuro-Science, Bangalore (₹ 21.75 crore) 4. All India Institute of Speech & Hearing, Mysore (₹ 7.50 crore) 5. Regional Post Graduate Centre, JIPMER, Puducherry (₹ 132.00 crore) 6. Human Resources for Health - Establishing New Medical Colleges (Upgrading District Hospitals) (₹ 0.22 crore) 7. AIIMS, New Delhi (₹ 0.80 crore) under National Drug Deaddiction Programme 8. Indian Pharmacopoeia Commission (₹ 2.00 crore) 9. National Pharmacovigilance Programme (₹ 1.00 crore) 10. Pasteur Institute of India, Coonoor (₹ 13.13 crore) 11. National Institute of Biologicals, Noida (₹ 0.10 crore) 12. Lala Ram Swarup Institute of T.B & Allied Diseases, New Delhi (₹ 6.69 crore)
- (iii) Grants-in-aid Salaries for meeting additional requirement under requirement under the following Institutions/Programmes/Schemes: 1. Institutions of higher learning as per Oversight Committee (₹ 32.24 crore) 2. Vallabh Bhai Patel Chest Institute, Delhi (₹ 0.20 crore) 3. All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (₹ 52.00 crore) 4. National Institute of Mental Health & Neuro-Science, Bangalore (₹ 3.26 crore) 5. Regional Post Graduate Centre, JIPMER, Puducherry (₹ 25.00 crore) 6. Kasturba Health Society, Wardha, (₹ 2.33 crore) 7. Lala Ram Swarup Institute of T.B & Allied Diseases, New Delhi (₹ 2.70 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) Grants-in-aid General for meeting additional requirement under the following Institutions/Programmes/Schemes: 1. Vallabh Bhai Patel Chest Institute, Delhi (₹ 2.10crore) 2. All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (₹ 65.00 crore) 3. National Institute of Mental Health & Neuro-Science, Bangalore (₹ 6.37crore) 4. All India Institute of मेडिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ (₹ 5.00 करोड़) 6. क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केन्द्र, जेआईपीएमईआर, पुडुचेरी (₹ 32.00 करोड़) 7. लाला रामस्वरूप टी.बी और संबद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली (₹ 4.72 करोड़) 8. नई दिल्ली टी.बी केन्द्र (₹ 0.10 करोड़)।

(ii) निम्नलिखित संस्थानों/कार्यक्रमों/स्कीमों के अंतर्गत अतिरिक्त जरूरत पूरी करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान: 1. वल्लभ भाई पटेल वक्ष संस्थान, नई दिल्ली (₹ 0.10 करोड़) 2. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (₹ 123.00 करोड़) 3. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर (₹ 3.80 करोड़) 4. अखिल भारतीय वाक् एवं श्रवण संस्थान, मैसूर (₹ 0.08 करोड़) 5. स्नातकोत्तर मेडिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ (₹ 115.00 करोड़) 6. क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केन्द्र, जेआईपीएमईआर, पुडुचेरी (₹ 25.00 करोड़) 7. लाला रामस्वरूप टी.बी और संबद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली (₹ 1.01 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (ग) (i) निम्निलिखित संस्थानों/कार्यक्रमों/स्कीमों के अंतर्गत अितिरिक्त जरूरत (c) पूरी करने हेतु सामान्य सहायता अनुदानः 1.अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान,मुम्बई (₹ 1.11 करोड़) 2. राष्ट्रीय एनआरएचएम कार्यक्रम प्रबंधन सुद्दीकरण (₹ 43.47 करोड़) 3. गांधी ग्राम संस्थान-एएनएम/एलएचवी का प्रशिक्षण (₹ 0.02 करोड़) 4. जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (₹ 3.93 करोड़) 5. प्रजनन और बाल स्वास्थ्य में प्रशिक्षण (₹ 0.50 करोड़) 6. आरसीएच फ्लैक्सीबल पूल-जीसी (₹ 1.37 करोड़) 7. मिशन फ्लैक्सीबल पूल (₹ 0.60 करोड़) 8. पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम (₹ 0.50 करोड़)।
  - (ii) अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई की अतिरिक्त जरूरत पूरी करने के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 1.16 करोड़)।
    अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (घ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के तहत अतिरिक्त जरूरत पूरी करने हेत् सामान्य सहायता अन्दान (₹ 0.25 करोइ)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(ङ) (i) निम्निलिखित संस्थानों/कार्यक्रमों/स्कीमों के अंतर्गत अतिरिक्त जरूरत पूरी करने हेतु सामान्य सहायता अनुदानः 1. जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (₹ 0.50 करोड़) 2. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिवार नियोजन सामग्री की निःशुल्क आपूर्ति (₹ 0.70 करोड़) 3. इंदिरा गांधी पूर्वोत्तर क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग (₹ 24.15 करोड़) 4. क्षेत्रीय चिकित्सा संस्थान, इम्फाल (₹ 3.05 करोड़) 5. क्षेत्रीय पैरामेडिकल और नर्सिंग विज्ञान संस्थान, आइजवाल (₹ 1.00 करोड़) 6. मानव स्वास्थ्य संसाधन-फार्मेसी विद्यालयों/ कॉलेजों का

Speech & Hearing, Mysore (₹ 0.83crore) 5. Post-Graduate Institute of Medical Education and Research. Chandigarh (₹ 5.00crore) 6. Regional Post Graduate Centre, JIPMER, Puducherry (₹ 32.00 crore) 7. Lala Ram Swarup Institute of T.B & Allied Diseases, New Delhi (₹ 4.72 crore) 8. New Delhi T.B.Centre (₹ 0.10 crore)

- (ii) Grants-in-aid Salaries for meeting additional requirement under the following Institutions/Programmes/Schemes: 1. Vallabh Bhai Patel Chest Institute, Delhi (₹ 0.10 crore) 2. All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (₹ 123.00 crore) 3. National Institute of Mental Health & Neuro-Science, Bangalore (₹ 3.80 crore) 4. All India Institute of Speech & Hearing, Mysore (₹ 0.08 crore) 5. Post-Graduate Institute of Medical Education and Research. Chandigarh (₹ 115.00 crore) 6. Regional Post Graduate Centre, JIPMER, Puducherry (₹ 25.00 crore) 7. Lala Ram Swarup Institute of T.B & Allied Diseases, New Delhi (₹ 1.01 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (i) Grants-in-aid General for meeting additional requirement under the following Institutions/Programmes/Schemes: 1. International Institute for population Sciences, Mumbai (₹ 1.11crore) 2. Strengthening National Programme management of the NRHM (₹ 43.47 crore) 3. Gandhigram Institute Training of ANM/LHVs (₹ 0.02 crore) 4. Population Research Centres (₹ 3.93 crore) 5. Training in Reproductive & Child Health (₹ 0.50crore) 6. RCH Flexible Pool GC (₹ 1.37 crore) 7. Mission Flexible Pool (₹ 0.60 crore) 8. Pulse Polio Immunization Programme (₹ 0.50 crore)
  - (ii) Grants for creation of capital assets for meeting additional requirement to International Institute for population Sciences, Mumbai (₹ 1.16 crore).
    - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
  - Grants-in-aid General for meeting additional requirement under National Institute of Health & Family Welfare, New Delhi (₹ 0.25 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) Grants-in-aid General for meeting additional requirement under the following Institutions/Programmes/Schemes: 1. Population Research Centres(₹ 0.50 crore) 2. Free supply of Family Planning Material to States/UTs (₹ 0.70 crore) 3. North-Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences, Shillong (₹ 24.15 crore) 4. Regional Institute of Medical Sciences, Imphal (₹ 3.05 crore) 5. Regional Institute of Paramedical & Nursing Sciences, स्दढ़ीकरण/उन्नयन (₹ 1.64 करोड़) – (₹ 1.36 करोड़ सामान्य क्षेत्र के लिए, ₹ 0.20 करोड़ एससीपी के लिए और ₹ 0.08 करोड़ टीएसपी के लिए 7. राष्ट्रीय नशाम्कि नियंत्रण कार्यक्रम (₹ 0.04 करोड़) 8. आरसीएच-फ्लैक्सिबल पूल-जीसी (₹ 136.84 करोड़) –(₹ 95.83 करोड़ सामान्य क्षेत्र के लिए. ₹ 26.53 करोड एससीपी के लिए ₹ 14.48 करोड टीएसपी के लिए) 9. मिशन फ्लैक्सीबल पुल (₹ 96.16 करोड़) -(₹ 67.93 करोड़ सामान्य क्षेत्र के लिए, ₹ 18.00 करोड़ एससीपी के लिए और ₹ 10.23 करोड़ टीएसपी के लिए) 10. पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम (₹ 2.00 करोड़) - (₹ 1.00 करोड़ सामान्य क्षेत्र के लिए, ₹ 0.50 करोड़ एससीपी के लिए और ₹ 0.50 करोड़ टीएसपी के लिए) 11. देश में सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को नि:शुल्क जेनेरिक औषधियां प्रदान करना (₹ 48.50 करोड़) 12. आवश्यक नैदानिक स्विधाएं प्रदान करना (₹ 24.00 करोड़) 13. राष्ट्रीय रोगवाहक जन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम (₹ 4.48 करोड़) 14. राष्ट्रीय रोगवाहक जन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम (जीसी) (₹ 17.62 करोड़) - (₹ 9.67 करोड़ सामान्य क्षेत्र के लिए, ₹ 0.70 करोड़ एससीपी के लिए और ₹ 7.25 करोड़ टीएसपी के लिए) 15. राष्ट्रीय रोगवाहक जन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम -(नकद अनुदान-टीएसपी के तहत (ईएसी)(₹ 23.67 करोड़) 16. राष्ट्रीय रोगवाहक जन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम उत्पाद अनुदान-टीएसपी के तहत (ईएसी)(₹ 0.62 करोड़) 17. राष्ट्रीय रोगवाहक जन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम उत्पाद अनुदान -एसटी के तहत (जीसी)(₹ 3.25 करोड़) 18. एकीकृत रोग निगरानी परियोजना (₹ 5.00 करोड़) 19. राष्ट्रीय बधिरता रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (₹ 0.03 करोड़) 20. असंचारी रोगों हेत् फ्लैक्सीबल पूल-टीएसपी के तहत राष्ट्रीय बधिरता रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (₹ 0.69 करोड़) 21. अन्य स्वास्थ्य स्कीमें (प्रायोगिक)- बधिरता (₹ 0.70 करोड़)- (₹ 0.13 करोड़ सामान्य क्षेत्र के लिए और ₹ 0.57 करोड़ टीएसपी के लिए) 22. अन्य स्वास्थ्य स्कीमें (प्रायोगिक)-फ्लूरोसिस (₹ 0.22 करोड़) 23. रूटीन प्रतिरक्षण कार्यक्रम-जीसी (₹ 31.15 करोड़) 24. असंचारी रोगों के लिए फ्लैक्सीबल पूल- टीएसपी के तहत राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम(₹ 5.00 करोड़) 25. असंचारी रोगों के लिए फ्लैक्सीबल पूल-टीएसपी के तहत कैंसर, मध्मेह, ह्रयवाहिका रोगों और आधात की रोकथाम व नियंत्रण हेत् राष्ट्रीय कार्यक्रम,(₹ 4.68 करोड़)।

(ii) निम्नितिखित संस्थानों/कार्यक्रमों/स्कीमों के अंतर्गत अतिरिक्त जरूरत पूरी करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान: 1. इंदिरा गांधी पूर्वोत्तर क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग (₹ 44.86 करोड़) 2. क्षेत्रीय चिकित्सा संस्थान, इम्फाल (₹ 103.59 करोड़) 3. क्षेत्रीय फार्मामेडिकल और निर्सिंग विज्ञान संस्थान, आइजवाल (₹ 2.00 करोड़) 4. मानव स्वास्थ्य संसाधन-फार्मेसी विद्यालय/ कॉलेजों का सुदृढ़ीकरण/उन्नयन (₹ 0.60 करोड़) – (₹ 0.20 करोड़ सामान्य क्षेत्र के लिए, ₹ 0.24 करोड़ एससीपी के लिए, ₹ 0.16 करोड़ टीएसपी के लिए) 5.मानव स्वास्थ्य संसाधन- नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना (जिला

Aizawl (₹ 1.00 crore) 6. Human Resources for Health -Strengthening/Upgradation of Pharmacy School/Colleges (₹ 1.64 crore) – (₹ 1.36 crore for General Area, ₹ 0.20 crore for SCP and ₹ 0.08 crore for TSP) 7. National Drugs Deaddiction Control Programme (₹ 0.04 crore) 8. RCH Flexible Pool - GC (₹ 136.84 crore) - (₹ 95.83 crore for General Area, ₹ 26.53 crore for SCP and ₹ 14.48 crore for TSP) 9. Mission Flexible Pool (₹ 96.16 crore) - (₹ 67.93 crore for General Area, ₹ 18.00 crore for SCP and ₹ 10.23 crore for TSP) 10. Pulse Polio Immunization Programme (₹ 2.00 crore) – (₹ 1.00 crore for General Area, ₹ 0.50 crore for SCP and ₹ 0.50 crore for TSP) 11. Providing Free generic medicines in all public health institutions in the country (₹ 48.50 crore) 12. Providing free Essential Diagnostics (₹ 24.00 crore) 13. National Vector Borne Disease Control Programme (₹ 4.48 crore) 14. National Vector Borne Disease Control Programme -GC (₹ 17.62 crore) - (₹ 9.67 crore for General Area, ₹ 0.70 crore for SCP and ₹ 7.25 crore for TSP) 15. National Vector Borne Disease Control Programme Cash Grant -(EAC) under TSP (₹ 23.67 crore) 16. National Vector Borne Disease Control Programme Commodity Grant -(EAC) under TSP (₹ 0.62 crore) 17. National Vector Borne Disease Control Programme Commodity Grant -(GC) under ST (₹ 3.25 crore) 18. Integrated Diseases Surveillance Project (₹ 5.00 crore) 19. National Programme for Prevention and Control of Deafness (₹ 0.03 crore) 20. Flexible Pool for Non-Communicable Disease - National Programme Prevention and Control of Deafness under TSP (₹ 0.69 crore) 21. Other health Schemes (Pilot) - Deafness (₹ 0.70 crore) - (₹ 0.13 crore for General Area and ₹ 0.57 crore for TSP) 22. Other health Schemes (Pilot) - Fluorosis (₹ 0.22 crore) 23. Routine Immunization Programme - GC (₹ 31.15 crore) 24. Flexible Pool for Non-Communicable Disease -National Blindness Control Programme under TSP (₹ 5.00 crore) 25. Flexible Pool for Non-Communicable Disease -National Programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases and Stroke under TSP (₹ 4 68 crore)

ii) Grants for creation of capital assets for meeting additional requirement under the following Institutions/ Programmes/ Schemes: 1. North-Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences, Shillong (₹ 44.86 crore) 2. Regional Institute of Medical Sciences, Imphal (₹ 103.59 crore) 3. Regional Institute of Paramedical & Nursing Sciences, Aizawl (₹ 2.00 crore) 4. Human Resources for Health − Strengthening/ Upgradation of Pharmacy School/Colleges (₹ 0.60 crore) − (₹ 0.20 crore for General

(g)

असच्पतालों का उन्नयन)(₹ 36.33 करोड़) – (₹ 25.44 करोड़ सामान्य क्षेत्र के लिए, ₹ 7.05 करोड़ एससीपी केलिए और ₹ 3.84 करोड़ टीएसपी के लिए, ₹ 7.05 करोड़ एससीपी केलिए और ₹ 3.84 करोड़ टीएसपी के लिए, ₹ 7.55 करोड़ एससीपी के लिए ₹ 2.89 करोड़ और टीएसपी के लिए ₹ 3.84 करोड़ ) 7.देश में सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को जेनेटिक औषधियाँ नि:शुल्क प्रदान करना (₹ 1.50 करोड़) 8. आवश्यक डाइग्नोस्टिक नि:शुल्क प्रदान करना(₹ 1.00 करोड़) 9. राष्ट्रीय बधिर रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (₹ 0.08 करोड़) 10. अन्य स्वास्थ्य स्कीमों (प्रयोगिक)-टीएसपी के तहत बधिरता (₹ 0.41 करोड़) 11. असंचारी रोगों के लिए फ्लैक्सीबल पूल-टीएसपी के तहत राष्ट्रीय बधिरता रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (₹ 0.51 करोड़) 12. अन्य स्वास्थ्य स्कीमें (प्रयोगिक) बधिरता (₹ 0.20 करोड़) 13. अंसचारी रोगों के लिए फ्लैक्सीबल पूल-टीएसपी के तहत कंसर,मधुमेह,हृद्वयवाहिका रोगों व आधातों के लिए राष्ट्रीय रोकथाम व नियंत्रण कार्यक्रम (₹ 3.04 करोड़)।

- (iii) इंदिरा गांधी पूर्वोत्तर क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग की अतिरिक्त जरूरत पूरी करने हेतु वेतन सहायता अनुदान (₹ 2.00 करोड़)- वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।
  - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (च) (i) निम्नितिखित संस्थानों/कार्यक्रमों/स्कीमों के अंतर्गत अतिरिक्त जरूरत पूरी करने हेतु सामान्य सहायता अनुदानः 1. गिनिया-कृमि उन्मूलन कार्यक्रम (₹ 0.10 करोड़) 2. आवश्यक डाइग्नोस्टिक्स निःशुल्क प्रदान करना (₹ 209.00 करोड़) 3. राष्ट्रीय रोगवाहक जन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम- उत्पाद अनुभाग-ईएसी (₹ 20.00[सामान्य ₹ 15.10 करोड़, एससीएसपी ₹ 4.18 करोड़, टीएसपी - ₹ 0.72 करोड़]) 4. राष्ट्रीय रोगवाहक जन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम- उत्पाद अनुभाग-ईएसी ₹ 27.70 करोड़ [सामान्य ₹ 15.03 करोड़, एससीएसपी ₹ 12.61 करोड़, टीएसपी ₹ 0.06 करोड़]) 5. चिकित्सा पुनःसुधार (₹ 15.06 करोड़)।
  - (ii) निम्नलिखित संस्थानों/कार्यक्रमों/स्कीमों के अंतर्गत अतिरिक्त जरूरत पूरी करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान: 1. देश में सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को जेनेटिक औषधियां निःशुल्क प्रदान करना (₹ 13.19 करोइ)(2) आवश्यक डाइग्नोस्टिक्स निशुल्क प्रदान करना (₹ 10.90 करोइ)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक भर्मित है।
- (छ) (i) देश में सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में जेनेटिक औषिधयों को नि:शुल्क प्रदान करने के तहत अतिरिक्त जरूरत को पूरा करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 6.71 करोड़)।
  - (ii) देश में सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में जेनेटिक औषधियां

- Area, ₹ 0.24 crore for SCP and ₹ 0.16 crore for TSP) 5. Human Resources for Health - Establishing New Medical colleges (Upgrading district Hospital (₹ 36.33 crore) -(₹ 25.44 crore for General Area, ₹ 7.05 crore for SCP and ₹ 3.84 crore for TSP) 6. Mission Flexible Pool (₹ 11.61 crore) - ( General Area, ₹ 7.55 crore ₹ 2.89 crore for SCP and ₹ 1.17 crore for TSP) 7. Providing Free generic medicine in all public health institutions in the country (₹ 1.50 crore) 8. Providing Free Essential Diagnostics (₹ 1.00 crore) 9. National Prpgramme for Prevention and Control of Deafness (₹ 0.08 crore) 10. Other Health Schemes (Pilot) - Deafness under TSP (₹ 0.41 crore) 11. Flexible Pool for Non-Communicable Disease - National Programme for Prevention and Control of Deafness under TSP (₹ 0.51 crore) 12. Other Health Schemes (Pilot) -Deafness (₹ 0.20 crore) 13. Flexible Pool for Non-Communicable Disease National Programme Prevention and Control of Cancer. Diabetes. Cardiovascular Diseases and Stroke under TSP (₹ 3.04 crore)
- (iii) Grants -in-aid Salaries for meeting additional requirement under North-Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences, Shillong (₹ 2.00 crore)- for meeting additional expenditure on salary.
  - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (i) Grants-in-aid General for meeting additional requirement under the following Institutions/Programmes/Schemes: 1. Guinea Worm Eradication Programme (₹ 0.10crore) 2. Providing Free essential Diagnostics (₹ 209.00 crore) 3. National Vector Borne Diease Control Programme Commodity Grants –EAC (₹ 20.00[General ₹ 15.10 crore, SCSP ₹ 4.18 crore, TSP - ₹ 0.72 crore]) 4. National Vector Borne Disease Control Programme Cash Grants EAC (₹ 27.70 crore[General ₹ 15.03 crore, SCSP ₹ 12.61 crore, TSP ₹ 0.06 crore]) 5. Medical Rehabilitation (₹ 15.06 crore)
- (ii) Grants for creation of capital assets for meeting additional requirement under the following Institutions/Programmes/ Schemes: (1) Providing Free generic medicines in all public heath inst. In the country (₹ 13.19 crore). (2) Providing Free Essential Diagnostics (₹ 10.90 crore)
  - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (i) Grants-in-aid General for meeting additional requirement under providing free generic medicines in all public health institute in the Country (₹ 6.71 crore).
- (ii) Grants for creation of Capital assets for meeting additional

नि:शुल्क प्रदान करने के तहत अतिरिक्त जरूरत पूरी करने हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(ज)

निम्नलिखित संस्थानों/कार्यक्रमों/स्कीमों के तहत अतिरिक्त जरूरत प्री करने हेत् पूरक अन्दानः 1. राष्ट्रीय मेडिकल प्स्तकालय (₹ 4.03 करोड़)- प्रमुख निर्माण कार्यों का व्यय पूरा करने के लिए 2. सी.जी.एच.एस. स्कीम के तहत औषधालयों/अस्पतालों की स्थापना के लिए अन्दान (₹ 11.55 करोड़) -प्रमुख निर्माण कार्यों का व्यय पुरा करने के लिए 3. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली (₹ 306.00 करोड़) - प्रमुख निर्माण कार्यों का व्यय पूरा करने के लिए 4. डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली (₹ 22.00 करोड़)-मशीनरी उपकरणों की खरीद (₹ 20.00 करोड़) और प्रमुख निर्माण कार्यों (₹ 2.00 करोड़) का व्यय पूरा करने हेत् 5. केन्द्रीय मनोचिकित्सा संस्थान (₹ 17.50 करोड़) – मशीनरी व उपकरणओं की खरीद का व्यय पूरा करने हेत् 6. अखिल भारतीय शारीरिक मेडिकल और प्नःस्धार संस्थान, म्ंबई (₹ 0.70 करोड़) -मशीनरी व उपकरणओं की खरीद (₹ 0.60 करोड़) और प्रम्ख निर्माण कार्यों (₹ 0.10 करोड़) 7. केन्द्रीय क्षरोग प्रशिक्षण और अन्संधान संस्थान, चेंगलेपट्ट (₹ 0.65 करोड़) – वाहनों (₹ 0.15 करोड़) और उपकरणों(₹ 0.25 करोड़) की खरीद के व्यय के साथ-साथ प्रम्ख निर्माण कार्यों (₹ 0.25 करोड़ में अतिरिक्त व्यय हेत्) 8. क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अन्संधान संस्थान असाका (₹ 5.55 करोड़) – प्रमुख निर्माण कार्यों में व्यय पूरा करने के लिए 9. क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अन्संधान संस्थान रायपुर प्रमुख निर्माण कार्यों में व्यय पूरा करने के लिए (₹ 0.03 करोड़) 10. क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अन्संधान संस्थान गौरीप्र (₹ 0.81 करोड़) – मशीनों की खरीद (₹ 0.01 करोड़) और प्रम्ख निर्माण कार्यों (₹ 0.80 करोड़) का व्यय पूरा करने के लिए 11. बी.सी.जी. टीका प्रयोगशाला, गिंडी (₹ 4.00 करोड़) - मशीनरी व उपकरणों (₹ 4.00 करोड़)की खरीद का व्यय पुरा करने के लिए 12. राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम (₹ 2.50 करोड़) – मशीनरी व उपकरण की खरीद पर व्यय करने के लिए 13. केन्द्रीय ड्रग्स मानक नियंत्रण संगठन (₹ 2.40 करोड़) -प्रमुख निर्माण कार्यों पर अतिरिक्त खर्च के लिए।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(झ) केन्द्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेगालपट्ट् ₹ 0.10 करोड़)– प्रमुख निर्माण कार्यों पर व्यय पूरा करने के लिए। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है। requirement under providing free generic medicine in all public health inst. In the country (₹ 0.21 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

The Supplementary Grants is required for meeting additional requirement under the following Institutions/ Programmes/ Schemes: 1. National Medical Library (₹ 4.03 crore) - for meeting expenditure in major works. 2. Setting up of Dispensaries/Hospital under CGHS (₹ 11.55 crore) - for meeting expenditure on major works. 3. Safdarjung Hospital, New Delhi (₹ 306.00 crore) - for meeting expenditure on major works. 4. Dr. RML Hospital, New Delhi (₹ 22.00 crore) - for meeting expenditure on procurement of machinery & equipment (₹ 20.00 crore) and on major work (₹ 2.00 crore) 5. Central Institute of Psychiatry (₹ 17.50 crore) meeting expenditure on procurement of machinery & equipments. 6. All India Institute of Physical Medicine & Rehabilitation, Mumbai (₹ 0.70 crore) – for meeting additional expenditure in machinery & equipment (₹ 0.60 crore) and major works (₹ 0.10 crore) 7. Central Leprosy training & Research Institute, Chenglepattu (₹ 0.65 crore) – for meeting procurement of vehicles (₹ 0.15 crore) and equipment (₹ 0.25 crore) and also additional expenditure in major works (₹ 0.25 crore). 8. Regional Leprosy training & Research Institute, Aska (₹ 5.55 crore) - for meeting expenditure in major works. 9. Regional Leprosy training & Research Institute, Raipur (₹ 0.03 crore) – for meeting expenditure in major works. 10. Regional Leprosy training & Research Institute, (₹ 0.81 crore) - for meeting expenditure on procurement of machinery (₹ 0.01 crore) and on major works (₹ 0.80 crore) 11. BCG Vaccine Laboratory, Guindy (₹ 4.00 crore) - for meeting expenditure on procurement of machinery & equipment (₹ 4.00 crore). 12. National Organ Transplant Programme (₹ 2.50 crore) for meeting expenditure on procurement of equipment. 13. Central Drugs Standards Control Organization (₹ 2.40 crore) - for meeting additional expenditure on major works.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Central Leprosy teaching & Research Institute, Chengalpattu (₹ 0.10 crore) – for meeting expenditure on major works.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

# स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

## DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 49 देखिये)

(See page 49 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

						(करोड़ रुपये	Rupees	in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	1017.67				1017.67
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now						
अनुमान:		required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.03				0.03
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1017.70				1017.70
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य १	ीर्षों के अंतर	र्गत दिखाया ज	नायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accounted	d for unde	r the followi	ng Major	Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	स्वीकृत:	2210 -Medical and Public Health	Voted:	0.01	( <b>क</b> a)	0.01	(खb)	0.02
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(गc)			0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02		0.01		0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क)
  (i)
  नीचे दिए हुए संस्थानों/कार्यक्रमों/स्कीमों के तहत अतिरिक्त जरूरत को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदानः 1. अनुसंधान संचालन पर बढ़ावा और सलाह (₹ 0.25 करोड़) 2. चिकित्सीय, बाइओमेडिकल और स्वास्थ अनुसंधान में समन्वयन (₹ 13.50 करोड़) 3. स्वास्थ अनुसंधान को बढ़ावा, समन्वयन और विकास के लिए (₹ 9.00 करोड़) लागू अनुसंधान के लिए ₹ 3.00 करोड़, रोग-विषयक अनुसंधान के लिए ₹ 3.00 करोड़ और मौलिक अनुसंधान के लिए ₹ 3.00 करोड़ 4. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के लिए (₹ 130.60 करोड़) राज्यों में मॉडल ग्रामीण स्वास्थ अनुसंधान ईकाईयों के लिए 5. (₹ 4.50 करोड़) लागू अनुसंधान के लिए ₹ 1.00, रोग विषयक अनुसंधान के लिए ₹ 1.00 करोड़ और मौलिक अनुसंधान के लिए ₹ 2.50 करोड़ 6. प्राकृतिक विपत्ति के संचालन के लिए (₹ 45.50 करोड़)।
  - (ii) अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के तहत भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली को (₹ 40.00 करोड़)।
  - (iii) अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए वेतन सहायता अनुदान के तहत भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली को (₹ 2.00 करोड़)।
    अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (i) Grants-in-aid General for meeting additional requirement under the following Institutions/ Programmes/ Schemes: 1. Promotion and Guidance on Research Governance (₹ 0.25 crore) 2. Co-ordination in Medical, Biomedical and Health Research (₹ 13.50 crore) 3. Promotion, Co-ordination and Development of Health Research (₹ 9.00 crore) ₹ 3.00 crore for Applied Research, ₹ 3.00 crore for Clinical Research and ₹ 3.00 crore for Basic Research 4. Indian Council of Medical Research, New Delhi (₹ 130.60 crore) 5. Model Rural Health Research Units in the States (₹ 4.50 crore) ₹ 1.00 crore for Applied Research, ₹ 1.00 crore for Clinical Research and ₹ 2.50 crore for Basic Research 6. Management of Natural Calamities (₹ 45.50 crore)
  - (ii) Grants for creation of capital assets for meeting additional requirement under Indian Council of Medical Research, New Delhi (₹ 40.00 crore).
  - (iii) Grants-in-aid Salaries for meeting additional requirement under Indian Council of Medical Research, New Delhi (₹ 2.00 crore).
    - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

## अन्दानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

- (ख) (i) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली को अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान के तहत (₹ 52.23 करोड़)।
  - (ii) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली को अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए वेतन सहायता अनुदान (₹ 18.10 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ग) निम्नलिखित संस्थानों/कार्यक्रमों/स्कीमों के तहत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (1) चिकित्सीय बाइयोमेडिकल और स्वास्थ अनुसंधान में समन्वयन के लिए (₹ 2.00 करोड़) (2) प्राकृतिक विपित्त के संचालन के लिए (₹ 4.50 करोड़) (3) स्वास्थ अनुसंधान को प्रोन्नित, समन्वय और विकास (₹ 1.00 करोड़) लागू अनुसंधान के लिए ₹ 0.50 करोड़ और विषयक अनुसंधान के लिए ₹ 0.50 करोड़ । (4) राज्यों में मॉडल माडल ग्रामीण स्वास्थ अनुसंधान/मौलिक अनुसंधान के लिए (₹ 0.50 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (i) Grants-in-aid General for meeting additional requirement under Indian Council of Medical Research, New Delhi (₹ 52.23 crore)
- (ii) Grants-in-aid Salaries for meeting additional requirement under Indian Council of Medical Research, New Delhi (₹ 18.10 crore)
  - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) Grants-in-aid General for meeting additional requirement under the following Institutions/Programmes/Schemes: 1.Co-ordination in Medical, Biomedical and Health Research (₹ 2.00 crore) 2.Management of Natural Calamities (₹ 4.50 crore) 3.Promotion, Co-ordination and Development of Health Research (₹ 1.00 crore)- ₹ 0.50 crore for Applied Research and ₹ 0.50 crore for Clinical Research 4. Model Rural Health Research Units in the States, Basic Research (₹ 0.50 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

# भारी उद्योग विभाग

## DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 51 देखिये)

(See page 51 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(See page 51 of the Demand	ds for Gra	nts of Central Government for the year	2014-2015)		(करोड़ रुपये	Runaa	s in Crore)
				राजस्व	<i>(कराड़ राज्य</i> पूंजी	Nupees	जोड जोड
				Revenue	Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	672.56	571.06		1243.62
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount					
अनुमान:		now required:					
	भारित:		Charged:		25.08		25.08
	स्वीकृत:		Voted:	409.70	90.02		499.72
जोड़ (मूल और पूरक)	Č	Total (Original plus Supplementary)		1082.26	686.16		1768.42
	भारित:		Charged:		25.08		25.08
	स्वीकृत:		Voted:	1082.26	661.08		1743.34
	· ·	II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्निल					
		II. This Supplementary Grant/Appropriation	will be accour	nted for und आयोजना	ler the following Major आयोजना-	Heads:	<u> </u>
				आयाजना Plan	आयाजना- भिन्न		जोड़ Total
					Non-Plan		
<i>राजस्व भाग</i> मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD					
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	( <b>क</b> a)		0.01
2852 - उद्योग	स्वीकृत:	2852 -Industries	Voted:		409.69	(खb)	409.69
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	0.01	409.69		409.70
<i>पूंजी भाग</i> मुख्य शीर्ष	-	CAPITAL SECTION MAJOR HEAD					
4860 - उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजी	स्वीकृत:	4860 - Capital Outlay on Consumer	Voted:		0.01	(गc)	0.01
परिव्यय		Industries					
6858 - अभियात्रिक उद्योगों के लिए	भारित:	6858 - Loans for Engineering Industries	Charged:		16.03	(घd)	16.03
ऋण							
	स्वीकृत:		Voted:		0.01	(ङe)	0.01
6860 - उपभोक्ता उद्योगों के लिए	भारित:	6860 - Loans for Consumer Industries	Charged:		9.05	(चf)	9.05
ऋण							
	स्वीकृत:		Voted:		90.00	(छg)	90.00
जोड़ (पूंजी भाग)		Total (Capital Section)			115.10		115.10
	भारित:		Charged:		25.08		25.08
	स्वीकृत:		Voted:		90.02		90.02
जोड़ (पूरक)	ū	Total (Supplementary)		0.01	524.79		524.80
	भारित:		Charged:		25.08		25.08
	स्वीकृत:		Voted:	0.01	499.71		499.72

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) कछार पेपर मिल (सीपीएम), हिंदुस्तान पेपर कार्पोरेशन की सहायक कंपनी को सीसीईए के अनुमोदन के अनुसार, वर्ष 2013-14 के लिए सब्सिडी के रूप में अतिरिक्त प्रचालन लागत (₹ 70.86 करोड़) पूरी करने के लिए स्वीकृत सीएफआई अग्रिम (₹ 70.86 करोड़) का रिक्रूपमेंट। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है। The supplementary grant/appropriation are required for:

Recoupment of CFI advance (₹ 70.86 cr.) sanctioned to Cachar Paper Mill (CPM), a unit of Hindustan Paper Corporation to meet additional operational costs (₹ 70.86 crore) as transport subsidy for the year 2013-14 as per CCEA approval. Taking into account the saving available within same section of Grant, a token supplementary is sought.

- (ख) (i) एचएमटी लिमि. के अनुमोदित पुनरुद्धार आयोजना के अनुसार भारत सरकार के ऋण पर 31.03.2014 तक ब्याज (₹ 38.58 करोड़) की छूट क्योंकि ब्क एडजस्मेंट और नकद व्यय शामिल नहीं है।
  - (ii) सामान्य ब्याज (₹ 92.43 करोड़) भारत सरकार ऋण पर शास्ति ब्याज व प्रोद्भूत (₹ 241.83 करोड़) की छूट लेकिन यह 31.03.2012 को भारत सरकार के ऋण (₹ 20.94 करोड़) पर देय बकाया न हो और एनईपीए लिमि. के अनुमोदित आयोजना के भाग के रूप में केंद्रीय सरकारी प्राक्रिकवों को (₹ 13.38 करोड़) के सांविदिक देयों की छूट क्योंकि ब्क एडजस्टमेंट और नकद व्यय शामिल नहीं है।
  - (iii) सीसीईए के अनुमोदन के अनुसार भारी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमि. को पुनरुद्धार पैकेज के भाग के रूप में 2014-15 अविध के लिए गारंटी फीस सब्सिडी (₹ 2.53 करोड़) क्योंकि बुक एडजस्टमेंट और नकद व्यय शामिल नहीं है।
- (ग) कंपनी के अनुमोदित पुनरुद्वार आयोजना के भाग के रूप में एनईपीए के संबंध में गैर-आयोजना ऋण (₹ 231.01 करोड़) का इक्विटी में अंतरण। आवशयक लेखांकन समायोजन हेत् सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (घ) (i) माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के आदेशों के अनुपालन में एचसीएल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बकाया के भुगतान हेतु स्वीकृत गैर-आयोजन ऋण के तौर पर (₹ 14.66 करोड़) के सीएफआई अग्रिम का रिकूपमेंट।
  - (ii) माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, डिक्री होल्डर मैसर्स इंडो स्विस ज्वैलस लिमि. को भुगतान के लिए एचएमटी लिमि. को (₹ 1.37 करोड़) का गैर-आयोजना ऋण। अनुदान के राजस्व/पूंजी भाग (स्वीकृत) में समान राशि की बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपरोक्त रुप में अतिरिक्त नकद नहीं देना होगा।

अनुदान के राजस्व/पूंजी भाग(स्वीकृत) में उपलब्ध राशि के बराबर बचत अभ्यर्पण को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है। उपर्युक्त में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

- (ङ) एटएमटी मशीन टूल्स लिमि. को (₹ 50 करोड़) की कार्यशील पूंजीकरण सहित एचएमटी लिमि. को गैर-आयोजना ऋण (₹ 90.80) और एचएमटी टूल्स लिमि. के कर्चचारियों को वेतन/पारिश्रमिक व सांविधिक देयों और एचएमटी लिमि. को वर्ष 2014-15 के लिए 1997 वेतन संशोधन के अतिरिक्त प्रभाव के लिए ₹ 29.34 करोड़ तथा 7% की दर से ब्रिज ऋण के तौर पर (₹ 11.46 करोड़) के भुगतान की अतिरिक्त जरुरत अर्थात दूसरे वर्ष 2014-15 के लिए एचएमटी वेतन-संशोधन-1997,जैसा एचएमटी लिमि. और इसकी सहायक कंपनी एचएमटी टूल्स लिमि. के पुनर्गठन आयोजना में अनुमोदित है। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (च) माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में टायर कार्पोरेशन ऑफ इन्डिया लिमि. (टीसीआईएल) को गैर आयोजना ऋण के रूप में असुरक्षित देन-दारों को भुगतान के लिए सीएफआई अग्रिम (₹ 9.05 करोड़) का रिकूपमेंट अनुदान के पूंजी भाग (स्वीकृत) में समान परिमाण में बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर उपरोक्त ट्यय में कोई अतिरिक्त नकद नहीं देना होगा।
- (छ) हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चिरिंग कंपनी लिमिटेड को कर्मचारियों को अनुमोदित संबंधित वीआरएस/वीएसएस पैकेज के कार्यान्वयन के लिए गैर-आयोजना ऋण के रूप में अतिरिक्त जरुरत। अनुदान के राजस्व भाग के तहत उपलब्ध बचत (₹ 90 करोड़) के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (i) Waiver of interest (₹ 38.58 crore) upto 31.03.2014 on GOI loan as per the approved revival plan of HMT Ltd,. as book adjustment and no cash outgo is involved.
  - (ii) Waiver of normal interest (₹ 92.43 crore), penal interest on Gol loan (₹ 241.83 crore) and interest accrued but not due on Gol loan (₹ 20.94 crore) outstanding as on 31.03.2012 and waiver of statutory dues to Central Govt. Authorities (₹ 13.38 crore) as a part of approved Revival Plan of NEPA Limited as book adjustment and no cash outgo is involved.
- (iii) Guarantee fee subsidy (₹ 2.53 crore) for the period 2014-2015 as a part of revival package to Heavy Engineering Corporation Ltd. as per CCEA approval as book adjustment and no cash outgo is involved.
- (c) Conversion of Non- Plan Loan (₹ 231.01 crore), into equity in respect of NEPA Ltd. as a part of the approved Revival Plan of the company. A token supplementary is sought for the necessary accounting adjustments.
  - (i) Recoupment of CFI advance of ₹ 14.66 crore as non-plan loan sanctioned for payment of arrears to the retired employees of HCL in compliance of the order of Hon'ble High Court of Calcutta.
    - (ii) Non-Plan loan ₹ 1.37 crore to HMT Ltd. for payment of decree holder M/s Indo Swiss Jewels Limited in compliance of the Hon'ble High Court order.

Taking into account the surrender of savings of the equivalent amount available in the Revenue/Capital Section (voted) of the Grant, a technical supplementary is sought. The above expenditure will not entail any additional cash outgo.

- Additional requirement as non-plan loan to HMT Ltd (₹ 90.80 crore comprising ₹ 50 crore working capital loan for HMT Machine Tools Ltd., and ₹ 29.34 crore towards payment of additional impact of implementation of 1997 pay revision for year 2014-2015 and ₹ 11.46 crore as bridge loan @ 7% towards additional impact of 1997 pay revision to HMT Ltd. for second year 2014-15) as approved restructuring plan of HMT Ltd. and its subsidiary HMT Machine Tools Ltd. Taking into account the savings available within same section of grant, a token supplementary is sought.
- (f) Recoupment of CFI advance (₹ 9.05 crore) as non-plan loan to Tyre Corporation of India Ltd. (TCIL) for payment to the unsecured creditors in compliance of Hon'ble High Court order. Taking into account the surrender of savings of the equivalent amount available in the capital section (voted) of the grant, a technical supplementary is sought. The above expenditure will not entail any additional cash outgo
- (g) Additional requirement as non plan loan to Hindustan Photo Films Manufacturing Company Ltd towards implementation of approved enhanced VRS/VSS package to employees. Taking into account the savings (Rs 90 crore) available under Revenue Section of Grant, a technical supplementary is sought.

## मंत्रिमंडल

### **CABINET**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 54 देखिये)

(See page 54 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) पूंजी जोड गज्ञम्व Revenue Capital Total ।. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: स्वीकृत: Voted: 433.52 433.52 इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: स्वीकृत: Voted: 0.01 0.01 जोड़ (मूल और पूरक) 433.53 433.53 Total (Original plus Supplementary) II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head: आयोजना आयोजना-जोड़ Plan भिन्न Total Non-Plan राजस्व भाग **REVENUE SECTION** म्ख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 2012 - राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/ स्वीकृत: 2012 - President, Vice President/Governor, Voted: 0.01 0.01 राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक Administrator of Union Territories यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: The supplementary grant is required for: मंत्रिमंडल द्वारा अन्मोदित नई स्कीमों के अन्सार, पूर्व-राज्यपालों को सचिवालयी व्यय Reimbursement of Secretariat expenditure to Ex-Governors of ₹ 0.88 के लिए ₹ 0.88 करोड़ की प्रतिपूर्ति। crore as per the new scheme approved by the Cabinet. अन्दान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है। Taking into account the savings available in the same section of the Grant,

a token supplementary is sought.

## पुलिस

## **POLICE**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 55 देखिये) (See page 55 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

					(करोड़ रुप	ये Rupe	es in Crore)
			राजस्व		पूंजी		जोड़
			Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:						
भारित	:	Charged:	12.84		7.92		20.76
स्वीकृत	:	Voted:	50019.52		9863.48		59883.00
इस समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमान:	now required:						
स्वीकृत	:	Voted:	0.02		0.02		0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		50032.38		9871.42		59903.80
भारित		Charged:	12.84		7.92		20.76
स्वीकृत		Voted:	50019.54		9863.50		59883.04
	॥. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मु	ख्य शीर्षों के अंत <sup>्</sup>	र्गत दिखाया जा	येगा:			
	II. This Supplementary Grant will be acco	untea for unae	r the followin आयोजना	g Major	Heads: आयोजना-		जोड
			Plan		भिन्न		Total
					Non-Plan		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD						
2055 - पुलिस स्वीकृत	: 2055 -Police	Voted:	0.01	(कa)	0.01	(खb)	0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD						
4055 - पुलिस पर पूंजी परिव्यय स्वीकृत	: 4055 - Capital Outlay on Police	Voted:	0.01	(गc)	0.01	(घd)	0.02
जोड़ (पूरक) स्वीकृत		Voted:	0.02		0.02		0.04

यह प्रक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) विधानमंडल रहित संघ शासित प्रदेशों में आग और आपातकालीन सेवाओं के आधुनिकीकरण हेतु ₹ 10.00 करोड़। अन्दान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक अपेक्षित
  - अनुदान के इसा भाग में उपलब्ध बंचता के मद्दनजर, साकातक पूरक अपाक्षत है।
- (ख) सीमा पर बाड़ के रखरखाव और सीमा क्षेत्रों में फल्ड लाइटिंग के बिजली बिलों के भुगतान के लिए ₹ 20.00 करोड़।
  - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ग) वृक्षारोपण आदि की प्रतिपूर्ति और भारत म्यांमार सीमा के साथ-साथ सड़क के निर्माण हेतु व्यवहार्यता अध्ययन के लिए परामर्श शुल्क के भुगतान के लिए आवश्यक ₹ 23.51 करोड़।
  - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (घ) अन्संधान के लिए ₹ 270.00 करोड की राशि।
  - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

- (a) ₹ 10.00 cr. for modernisation of fire and emergency services in union Territories without Legislature.
  - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) ₹ 20.00 crore for maintenance of the border fencing and payment of electricity bills of flood lightening in the border areas.
  - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) ₹ 23.51 crore required for payment of compensation for afforestation, etc. and for payment of consultancy fees for feasibility studies for construction of Road along Indo Myanmar Border.
  - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) An amount of ₹ 270.00 is for research.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

# आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय

## MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 58 देखिये)

(See page 58 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

					(	करोड़ रुपये Rupee	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	6008.62			6008.62
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now					
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.03			0.03
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		6008.65			6008.65
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीष	र्गे के अंतर्गत	दिखाया जाये	गा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted	for under tl	ne following	Major H	eads:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2215 - जलापूर्ति और स्वच्छता	स्वीकृत:	2215 -Water Supply and Sanitation	Voted:	0.01	( <b>क</b> a)		0.01
2216 - आवास	स्वीकृत:	2216 -Housing	Voted:	0.01	(खb)		0.01
2217 - शहरी विकास	स्वीकृत:	2217 -Urban Development	Voted:	0.01	(गc)		0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.03			0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) स्कीम "एकीकृत निम्न लागत स्वच्छता" स्कीम के तहत अन्य प्रशासनिक व्यय की जरूरत पूरी करना (₹ 0.26 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित
- (ख) "राजीव ऋण योजना" के तहत अन्य प्रशासनिक व्यय (₹ 2.00 करोड़) और सभी को आवास हेत् नये मिशन (₹ 0.01 करोड़) की जरूरत पूरी करना।
  - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ग) "राजीन आवास योजना" स्केकीम के तहत विज्ञापन व प्रचार की जरूरत पूरी करना (₹ 10.00 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (a) meeting requirement of Other Administrative Expenses under the scheme "Integrated Low Cost Sanitation" (₹ 0.26 crore).
  - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting requirement of Other Administrative Expenses under "Rajiv Rinn Yojana" (₹ 2.00 crore) and for "New Mission for Housing for All" (₹ 0.01 crore).
  - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) meeting requirement of advertising & publicity under the scheme "Rajiv Awas Yojana" (₹ 10.00 crore).
  - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

# विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग

# DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 59 देखिये)

विद्यालय की स्थापना की स्कीम के तहत सहायता अनुदान।(₹ 430.00 करोड़)

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित

(See page 59 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

								(करोड़ रुपये Rup	ees in Crore)
						राजस्व		पूंजी	जोड़
						Revenue		Capital	Total
I. मूल .	अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
		स्वीकृत:			Voted:	82695.10			82695.10
इस सम	ाय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the	e amount	now				
अनुमान	न:		required:						
•		स्वीकृत:			Voted:	0.02			0.02
जोड़ (मूर	ल और पूरक)	Č	Total (Original plus Supplementary	<b>(</b> )		82695.12			82695.12
			II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम	म्नलिखित व	मुख्य शीर्षी के अंतर्ग	त दिखाया जार	येगा:		
			II. This Supplementary Grant v	will be acc	ounted for under	the following	g Major H	leads:	
						आयोजना		आयोजना-	जोड़
						Plan		भिन्न	Total
								Non-Plan	
राजस्व	<i>भाग</i>		REVENUE SECTION						
मुख्य १	गिर्ष		MAJOR HEAD						
2202 -	- सामान्य शिक्षा	स्वीकृत:	2202 -General Education		Voted:	0.01	(कa)		0.01
3601 -	- राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State G	overnmer	nts Voted:	0.01	(खb)		0.01
जोड़ (पूर	কে)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)		Voted:	0.02			0.02
यह पर	क अनुदान निम्नलिखित हेतु 3			The sur	oplementary gran	ts are requir	ed for		
(क)			ह शिक्षकों को भर्ती के रूप में भर्ती की		Grants-in-aid Sal			additional require	ement to the
( 1.)			ाता अनुदान (₹ 261.00 करोड़)		Kendriya Vidyala	-	-	-	
	Situation of the first of	g actor cions	1(11 51-341-1 (* 25 1.00 47(12)		of 4000 additiona		III (\ 201	.oo ororo, as the	o reoraliment
	अन्त्रान के रागि भाग में सार	उद्धा तसूत्रों त	ो देखते ह्ए सांकेतिक पूरक अपेक्षित					معاملة أماما	a anation of
	जनुदान के उसा मान में उपर है।	निष्य ष्यता प	ग पंखरा हुए सामातम मूर्य जमानत		Taking into acco				ie section of
( <del></del> )			- <del> </del>		the Grant, a toker		-	_	
(ख)	राज्य सरकारा का श्रष्ठता क	) बच मार्ग क 	तौर पर ब्लॉक स्तर 6000 मॉडल	(b)	Grants-in-aid to	State Govern	nment ur	nder the Schem	ie for setting

up of 6000 Model Schools at Block Level as Bench Mark of

Taking into account the savings available in the same section of

Excellence (₹ 430.00 crore).

the Grant, a token supplementary is sought.

### उचचतर शिक्षा विभाग

### DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 60 देखिये)

(See page 60 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

				राजस्व Revenue		पूंजी Capital	, , tapoo	जोड़ Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
Te Control	-वीकृत:		Voted:	27656.00				27656.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount						
अनुमान:		now required:						
ŧ	-वीकृत:		Voted:	0.03				0.03
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		27656.03				27656.03
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:						
		II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:						
			आयोजना			आयोजना-		जोड़
			Plan		भिन्न		Total	
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2203 - तकनीकी शिक्षा स्व	-वीकृत:	2203 -Technical Education	Voted:	0.01	( <b>क</b> a)	0.01	(खb)	0.02
2552 - पूर्वीतर क्षेत्र स्व	-वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(गc)			0.01
जोड़ (पूरक) स्व	वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02		0.01		0.03

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- स्कीम "भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, आन्ध्र प्रदेश" के तहत (क) अतिरिक्त जरूरत पूरी करने हेत् सामान्य सहायता अन्दान (₹ 0.50
  - (ii) स्कीमों के तहत अतिरिक्त जरूरत पूरी करने के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेत् अन्दानःराष्ट्रीय डिजाइन नवप्रवर्तन पहल (₹ 27.00 करोड़) और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, आन्ध्र प्रदेश (₹ 0.50 करोड)।

अन्दान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- "भारतीय प्रबंधन संस्थान(आईआईएम)" स्कीम के तहत पैन आईआईएम कार्य (ख) प्रबंधन पर सम्मेलन के आयोजन के लिए अतिरिक्त जरूरत पूरी करने हेत् सामान्य सहायता अन्दान (₹ 1.20 करोड़)। अन्दान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित
- निम्नलिखित स्कीमों के तहत अतिरिक्त जरूरत पूरी करने के लिए पूंजीगत (ग) आस्तियों के मृजन हेत् अन्दान (i)राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) (₹ 100.00 करोड़) (ii) भारतीय प्रबंधन संस्थान (₹ 10.00 करोड़) (iii) एसएलआईईटी, एनईआरआईएसटी, एनआईआईएफटी, रांची सीआईटी, कोकराझार सहित (₹ 20.00 करोड़)।

अन्दान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

Grants-in-aid General for meeting additional requirement under the Scheme of "Indian Institute of Information and technology, Andhra Pradesh" (₹ 0.50 crore).

(करोड रुपये Rupees in Crore)

(ii) Grants for creation of capital assets for meeting additional requirement under the schemes: National Initiative for Design Innovation (₹ 27.00 crore) and Indian Institute of Information and Technology, Andhra Pradesh (₹ 0.50 crore).

> Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- Grants-in-aid General for meeting additional requirement for organizing conference on PAN IIM work Management under the scheme of "Indian Institutes of Management (IIMs)" (₹ 1.20 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- Grants for creation of capital assets for meeting additional requirement under the following schemes. (i) National Institutes of technology (NITs) (₹ 100.00 crore) (ii) Indian Institutes of Management (₹ 10.00 crore) (iii) Assistance to other institutes including SLIET, NERIST, NIFFT Ranchi, CIT Kokrajhar ₹ 20.00 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

## श्रम और रोजगार मंत्रालय

### MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 62 देखिये)

(See page 62 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

					(	(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
				राजस्व		पूंजी	जोड़	
				Revenue		Capital	Total	
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	5783.78		19.53	5803.31	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount						
अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.03		•••	0.03	
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		5783.81		19.53	5803.34	
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:						
		II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:						
				आयोजना		आयोजना-	जोड़	
				Plan		भिन्न	Total	
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2230 - श्रम और रोजगार	स्वीकृत:	2230 -Labour and Employment	Voted:	0.01	(कa)		0.01	
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:	0.01	(खb)	•••	0.01	
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को	स्वीकृत:	3602 -Grants-in-aid to Union Territory	Voted:	0.01	(गc)	•••	0.01	
सहायता अनुदान		Governments						
जोड़ (पूरक)	_	Total (Supplementary)	Voted:	0.03			0.03	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) सामान्य सहायता अनुदान में कौशल विकास मिशन स्कीम के तहत राज्य सोसायिटयों को केन्द्र द्वारा दिए जाने वाला हिस्सा प्रदान करने हेतु व्यय पूरा करने के लिए (सामान्य एससीएसपी और टीएसपी घटक) (₹ 1.00 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (ख) (i) सामान्य सहायता अनुदान (सामान्य, एससीएसपी और टीएसपी घटक) और पूंजीगत परिसम्पति के सजृन (सामान्य, एससीएसपी और टीएसपी घटक) को अनुदान और कौशल विकास मिशन स्कीम के तहत प्रतिबधित देनदारियों को पूरा करने के लिए (₹ 71.34 करोड़)।
  - (ii) कौशल विकास मिशन स्कीम के तहत पूंजीगत आस्तियों (सामान्य, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र उप-आयोजना घटकों के लिए सामान्य, विशेष घटक आयोजना) और प्रतिबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए (₹ 40.00 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(ग) कौशल विकास मिशन स्कीम के तहत, संघ शासित राज्य सरकार को, लंबित

The supplementary grants are required for:

(a) meeting the expenditure for releasing Central Share to State Societies under the Scheme of Skill Development Mission in Grants-in-aid General (General, Special Component Plan for Scheduled Caste and Tribal Area Sub-Plan Components) (₹ 1.00 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- o) (i) meeting the expenditure for Grants-in-aid General (General, Special Component Plan for Scheduled Caste and Tribal Area Sub-Plan Components) (₹ 71.34 crore).
  - (ii) meeting the expenditure for Grants for creation of Capital Assets (General, Special Component Plan for Scheduled Caste and Tribal Area Sub-Plan Components) and meeting committed liabilities under the scheme of Skill Development Mission ( ₹ 40.00 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting the expenditure for release of funds to UT Government

# अनुदानों की पूरक मांगे, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

हुण्डियों के भुगतान के लिए दी जाने वाली राशि के व्यय को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (सामान्य, एससीएसपी और टीएसपी घटक) (₹ 1.50 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है। towards payment of pending bills under the scheme of Skill Development Mission Grants-in-aid General (General, Special Component Plan for Scheduled Caste and Tribal Area Sub-Plan Components) (₹ 1.50 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

# सूक्ष्म , लघ् और मध्यम उद्यम मंत्रालय

## MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 66 देखिये)

(See page 66 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) राजस्व पूंजी जोड़ Capital Revenue Total I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: 8.80 स्वीकृत: Voted: 3693.48 3702 28 इस समय आवश्यक रकम का पूरक Supplementary Estimate of the amount now अन्मान: required: Voted: 0.01 0.01 स्वीकृत: जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 3693.49 3702.29 8.80 II. इस प्रक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head: आयोजना जोड भायोजना-भिन्न Plan Total Non-Plan राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 2851 - ग्रामीण एवं लघु उद्योग स्वीकृत: 2851 -Village and Small Industries Voted: 0.01 0.01

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

वेतन और भते के भुगतान के व्यय को पूरा करने के लिए "सहायता अनुदान वेतन" के वस्तु शीर्ष के तहत महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान के लिए (₹ 2.74 करोड़) और "कौयर बोर्ड" (₹ 11.38 करोड़) की अतिरिक्त सहायता। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित हैं। The supplementary grant is required for:

additional requirement for "Mahatma Gandhi Institute for Rural Industrialization" (₹ 2.74 crore) and "Coir Board" (₹ 11.38 crore) under the object head "Grants-in-Aid Salaries" to meet expenditure on payment of Pay and Allowances. As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

# अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय

#### MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 68 देखिये)

(See page 68 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

				(करोड़ रुपये Rupees in Cro			es in Crore)		
				राजस्व		पूंजी	जोड़		
				Revenue		Capital	Total		
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:							
	स्वीकृत:		Voted:	3614.01		120.00	3734.01		
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now							
अनुमान:		required:							
	स्वीकृत:		Voted:	0.04			0.04		
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		3614.05		120.00	3734.05		
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:							
		II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:							
				आयोजना		आयोजना-	जोड़		
				Plan		भिन्न	Total		
						Non-Plan			
राजस्व भाग		REVENUE SECTION							
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD							
2225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित	स्वीकृत:	2225 -Welfare of Scheduled Castes,	Voted:	0.01	(कa)		0.01		
जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और		Scheduled Tribes, Other Backward Classes							
अल्पसंख्यकों का कल्याण		and Minorities							
2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	स्वीकृत:	2235 -Social Security and Welfare	Voted:	0.01	(खb)		0.01		
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(गc)		0.01		
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:	0.01	(घd)		0.01		
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.04			0.04		

## यह प्रक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) (i) सामान्य सहायता अनुदान के रूप में निःशुल्क कोचिंग स्कीम और संबद्ध स्कीम के तहत अतिरिक्त जरूरत पूरी करना (₹ 20.00 करोड़)।
  - (ii) इस वर्ष के दौरान मैरिट-कम मिन्स छात्रवृत्ति के नवीकरण के साथ ही नई छात्रवृत्तियों के लिए धन की अतिरिक्त जरूरत पूरा करने के तौर पर सामान्य सहायता अनुदान (₹ 15.00 करोड़)।
    - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) (i) सामान्य सहायता अनुदान के तौर पर, मंत्रालय द्वारा ब्रांडेड "सीखो और कमाओं" स्कीम के तहत अल्पसंख्यकों के लिए कौशल विकास पहेला की स्कीमों के तहत अतिरिक्त जरूरत पूरी करना (₹ 31.50 करोड़)।
  - (ii) अल्पसंख्यकों के लिए नई स्कीम के तहत कौशल विकास पहलों की स्कीम के तहत परंपरागत कला/शिल्प के विकास कौशल के उन्नयन हेत् प्रशिक्षण (यूएसटीटीएडी) हेत् व्यय पूरा करना (₹ 11.20 करोड़)।
  - (iii) भारत के अल्पसंख्यक सम्दायों की समृद्ध विरासत के अन्रक्षण संबंधी

- (i) Meeting the additional requirement of funds under the scheme of Free Coaching and Allied Scheme as Grantsin-aid General (₹ 20.00 Crore).
- (ii) Meeting the additional requirement of funds for renewal of Merit-cum-Means scholarship as well as towards new scholarships during this year as Grants-in-aid General (₹ 15.00 Crore).
  - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (i) Meeting the additional requirement of funds under the schemes of Skill Development Initiatives for minorities 'Seekho Aur Kamao" as Grants-in-aid General (₹ 31.50 crore)
- (ii) Meeting the additional requirement of funds under new scheme for Upgrading the Skill and Training of Traditional Arts/Crafts for Development (USTTAD) (₹ 11.20 crore)
- (iii) Meeting the expenditure under the new scheme "Hamari

## अन्दानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

- स्कीम के तहत हमारी धरोहर स्कीम हेतु व्यय पूरा करना (₹ 9.00 करोड़)।
- अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ग) (i) कौशल विकास पहल स्कीम के तहत अतिरिक्त धन की जरूरत पूरी करना, इस राशि में सामान्य सहायता अनुदान के रूप में बाढ़ राहत पैकेज के जम्मू-कश्मीर के "सीखो और कमाओं" घटक के तहत अपेक्षित धन शामिल है। (₹ 3.50 करोड़)।
  - (ii) परंपरागत कला/शिल्प के विकास हेतु कौशल उन्नयन प्रशिक्षण (यूएसटीटीएडी) हेत् व्यय पूरा करना (₹ 1.30 करोड़)।
  - (iii) हमारी धरोहर स्कीम के लिए व्यय पूरा करना (₹ 1.00 करोड़)।
    - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (घ) वर्ष के दौरान अल्पसंख्यकों हेतु मेट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति स्कीम के तहत छात्रवृत्ति के नवीकरण के लिए लगभग 11 राज्यों की अतिरिक्त जरूरत पूरी करना, जिसमें राज्य सरकारों को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातीयों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के सामान्य कल्याण के लिए स्कीम के तहत प्रतिवर्ष वृद्धि होती है (₹ 30.00 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- Dharohar" to preserve rich heritages of minorities communities of India (₹ 9.00 crore)
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (i) Meeting the expenditure for additional requirement of funds under the schemes of Skill Development Initiatives, the amount includes the funds required under "Seekho Aur Kamao" component of Jammu & Kashmir for flood Relief Package as Grants-in-aid General (₹ 3.50 crore).
- (ii) Meeting the expenditure for Upgrading the Skill and Training of Traditional Arts/Crafts for Development (USTTAD) (₹ 1.30 crore).
- (iii) Meeting the expenditure for Hamari Dharohar Scheme (₹ 1.00 crore).
  - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- Meeting the expenditure for additional requirement of funds from almost 11 States towards renewal of scholarship as well as scheme of new scholarship under Pre-Matric scholarship Scheme for Minorities during the year, which is increasing every year under the schemes for General Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities as Grants-in-aid to State Government (₹ 30.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

## नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

### MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 69 देखिये)

(See page 69 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) राजस्व पूंजी जोड Capital Total Revenue I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: स्वीकृत: 95.00 2439.39 2534.39 Voted: इस समय आवश्यक रकम का प्रक Supplementary Estimate of the amount अन्मान: now required: स्वीकृत: Voted: 323.00 200.00 523.00 2762.39 295.00 3057.39 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads: आयोजना आयोजना-जोड़ भिन्न Plan Total Non-Plan राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 2810 - नवीन तथा नवीकरणीय स्वीकृत: 2810 -New and Renewable Energy Voted: 323.00 (कa) 323.00 ऊर्जा पूंजी भाग CAPITAL SECTION मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 4810 - नवीन तथा नवीकरणीय स्वीकृत: 4810 - Capital Outlay on New and 200.00 (खb) 200.00 Voted: ऊर्जा पर पूंजी परिव्यय Renewable Energy जोड़ (पूरक) स्वीकृत: Total (Supplementary) Voted: 523.00 523.00 **टिप्पणी:** अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वस्**लियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें** व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है। Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure. **REVENUE SECTION** राजस्व भाग 2810 - नवीन तथा नवीकरणीय 2810 - New and Renewable Energy (-) 323.00 (-) 323.00 ऊर्जा पूंजी भाग **CAPITAL SECTION** 4810 - नवीन तथा नवीकरणीय 4810 - Capital Outlay on New and (-)200.00(-)200.00ऊर्जा पर पूंजी परिव्यय Renewable Energy

## यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- क) (i) ग्रिड संबंधित पवन ऊर्जा परियोजनाएं के लिए जनरेशन अधारित इन्सेन्टिव हेतु, ग्रिड इंटरएक्टिव और वितरित नवीकरणीय पावर ग्रिड इंटरएक्टिव नवीकरणीय पावर ग्रिड वापर सब्सिडी के तहत पवन ऊर्जा सब्सिडी के निर्गमन के लिए ₹ 299.00 करोड़।
  - (ii) निवेश प्रोत्साहन अंशदान सिहत अंतरराष्ट्रीय कार्क्रमों और अंतराष्ट्रीय सहयोग संबंधों को सहयोग प्रदान करने के लिए भारत का "पेस सैटर

- (i) releasing of Wind Power Subsidy of ₹ 299.00 crore under the Grid interactive and Distributed Renewable Power-Grid interactive Renewable Power-Wind Power-Subsidy for Generation based Incentive (GBI) for grid connected wind power projects.
  - (ii) releasing the balance amount towards India's matching contribution to the "PACESetter Fund" for Supporting

## अन्दानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

फण्ड" को समान अंशदान की बकाया राशि को प्रदान करने के लिए ₹ 24 करोड।

क्योंकि राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से व्यय को पूरा किया जाएगा, तकनीकी पूरक अपेक्षित है।

(ख) एनसीईएफ के तहत लोक क्षेत्र और अन्य उपक्रम भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी (आईआरईडीए) को व्यवहार्य नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) परियोजनाओं को उधार के लिए (₹ 200 करोड़) में निवेश।

> क्योंकि राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से व्यय को पूरा किया जाएगा, तकनीकी पूरक अपेक्षित है।

Programmes-International Relations-International Cooperation including investment promotion-Contributions ( $\rat{7} 24.00 \ \text{crore} )$ .

As the expenditure will be met from the National Clean Energy Fund, a technical Supplementary is sought.

investment in Public Sector and other undertakings- Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA) to on lend to viable Renewable Energy (RE) projects under NCEF (₹ 200.00 crore)

As the expenditure will be met from the National Clean Energy Fund, a technical supplementary is sought.

## प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय

#### MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 70 देखिये)

(See page 70 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) पूंजी जोड राजस्व Revenue Capital Total ।. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: स्वीकृत: Voted: 133.98 15.00 148.98 इस समय आवश्यक रकम का प्रक Supplementary Estimate of the amount now अन्मान: required: स्वीकृत: Voted: 5.00 5.00 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 20.00 153.98 133.98 II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head: आयोजना आयोजना-जोड़ Plan भिन्न Total Non-Plan पूंजी भाग CAPITAL SECTION मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** स्वीकृत: 4059 - लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी 4059 - Capital Outlay on Public Works Voted: 5.00 5.00 परिव्यय

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

प्रवासी भारतीय केन्द्र, नई दिल्ली के निर्माण के लिए राष्ट्रीय बिल्डिंग निर्माण निगम (एनबीसीसी) को भ्गतान।

अनुदान के राजस्व भाग में उपलबध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपरोक्त में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary grant is required for:

payment to National Building Construction Corporation (NBCC) for construction of Pravasi Bhartiya Kendra, New Delhi.

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

## कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

# MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 73 देखिये)

(See page 73 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

			,		<del></del>	
					(करोड़ रुपये Rupe	
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:		Charged:	2.50	3.00	5.50
	स्वीकृत:		Voted:	941.99	122.92	1064.91
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of	the amount now			
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplement	tary)	944.50	125.92	1070.42
	भारित:		Charged:	2.50	3.00	5.50
	स्वीकृत:		Voted:	942.00	122.92	1064.92
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब <sup>1</sup>	निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिख	ाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grar	nt will be accounted for under the fo	ollowing Majo	r Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत:	2070 -Other Administrative	Services Voted:	0.01		0.01
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अ	पेक्षित है:		The supplementary grant is requ	uired for:		
भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के लिए	₹ 5.00 करोड़	की पूंजीगत आस्तियों का सृजन।	Creation of Capital Assets of	₹ 5.00 crore	for Indian Institut	e of Public
			Administration.			
अन्दान के इसी भाग में उपलब्ध बचते	वे मद्देनजर स	iकेतिक पूरक अपेक्षित है।	Taking into account the savings	available in th	he same section o	f the Grant,
J ,			3			,

a token supplementary is sought.

# पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

## MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 75 देखिये)

(See page 75 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

							(करोड़ रुपये Rup	ees in Crore)
					राजस्व		पूंजी	जोड़
					Revenue		Capital	Total
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:			Voted:	63542.00		1.00	63543.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of	the amou	nt now				
अनुमान:		required:						
	स्वीकृत:			Voted:	0.01			0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	ŭ	Total (Original plus Supplement	ary)		63542.01		1.00	63543.01
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब f	नेम्नलिखि	त मुख्य शीर्ष के अंतर्गत	त दिखाया जाये	ागा:		
		II. This Supplementary Gran	t will be a	sccounted for under	the following	Major H	lead:	
					आयोजना		आयोजना-	जोड़
					Plan		भिन्न	Total
							Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2802 - पेट्रोलियम	स्वीकृत:	2802 -Petroleum		Voted:	0.01	(कa)	•••	0.01
यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत्	अपेक्षित है:		The s	supplementary gran	t is required	for:		
(क) आन्ध्र प्रदेश में पेट्रोलियम	यूनिवर्सिटी की र	=थापना (₹ 1.00 करोड़)।	(a)	setting up a Pe	troleum Uni	versity i	n Andhra Prad	lesh (₹ 1.00
				crore).				
अनुदान के उसी भाग में उ	नलब्ध बचतों कं	ो देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षि	₹	Taking into accor	unt the savir	ngs avail	able in the san	ne section of
है।				the Grant, a toker	n supplemen	tary is so	ought.	

#### योजना मंत्रालय

### MINISTRY OF PLANNING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 76 देखिये)

(See page 76 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) पूंजी जोड राजस्व Revenue Capital Total I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: स्वीकृत: 1828.36 778.50 2606.86 Voted: इस समय आवश्यक रकम का प्रक Supplementary Estimate of the amount now अन्मान: required: स्वीकृत: Voted: 7.99 7.99 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 1828.36 786.49 2614.85 II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head: आयोजना आयोजना-जोड़ Plan भिन्न Total Non-Plan पूंजी भाग CAPITAL SECTION मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** स्वीकृत: 4059 - लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी 4059 - Capital Outlay on Public Works Voted: 7.99 7.99 परिव्यय

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

'पादप किस्म संरक्षण और कृषक अधिकार प्राधिकरण' (पीपीवी एंड एफआरए) द्वारा निर्मित बिल्डिंग में राष्ट्रीय वर्षापोषित क्षेत्र प्राधिकार (एनआरएए) के कार्यालय के लिए 'आयोजना प्राधिकरण भवन'के उपर दो अतिरिक्त तलों के निर्माण का व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर उपरोक्त व्यय में कोई नकद व्यय नहीं होगा The supplementary grant is required for:

meeting the expenditure towards construction of two additional floors over 'Plan Authority Bhavan' for accommodating the office of the 'National Rainfed Area Authority (NRAA) in building being constructed by 'Protection of Plant Varieties and Farmers Right Authority' (PPV&FRA).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

## विद्युत मंत्रालय

### MINISTRY OF POWER

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 77 देखिये)

(See page 77 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

						(करोड़ र	ज्पर्य Rupe	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	7738.30		2986.50		10724.80
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	398.01				398.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		8136.31		2986.50		11122.81
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित म्	<b>गु</b> ख्य शीर्ष के अंत	र्गत दिखाया जा	येगा:			
		II. This Supplementary Grant will be acco	ounted for unde	er the followir	ng Major I	Head:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2801 - वियुत	स्वीकृत:	2801 -Power	Voted:	398.00	(कa)	0.01	(खb)	398.01
			नुमानों में नीचे दश	ई गयी वसूलियों	को शामिल व	नहीं किया गया है रि	जेन्हें व्यय में	से घटाकर
		Note: The above estimates of additional require	ements do not ta	ake into accoun	t the recov	eries shown belo	ow, which	are adjusted
		in reduction of expenditure.						
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
2801 - विद्युत		2801 - Power		(-) 199.00				(-) 199.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- क) लोक लेखा में रखी विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) को ₹ 199 करोड़ की राशि का अंतरण और पारेषण अवसंरचना के मौजूदा वितरण को मजबूत करने के लिए व्यय को पूरा करने के लिए ₹ 199 करोड़ की राशि प्रदान करना। आंतरिक बचत, अतिरिक्त वसूली और अतिरिक्त प्राप्तियों के मद्देनजर, इस पूरक में नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) "प्रौद्योगिकी नियंत्रण योजना और निगरानी" स्कीम के तहत केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को वेतन राशि प्रदान करने के लिए (₹ 4.00 करोड़)।
  - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

- (a) transferring an amount of ₹ 199 crore to Power System Development Fund (PSDF) kept in Public Account and releasing an amount of ₹ 199 crore towards meeting the expenditure on strengthening of existing distribution of transmission infrastructure. Taking into account the internal saving, additional recovery and additional receipts, this supplementary will not entail cash outgo.
  - providing funds for salary to Central Electricity Authority under scheme "Technical Control Planning and Monitoring" (₹ 4.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

### सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

#### MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 83 देखिये)

(See page 83 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) पूंजी जोड राजस्व Revenue Capital Total ।. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: भारित: 56.00 Charged: 56.00 स्वीकृत: Voted: 19603.37 37436.27 57039.64 इस समय आवश्यक रकम का Supplementary Estimate of the amount पूरक अन्मान: now required: 500.01 स्वीकृत: Voted: 500.01 जोड़ (मूल और पूरक) 20103.38 37492.27 57595.65 Total (Original plus Supplementary) भारित: Charged: 56.00 56.00 ... स्वीकृत: Voted: 20103.38 37436.27 57539.65 II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads: आयोजना आयोजना-जोड़ Plan भिन्न Total Non-Plan राजस्व भाग REVENUE SECTION म्ख्य शीर्ष MAJOR HEAD स्वीकृत: 3054 - सड़क और पुल 3054 -Roads and Bridges Voted: 500.00 (कa) 500.00 स्वीकृत: 3055 - सड़क परिवहन 3055 -Road Transport (खb) 0.01 Voted: 0.01 जोड़ (पूरक) स्वीकृत: Total (Supplementary) Voted: 0.01 500.00 500.01 यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: The supplementary grants are required for: राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव के लिए अतिरिक्त व्यय हेत् (₹ 500.00 करोड़) additional expenditure towards maintenance of National Highways (₹ 500.00 crore). उपरोक्त व्यय में नकद देना होगा। The above expenditure will entail a cash outgo.

(b)

(ख) मोटरगाड़ी के ड्राइविंग लाइसेंस एवं पंजीकरण प्रमाणपत्र के राज्य और राष्ट्रीय रिजस्टर बनाना।(₹ 7.68 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

creation of State and National Register of Driving License and Registration Certificate of Motor Vehicle (₹ 7.68 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

## जैव प्रौदयोगिकी विभाग

### DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 88 देखिये)

(See page 88 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) पूंजी जोड राजस्व Revenue Capital Total I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: स्वीकृत: 1517.21 Voted: 1517.21 इस समय आवश्यक रकम का प्रक Supplementary Estimate of the amount now अन्मान: required: स्वीकृत: Voted: 0.01 0.01 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 1517.22 1517.22 II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head: आयोजना आयोजना-जोड़ Plan भिन्न Total Non-Plan राजस्व भाग **REVENUE SECTION** मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान स्वीकृत: 3425 -Other Scientific Research Voted: 0.01 0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

अतिरिक्त व्यय हेतु (i) "अनुसंधान और विकास-कृषि जैव प्रौद्योगिकी और संबंधी क्षेत्रों" को सहायता के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 14 करोड़); (ii) "अनुसंधान और विकास-मौलिक अनुसंधान और उभरते क्षेत्र" की सहायता हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 7 करोड़) और (iii) जैव प्रौद्योगिकी सुविधाओं के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 4 करोड़)

अन्दान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

Meeting additional expenditure on (i) Grants-in-aid General (₹ 14 crore) for assistance for "Research & Development-Agricultural Biotechnology and Allied Areas"; (ii) Grants-in-aid General (₹ 7 crore) for assistance for "Research & Development—Basic Research and Emerging Areas" and (iii) Grants-in-aid general (₹ 4 crore) for Biotech facilities.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

## नौवहन मंत्रालय

## MINISTRY OF SHIPPING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 89 देखिये)

(See page 89 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

						(करोड़ रुपये	Rupees	in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	1258.66		516.08		1774.74
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount						
अनुमान:		now required:						
· ·	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Č	Total (Original plus Supplementary)		1258.67		516.09		1774.76
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुर	ज्य शीर्षों के 3 <del>.</del>	ांतर्गत दिखाय	ग जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accou	ınted for un	der the follo	wing Maj	or Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
3451 - सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत:	3451 -Secretariat-Economic Services	Voted:			0.01	(कa)	0.01
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
- 5051 - बंदरगाह और प्रकाश गृहों पर	स्वीकृत:	5051 - Capital Outlay on Ports and Light	Voted:	0.01	(खb)			0.01
पूंजी परिव्यय	· ·	Houses						
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.01		0.01		0.02
यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपे	क्षित है <sup>.</sup>	The supple	mentary gra	ants are red	uired for			
. 5		~ ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `	, ,			riat Economic	Service	es (₹ 3.00
तहत व्यावसायिक सेवाएँ।				ntment of A		mat Economic	2011100	,
(1917)		CION	c, ioi appoi	inition of A	i bili aloi.			

- अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित
- (ख) "चेन्नई बन्दरगाह न्यास" में तटीय सुरक्षा कार्य (₹ 15.00 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते ह्ए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- "Coastal Protection Work in Chennai Port Trust" (₹ 15.00 crore). (b) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

## सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

## DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 90 देखिये)

(See page 90 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

स्ता प्रताप प्रताप प्रताप प्रताप प्रताप प्रताप प्रताप प्रताप प्रताप स्ता क्ष्म प्रताप स्ताप प्रताप स्ताप स						(	करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
L सून अनुवान:J. ORIGINAL GRANT:इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:Supplementary Estimate of the amount now required:Supplementary Estimate of the amount now required:स्वीकृत:Voted:200.00200.00ओड़ (मूल और पूरक)Total (Original plus Supplementary)5750.74662.006412.74॥. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्निलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:आयोजवाआयोजवा॥. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्निलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:आयोजवाजोड़१ मीमाशिम्ल अनुदान का हिसाब निम्निलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:अयोजवाजोड़१ मीमाशिम्ल अनुदान का हिसाब निम्निलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:अयोजवाजोड़१ मीमाशिम्ल अनुदान के सन्याप प्रचान के अभ्याप का Welfare of Scheduled of under the following Major Head:१ प्रक अनुदान निम्निलिखित हैं अनुस्वित जाति, अनुस्वित उपिता, अनुस्वित जाति, अनुस्वित जाति, अनुस्वित प्रचान पर्यू शीर्ष अनुदान के सन्याप पर्यू और विद्या जायेगा:स्वीकृत:4225 - Capital Outlay on Welfare of Scheduled of Voted:200.00200.00अनुस्वित जाति के युवाओं और वर उपिता है:Castes, Scheduled Tribes , Other BackwardVoted:200.00200.00अनुस्वित जाति के युवाओं और वर उपिता है:The supplementary grant is required for:अनुस्वित जाति के युवाओं और वर उपिता है:The supplementation of Credit Enhancement Guarantee Scheme for Young and Start-up Entrepreneurs belonging to Scheduled Castes (₹ 200 crore).अनुदान के राजस्व के सम्बा में उपलब्ध बचत के अभ्यर्गण के महेनजर, उपरोक्त व्यय मेंTaking into account the surrender of savings available in the Revenue <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>राजस्व</td> <td>पूंजी</td> <td>जोड़</td>						राजस्व	पूंजी	जोड़
स्त समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: इस पूरक अनुमान किम्निलिखित हेतु अपेक्षित है: उम समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: इस समय आवश्यक रिक्न का पूरक अनुमान किम्निलिखित हेतु अपेक्षित है: इस समय आवश्यक रिक्न का समय समय किर अन्य अवश्यक रिक्न का सहमजर, उपरोक्त व्यय में अवश्यक रिमान का सम्बन्ध राजस्व आग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्गण के महेनजर, उपरोक्त व्यय में विकार विभाग के surrender of savings available in the Revenue						Revenue	Capital	Total
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
required: स्वीकृतः Voted: 200.00 200.00 जोड़ (मूल और पूरक)  Total (Original plus Supplementary) 5750.74 662.00 6412.74  II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्निलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: III. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:    1		स्वीकृत:			Voted:	5750.74	462.00	6212.74
स्वीकृत: Voted: 200.00 200.00 जोड़ (मूल और पूरक)  Total (Original plus Supplementary) 5750.74 662.00 6412.74   II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: III. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:  ### ### ### ### ### ### ### ### ### #	इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:		Supplementary Estima	te of the amount now				
जोड़ (मूल और प्रक)  Total (Original plus Supplementary)  [II. इस प्रक अनुदान का हिसाब निम्निलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगाः  III. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:  अयोजना आयोजना जोड़  Plan मिन्न Total  Non-Plan  प्रेजी आग  CAPITAL SECTION  मुख्य शीर्ष  MAJOR HEAD  4225 - अनुस्चित जाति, अनुस्चित स्वीकृतः 4225 - Capital Outlay on Welfare of Scheduled Voted: 200.00 200.00  जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और Castes, Scheduled Tribes , Other Backward  अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय  वह प्रक अनुदान निम्निलिखित हेतु अपेक्षित है:  अनुस्चित जाति के युवाओं और नए उद्यमियों के लिए ऋण संवर्धन गारंटी स्कीम का कार्यान्वयन (₹ 200 करोड़)।  अनुदान के राजस्व आग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण के महेनजर, उपरोक्त व्यय में Taking into account the surrender of savings available in the Revenue			required:					
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगाः  III. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:  अयर्गजना आयोजना जोड़  Plan शिन्त Total Non-Plan  पूंजी आग CAPITAL SECTION  मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD  4225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित स्वीकृतः 4225 - Capital Outlay on Welfare of Scheduled Voted: 200.00 200.00 जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और Castes, Scheduled Tribes , Other Backward अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय Classes and Minorities  The supplementary grant is required for: implementation of Credit Enhancement Guarantee Scheme for Young and कार्यान्वयन (₹ 200 करोड़)।  अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण के महेनजर, उपरोक्त व्यय में Taking into account the surrender of savings available in the Revenue		स्वीकृत:			Voted:		200.00	200.00
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head: आयोजना आयोजना आयोजना आयोजना आयोजना आयोजना शिल्ल पिता शिल पिता शिल्ल पिता शिल्ल पिता शिल्ल पिता शिल्ल पिता शिल्ल पिता शिल पिता शिल्ल पिता शिल्ल पिता शिल्ल पिता शिल पिता शिल पिता शिल पित	जोड़ (मूल और पूरक)	C	Total (Original plus Supple	ementary)		5750.74	662.00	6412.74
भूजी भाग CAPITAL SECTION भुख्य शीर्ष MAJOR HEAD  4225 - अनुस्चित जाति, अनुस्चित स्वीकृतः 4225 - Capital Outlay on Welfare of Scheduled Voted: 200.00 200.00 जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और Castes, Scheduled Tribes , Other Backward अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय Classes and Minorities  426 प्रक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: The supplementary grant is required for: implementation of Credit Enhancement Guarantee Scheme for Young and कार्यान्वयन (₹ 200 करोड़)। Start-up Entrepreneurs belonging to Scheduled Castes (₹ 200 crore).  437 अगुदान के राजस्व आग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण के महेनजर, उपरोक्त व्यय में Taking into account the surrender of savings available in the Revenue			II. इस पूरक अनुदान का हि	साब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष	के अंतर्गत (	देखाया जायेगा:		
Plan अभिन्न Total Non-Plan  एंजी भाग  CAPITAL SECTION  मुख्य शीर्ष  MAJOR HEAD  4225 - अनुस्चित जाति, अनुस्चित स्वीकृतः 4225 - Capital Outlay on Welfare of Scheduled Voted: 200.00 200.00 जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और Castes, Scheduled Tribes , Other Backward अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय Classes and Minorities  यह पूरक अनुदान निम्नतिखित हेतु अपेक्षित है: The supplementary grant is required for: अनुस्चित जाति के युवाओं और नए उद्यमियों के लिए ऋण संवर्धन गारंटी स्कीम का implementation of Credit Enhancement Guarantee Scheme for Young and कार्यान्वयन (₹ 200 करोड़)। Start-up Entrepreneurs belonging to Scheduled Castes (₹ 200 crore).  अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपरोक्त व्यय में Taking into account the surrender of savings available in the Revenue			II. This Supplementary	Grant will be accounted fo	r under th	e following Ma	ajor Head:	
भूजी भाग CAPITAL SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD  4225 - अनुस्चित जाति, अनुस्चित स्वीकृतः 4225 - Capital Outlay on Welfare of Scheduled Voted: 200.00 200.00 जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और Castes, Scheduled Tribes , Other Backward अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय Classes and Minorities  यह पूरक अनुदान निम्निलेखित हेतु अपेक्षित हैः The supplementary grant is required for: अनुस्चित जाति के युवाओं और नए उग्रमियों के लिए ऋण संवर्धन गारंटी स्कीम का implementation of Credit Enhancement Guarantee Scheme for Young and कार्यान्वयन (₹ 200 करोड़)। Start-up Entrepreneurs belonging to Scheduled Castes (₹ 200 crore).  अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपरोक्त व्यय में Taking into account the surrender of savings available in the Revenue						आयोजना	आयोजना-	जोड़
मुंजी भाग						Plan	भिन्न	Total
मुख्य शीर्ष  4225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित स्वीकृतः 4225 - Capital Outlay on Welfare of Scheduled Voted: 200.00 200.00 जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और Castes, Scheduled Tribes , Other Backward अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय Classes and Minorities  यह पूरक अनुदान निम्नित्थित हेतु अपेक्षित है: The supplementary grant is required for: अनुसूचित जाति के युवाओं और नए उद्यमियों के लिए ऋण संवर्धन गारंटी स्कीम का implementation of Credit Enhancement Guarantee Scheme for Young and कार्यान्वयन (₹ 200 करोड़)। Start-up Entrepreneurs belonging to Scheduled Castes (₹ 200 crore).  अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपरोक्त व्यय में Taking into account the surrender of savings available in the Revenue							Non-Plan	
4225 - अनुस्चित जाति, अनुस्चित स्वीकृतः 4225 - Capital Outlay on Welfare of Scheduled Voted: 200.00 200.00 जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और Castes, Scheduled Tribes , Other Backward अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय Classes and Minorities  यह प्रक अनुदान निम्नित्खित हेतु अपेक्षित हैं: The supplementary grant is required for: implementation of Credit Enhancement Guarantee Scheme for Young and कार्यान्वयन (₹ 200 करोड़)। Start-up Entrepreneurs belonging to Scheduled Castes (₹ 200 crore). अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपरोक्त व्यय में Taking into account the surrender of savings available in the Revenue	पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और Castes, Scheduled Tribes , Other Backward अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय Classes and Minorities  यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं: अनुसूचित जाति के युवाओं और नए उद्यमियों के लिए ऋण संवर्धन गारंटी स्कीम का implementation of Credit Enhancement Guarantee Scheme for Young and कार्यान्वयन (₹ 200 करोड़)।  अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपरोक्त व्यय में  Taking into account the surrender of savings available in the Revenue	मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय  Classes and Minorities  यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:  अनुस्चित जाति के युवाओं और नए उद्यमियों के लिए ऋण संवर्धन गारंटी स्कीम का implementation of Credit Enhancement Guarantee Scheme for Young and कार्यान्वयन (₹ 200 करोड़)।  अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपरोक्त व्यय में  Taking into account the surrender of savings available in the Revenue	4225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित	स्वीकृत:	4225 - Capital Outlay o	n Welfare of Scheduled	Voted:	200.00		200.00
यह प्रक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:  अनुस्चित जाति के युवाओं और नए उद्यमियों के लिए ऋण संवर्धन गारंटी स्कीम का कार्यान्वयन (₹ 200 करोड़)।  अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपरोक्त व्यय में  The supplementary grant is required for:  implementation of Credit Enhancement Guarantee Scheme for Young and Start-up Entrepreneurs belonging to Scheduled Castes (₹ 200 crore).  Taking into account the surrender of savings available in the Revenue	जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और		Castes, Scheduled Trib	oes , Other Backward				
अनुस्चित जाति के युवाओं और नए उद्यमियों के लिए ऋण संवर्धन गारंटी स्कीम का implementation of Credit Enhancement Guarantee Scheme for Young and कार्यान्वयन (₹ 200 करोड़)।  अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपरोक्त व्यय में  Taking into account the surrender of savings available in the Revenue	अल्पसंख़्यकों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय		Classes and Minorities					
अनुस्चित जाति के युवाओं और नए उद्यमियों के लिए ऋण संवर्धन गारंटी स्कीम का implementation of Credit Enhancement Guarantee Scheme for Young and कार्यान्वयन (₹ 200 करोड़)।  अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपरोक्त व्यय में  Taking into account the surrender of savings available in the Revenue								
कार्यान्वयन (₹ 200 करोड़)। Start-up Entrepreneurs belonging to Scheduled Castes (₹ 200 crore). अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपरोक्त व्यय में Taking into account the surrender of savings available in the Revenue	यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:			The supplementary gran	t is require	ed for:		<del></del>
अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपरोक्त व्यय में Taking into account the surrender of savings available in the Revenue	अनुसूचित जाति के युवाओं और नए उद्यमियों व	के लिए ऋप	ग संवर्धन गारंटी स्कीम का	implementation of Credit	Enhance	ment Guaran	tee Scheme for	Young and
\( \cdot \cd	कार्यान्वयन (₹ 200 करोड़)।			Start-up Entrepreneurs b	elonging	to Scheduled	Castes (₹ 200 c	crore).
\( \cdot \cd	अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत के उ	अभ्यर्पण के	मद्देनजर, उपरोक्त व्यय में	Taking into account the	surrende	er of savings	available in th	e Revenue
occition of the orange that any additional	न कोई अतिरिक्त नहीं होगा।			Section of the Grant, the	e above e	expenditure w	ill not entail any	y additional

cash outgo.

### अंतरिक्ष विभाग

#### DEPARTMENT OF SPACE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 92 देखिये)

(See page 92 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

						(करोड़ रुपये	Rupees	in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	भारित:		Charged:	0.50		0.40		0.90
	स्वीकृत:		Voted:	3583.56		3653.58		7237.14
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount						
अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.02				0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		3584.08		3653.98		7238.06
	भारित:		Charged:	0.50		0.40		0.90
	स्वीकृत:		Voted:	3583.58		3653.58		7237.16
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित म्	एख्य शीर्ष के अंतर्गत	न दिखाया जा	येगा:			
		II. This Supplementary Grant will be acco	ounted for under	the followin	ıg Major	Head:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
3402 - अंतरिक्ष अनुसंधान	स्वीकृत:	3402 -Space Research	Voted:	0.01	(कa)	0.01	(खb)	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए (i)सेमी कनडक्टर प्रयोगशाला के लिए सामान्य सहायक अनुदान (₹ 6.67 करोड़)और पूंजी परिसंपत्ति के सर्जन के लिए अनुदान (₹ 2.71 करोड़) और (ii)भारतीय अन्तरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान को सहायता अनुदान के रूप में (₹ 1 करोड़) ताकि अपूर्ण वायदों को पूरा कर सकें।
  - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) 4 स्वायत्तशासी निकायों को सहायता अनुदान जिसमें (i)सेमी कन्डक्टर प्रयोगशाला (₹ 1.13 करोड़), (iii)भारतीय अन्तरिक्ष विज्ञान प्रोचोगिकी संस्थान (₹ 1.50 करोड़), (iii)नार्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेन्टर (₹ 1 करोड़) और (iv)नेशनल एटमोसफेरिक रिसर्च लेबोरेट्री (₹ 1.40 करोड़)तािक वर्ष 2014-15 में अतिरिक्त श्रमशिक्त की नियुक्ति और मंहगाई भत्ता शेष की अतिरिक्त जरूरत को पूरी की जा सके।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है। The supplementary grant is required for:

- (a) meeting the additional expenditure on (i) Semi-conductor Laboratory towards Grants-in-aid general (₹ 6.67 crore) and Grants for creation of Capital Assets (₹ 2.71 crore) and (ii) Indian Institute of Space Science & Technology (₹ 1 crore) as Grants-in-aid General in order to liquidate the spill over commitments.
  - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
  - ) Grants-in-aid Salary to the 4 autonomous bodies viz. (i) Semi-conductor Laboratory (₹ 1.13 crore), (ii) Indian Institute of Space Science & Technology (₹ 1.50 crore), (iii) North Eastern Space Applications Centre (₹ 1 crore) and (iv) National Atmospheric Research Laboratory (₹ 1.40 crore) to meet the additional requirement of arrears of Dearness Allowances and recruitment of additional manpower during 2014-15.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

## वस्त्र मंत्रालय

## MINISTRY OF TEXTILES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 95 देखिये)

(See page 95 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम के लिए (₹ 3.33 करोड़) की सामान्य

सहायता अनुदान की जरूरत है।

(vi)

										(करोड़ रुप	खे Rupe	es in Cı	rore)
								राजस्व		पूंजी		जे	ोड़
								Revenue		Capital		То	tal
l. मूल	अनुदान:	•		I. ORIGINAL GRANT:									
			भारित:				Charged:			35.34	!	3.	5.34
			स्वीकृत:				Voted:	5547.70		114.39	l	5662	2.09
इस स	मय आवः	श्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the	amount								
अनुमा	न:			now required:									
			भारित:				Charged:	20.51				2	0.51
			स्वीकृत:				Voted:	0.03				(	0.03
जोड़ (म	र्ल और प्र	क)		Total (Original plus Supplementary)				5568.24		149.73	į	571	7.97
			भारित:				Charged:	20.51		35.34	!	5.	5.85
			स्वीकृत:				Voted:	5547.73		114.39	l	5662	2.12
				II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हि II. This Supplementary Grant/Ap	साब निम्न opropriatio	ানিखিন on wil	त मुख्य शीषे l be accour	ैं के अंतर्गत nted for un आयोजना Plan	दिखाया der the	जायेगा: following Majo आयोजना- भिन्न Non-Plan	r Heads	जे	ोड़ otal
	व भाग			REVENUE SECTION									
मुख्य	शीर्ष			MAJOR HEAD									
2851	- ग्रामीण	एवं लघु उद्योग	स्वीकृत:	2851 -Village and Small Industr	ies		Voted:	0.01	( <b>क</b> a)	0.01	(खb)	) (	0.02
2852	- उद्योग		भारित:	2852 - Industries			Charged:			20.51	1 (गc)	2	0.51
3601	- राज्य र	ारकारों को सहायता	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State Go	vernment	ts	Voted:	•••		0.01	(घd)	(	0.01
जोड़ (पृ	्रक)			Total (Supplementary)				0.01		20.53	i	2	20.54
			भारित:				Charged:			20.51	1	2	0.51
			स्वीकृत:				Voted:	0.01		0.02		(	0.03
यह पूर	रक अनुदा	न/विनियोग निम्निल	खित हेत् अ	नेक्षित है:	The su	ıpplen	nentary gra	ant/approp	riation a	are required for	 :		
(क)	(i)		•	सेंटर और क्राफ्ट म्य्जियम" को (₹		(i)				Facilitation (		and C	Craft
` ,	**	8.00 करोड़) सामा		•	` ,	.,	Museun	n" (₹ 8.00	crore)	as Grant-in-aid	l-genera	ıl.	
	(ii)			्र सेंटर और क्राफ्ट म्युजियम" को तहत		(ii)		,	,	Facilitation (	_		Craft
	( )			ए सहायक अनुदान (₹ 12.00 करोड़)		( )		n" (₹ 12.0		e) as Grant-in			
	(iii)	नई स्कीम "ट्रेड पे	<b>म्सिलिटेश</b> न	सेंटर और क्राफ्ट म्युजियम" के तहत		(iii)	New S	Scheme '	Trade	Facilitation (	Centre	and C	Craft
		अन्य प्रशासनिक	खर्चों के लिए	(₹ 0.50 करोड़)।			Museun	n" (₹ 0	.50 cr	ore) for Oth	ner Ad	lministra	ative
							Expens			,			
	(iv)	नई स्कीम "ट्रेड पे	<b>म्मिलिटेशन</b>	सेंटर और क्राफ्ट म्य्जियम" के तहत		(iv)	•		Trade	Facilitation (	Centre	and C	Craft
	(,	पेशेवर सेवाओं के '		5		···/				or Professiona			
	(v)			सेंटर और क्राफ्ट म्युजियम" के तहत		(v)			,	Facilitation (			Craft
	(*)			ं (₹ 0.50 करोड़) सामान्य सहायता		(*)				or Advertiseme			
		अन्दान।		( 3.00 ) (A) (Helle 4 (10) 4(H			Mascall	(1 0.00	5, 5, 6, 1	o. Auvortiseine	,, it allu l	abiloity	, -
		31-341-11											

(vi)

Grant-in-aid General.

Catalytic Development Programme (₹ 3.33 crore) as

### अन्दानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

- (vii) उतप्रेरक विकास कार्यक्रम के तहत, पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन के लिए (Rs 2.20 करोड़) की सहायता अन्दान।
- अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) भारतीय कालीन प्रौचोगिक संस्थान, भदोही के शैक्षिक और गैर-शैक्षिक कर्मचारियों के लिए छठे केन्द्रीय वेतन आयोग श्रेणी को लागू करने के लिए बजटीय सहायता के रूप में सहायता अनुदान वेतन के लिए (₹ 3.50 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित हैं।
- (ग) माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए, नई भोपाल कपड़ा मिल्स, भोपाल के सम्बन्ध में स्टेट बैंक आफ इंडिया, भोपाल को भुगतान के लिए आयुक्त को, जारी सीएफआई अग्रिम का रिकूपमेंट। (₹ 20.51 करोड़)। अनुदान के राजस्व स्वीकृत भाग में समान राशि में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद राशि नहीं देनी होगी।
- (घ) पहले की जमा स्टॉक के हथकरघा वस्त्र के मूल्य की 10% विशेष छूट की प्रतिबद्ध देयता को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 9.52 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में समान उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांग आपेक्षित है।

- (vii) Catalytic Development Programme (₹ 2.20 crore) as Grant-in-aid for creation of capital Asset.
- Taking into account the savings available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.
- (b) As Grant-in-aid-salaries as budget support for implementation of 6th Central Pay Commission Scale for teaching and non-teaching staff of Indian Institute of Carpet Technology, Bhadohi (₹ 3.50 crore). Taking into account the savings available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.
- (c) For recoupment of CFI Advance (₹ 20.51 crore) released to Commissioner of Payment to pay to State Bank of India, Bhopal relating to New Bhopal Textile Mills, Bhopal in compliance of the Hon'ble High Court of Madhya Pradesh (seat Jabalpur) order. Taking into account the surrender of savings of the equivalent amount available in the revenue voted section of the grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- (d) As Grant-in-aid-general to set off the Committed liability of erstwhile scheme of Special Rebate of 10% of the Value of Handloom Cloth out of accumulated stock (₹ 9.52 crore). As matching savings are available under same Section of grant a Token Supplementary is sought.

## अंडमान और निकोबार दवीप समृह

## ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 98 देखिये)

(See page 98 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

				राजस्व Revenue		पूंजी Capital	,	जोड़ Total
l. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:						
	भारित:		Charged:	0.01				0.01
	स्वीकृत:		Voted:	3046.77		566.60		3613.37
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount						
अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	85.96		0.01		85.97
जोड़ (मूल और प्रक)		Total (Original plus Supplementary)		3132.74		566.61		3699.35
	भारित:		Charged:	0.01				0.01
	स्वीकृत:		Voted:	3132.73		566.61		3699.34
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य । II. This Supplementary Grant will be accounte	शीर्षों के अंतर्ग od for under	त दिखाया ज the followin	ायेगा: Sa Maior ⊔	oade:		
		ii. This Supplementary Grant will be accounted	ta ioi unaei	आयोजना	ig iviajoi i ii	eaus. आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				Non-Plan		
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
गृह मंत्रालय		Ministry of Home Affairs						
2202 - सामान्य शिक्षा	T-1	•	Votodi	0.04	(कa)			0.04
	स्वीकृत:	2202 -General Education	Voted:	0.01	(4°a)	 0E 0E	(ਸਰ <b>ਨ</b> )	0.01
2801 - विद्युत जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	2801 -Power  Total (Revenue Section)	Voted:			85.95	(खb)	85.95
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		85.95		85.96
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष गृह मंत्रालय		MAJOR HEAD						
<u> </u>		Ministry of Home Affairs			<i>(</i>			
4851 - ग्राम एवं लघु उद्योगों पर	स्वीकृत:	4851 - Capital Outlay on Village and Small	Voted:	0.01	(गc)	•••		0.01
पूंजी परिव्यय		Industries		0.00		05.65		05.05
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02		85.95		85.97

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) नए आंरभ किए गए कॉलेजो (एनएनसीओएल) के व्यय पूरे करना (₹ 0.25 करोड़)।
  - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) बिजली उत्पादन के लिए एचएसडी की खरीद का व्यय पूरा करने के लिए (₹ 85.95 करोड़)
  - अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपयुर्क्त व्यय में कोई नकद नहीं देना होगा।
- (ग) सूक्ष्म और लघु उद्यम मंत्रालय की सूक्ष्म और लघु उद्योग क्रेडिट गांरटी निधि के कार्यान्वयन हेतु संघ शासित राज्यों के हिस्सा के लिए अतिरिक्त जरुरत पूरी करना (₹ 5.00 करोइ)।
  - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting the expenditure for newly started college (ANCOL) (₹ 0.25 crore)
  - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

- (b) meeting the expenditure towards purchase of HSD for power generation. (₹ 85.95 crore)
  - Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
  - meeting the additional expenditure towards UTs share for implementation of Credit Guarantee Fund Scheme for Micro and Small Enterprises of Ministry of MSME (₹ 5.00 crore)
    - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

### लक्षदवीप

#### **LAKSHADWEEP**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 125 देखिये)

(See page 125 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

					(करोड़ रुपये	Rupees	in Crore)
				राजस्व	पूंजी		जोड़
				Revenue	Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	837.74	227.90		1065.64
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now					
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.05			0.05
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		837.79	227.90		1065.69
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीष	िके अंतर्गत १९ ५१ वटा स	ा दिखाया जायेगा: ha fallawing Ma	ior Hoodo:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted for	or under ti	ne ionowing ivia <b>आयोजना</b>	ijoi neaus. <b>आयोजना-</b>		जोड
				Plan	भिन्न		Total
					Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
गृह मंत्रालय		Ministry of Home Affairs					
2202 - सामान्य शिक्षा	स्वीकृत:	2202 -General Education	Voted:		0.01	(कa)	0.01
2205 - कला और संस्कृति	स्वीकृत:	2205 -Art and Culture	Voted:	•••	0.01	(खb)	0.01
2230 - श्रम और रोजगार	स्वीकृत:	2230 -Labour and Employment	Voted:	•••	0.01	(गc)	0.01
2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	स्वीकृत:	2235 -Social Security and Welfare	Voted:		0.01	(घd)	0.01
2515 - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	स्वीकृत:	2515 -Other Rural Development Programmes	Voted:		0.01	( <b>ङ</b> e)	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:		0.05		0.05

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) पंचायती राज संस्थानों के तहत शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को वेतन व भतों के लिए वेतन सहायता अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 4.80 करोड़)।
  - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) पंचायती राज संस्थानों के तहत कार्यरत कला और संस्कृति विभाग के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों व एमएसीपी के बकाया के लिए सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 0.46 करोड़)।
  - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ग) पंचायती राज संस्थानों के तहत कार्यरत रोजगार और प्रशिक्षण विभाग के कर्मचारियों को टंकण संस्थान चलाने व अनुरक्षण और वेतन व भत्तों के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 0.21 करोइ)
  - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (घ) मिहला और बाल विकास विभाग के तहत कार्यरत एलएसएसडब्ल्यूबी के कर्मचारियों के वेतन व भत्ते के लिए सामान्य सहायता अनुदान के तहत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (₹ 0.65 करोइ)।

The supplementary grants are required for:

- (a) Meeting additional expenditure for pay and allowances of employees of Dept. of Education working under PRIs (₹ 4.80 crore)
  - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Meeting additional expenditure for pay and allowances and payment of MACP arrears of employees of Dept. of Art &Culture working under PRIs (₹ 0.46 crore)
  - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) Meeting additional expenditure for running and maintenance of Typewriting Institutes and pay and allowances of dept. of Employment of training working under PRIs (₹ 0.21 crore)
  - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) Meeting additional expenditure for pay and allowances of employees of LSSWB functioning under Dept. of Women and Child Development.(₹ 0.65 crore)

## अनुदानों की पूरक मांगे, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(e)

- अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ङ) पंचायती राज संस्थानों के तहत पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों को वेतन व भत्ते की जरूरत पूरा करना (₹ 1.25 करोड़)।
  - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- Meeting additional expenditure for pay and allowances of employees of Dept. of Panchayat working under PRIs (₹ 1.25 crore)
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

## शहरी विकास विभाग

## **DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 131 देखिये)

(See page 131 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

स्तान अधार क्षा क्ष	, , ,		·		•		(करोड़ रुप	ये Rupe	es in Crore)
हिस्त मानुवान स्वाव स्					राजस्व		पूंजी		जोड़
स्तान स्तान स्तान स्तान प्राप्त स्तान प्राप्त स्तान स्तान स्वान स					Revenue		Capital		Total
स्तान्ता त्रान्त त्राप्त त्राप्त हिना स्वाप्त हिना हिना हिना हिना हिना हिना हिना हिना	l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
हस समय आवश्यक सक्त मे बाप पुरा हिंद		भारित:		Charged:	61.80		107.00		168.80
स्वानानाः । तथा प्रवानानाः । तथा प्रवानाः । तथा प्रवानानाः । तथा प्रवानाः । तथा प्रवानाः । तथा प्रवानाः । तथा प्रवानाः । तथा प्रवानानाः । तथ		स्वीकृत:		Voted:	8633.60		8826.20		17459.80
स्ता संत	इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount						
स्विन्त । स्वि	अनुमान:		now required:						
मेहार मुन्न औप्रस्क । प्रेशांतर अप्रतिव विभाग प्रविक्ष विभाग स्थाप स्		भारित:		Charged:	2.37		41.50		43.87
स्त क्षिण क्षिण क्षिण क्षिण क्षण क्षण क्षण क्षण क्षण क्षण क्षण क्ष		स्वीकृत:		Voted:	0.03		0.02		0.05
स्वीकृत स्वीकृत । इसीकृत । इ	जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		8697.80		8974.72		17672.52
श्रिष्ट प्रकार विकास पर्वाप्त विकास वि		भारित:		Charged:	64.17		148.50		212.67
Republic of Section 1		स्वीकृत:		Voted:	8633.63		8826.22		17459.85
स्वित्त । प्राप्त विकास पर्याप्त विकास विका			II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्	नलिखित मुख्य	शीर्षों के अंत	ति दिखार	ग जायेगा:		
स्थान स् स्थान स्थान स्			II. This Supplementary Grant/Appropriat	tion will be ac	counted for	under th	e following Ma	ajor He	ads:
स्वस्त्र भाग स्वप्ति					आयोजना		आयोजना-		जोड़
सुख्य शीर्ष					Plan				Total
मुख्य शीर्ष अमितः 2216 - Housing Charged: 237 (के) 2.37 (के)							Non-Plan		
2216 - आवास अगरितः 2216 - Housing Charged: 237 (क्व) 2.37 (क्व) 2.37 (व्व) 2.217 - शहरी विकास स्वीकृतः 2217 - Urban Development Voted: 0.01 (खंb) 0.01 0.01 (व्व) 0.01 विव)									
2217 - शहरी विकास स्वीकृतः 2217 - Urban Development Voted: 0.01 (खb) 0.01 (3001 - राज्य सरकारों को सहायता स्वीकृतः 3601 - Grants-in-aid to State Voted: 0.01 (गट) 0.01 (3001 - राज्य सरकारों को सहायता स्वीकृतः 3601 - Grants-in-aid to Union Territory Voted: 0.01 (3001 (3001 - 3001 -	•	_							
3601 - राज्य सरकारों को सहायता स्वीकृतः विवाद विवाद प्रवाद प्रव				Charged:			2.37	( <b>क</b> a)	
Sovernments स्वीकृतः Sovernments स्वीकृतः Sovernments प्रविक्ताः स्वीकृतः Sovernments प्रविद्या अनुदान Governments Total (Revenue Section) 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.0			2217 -Urban Development	Voted:	0.01	(खb)			0.01
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को स्वीकृतः 3602 - Grants-in-aid to Union Territory Voted: 0.01 (छd) 0.01 सहायता अनुदान Governments  नोइ (राजस्व भाग) 7014 (Revenue Section) 7003 2.37 2.40 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37	3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State	Voted:	0.01	(गc)			0.01
सहायता अनुदान Governments नोइ (राजस्व आग) Total (Revenue Section) 0.03 2.37 2.40 भगिरतः स्वीकृतः Charged: ज. 2.37 2.37 पूर्जी आग CAPITAL SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD  4216 - आवास पर पूंजी परिव्यय स्वीकृतः 4216 - Capital Outlay on Housing Voted: ज. 0.01 (ज. 0.01 (ज. 0.01) परिव्यय Development  7601 - राज्य सरकारों को ऋण और अगिरतः 7601 - Loans and Advances to State Charged: 41.50 (छ9) ज. 41.50 जोइ (पूंजी आग) 70tal (Capital Section) 41.51 0.01 41.51 जोइ (पूंजी आग) 70tal (Supplementary) 43.57			Governments						
निवं (राजस्व भाग)      तिवा (Revenue Section)     तिवा (Revenue Section)     तिवा (तिवावधाः पर प्रविक्तः परविक्तः परविक्रः परविक्तः परवि	3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को	स्वीकृत:	3602 -Grants-in-aid to Union Territory	Voted:	0.01	(घd)			0.01
स्वीकृतः Voted: 0.03 2.37 2.37 व्याप्त भाग	सहायता अनुदान		Governments						
स्वीकृतः	जोड़ (राजस्व भाग)		Total (Revenue Section)		0.03		2.37		2.40
मुंजी आग				Charged:			2.37		2.37
मुख्य शीर्ष		स्वीकृत:		Voted:	0.03				0.03
4216 - आवास पर पूंजी परिव्यय स्वीकृतः 4216 - Capital Outlay on Housing Voted: 0.01 (इंe) 0.01 4217 - शहरी विकास पर पूंजी स्वीकृतः 4217 - Capital Outlay on Urban Voted: 0.01 (चिं) 0.01 परिव्यय Development  7601 - राज्य सरकारों को ऋण और आरितः 7601 - Loans and Advances to State Charged: 41.50 (छु) 41.50 अग्रिम Governments  जोड़ (पूंजी भाग) Total (Capital Section) 41.51 0.01 41.52 जोड़ (पूरक) 701 (Supplementary) 41.54 2.38 43.92	**		CAPITAL SECTION						
4217 - शहरी विकास पर पूंजी स्वीकृत: 4217 - Capital Outlay on Urban Voted: 0.01 (ची) 0.01 परिव्यय Development 7601 - राज्य सरकारों को ऋण और आरित: 7601 - Loans and Advances to State Charged: 41.50 (छg) 41.50 अग्रिम Governments जोड़ (पूंजी भाग) Total (Capital Section) 41.51 0.01 41.52 जोड़ (पूरक) शारित: Total (Supplementary) 41.54 2.38 43.92	मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
परिव्यय Development 7601 - राज्य सरकारों को ऋण और अगरितः 7601 - Loans and Advances to State Charged: 41.50 (छg) 41.50 अग्रिम Governments जोड़ (पूंजी भाग) Total (Capital Section) 41.51 0.01 41.52 जोड़ (पूरक) Total (Supplementary) 41.54 2.38 43.92	4216 - आवास पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4216 - Capital Outlay on Housing	Voted:			0.01	(ਝe)	0.01
7601 - राज्य सरकारों को ऋण और <i>भारित:</i> 7601 - Loans and Advances to State <i>Charged:</i> 41.50 (छg) 41.50 अग्रिम जोड़ (पूंजी भाग) Total (Capital Section) 41.51 0.01 41.52 जोड़ (पूरक) Total (Supplementary) 41.54 2.38 43.92	4217 - शहरी विकास पर पूंजी	स्वीकृत:	4217 - Capital Outlay on Urban	Voted:	0.01	(चf)			0.01
3িটান Governments  নার (पूंजी भाग) Total (Capital Section) 41.51 0.01 41.52 নার (पूरक) Total (Supplementary) 41.54 2.38 43.92  भारित: Charged: 41.50 2.37 43.87	परिव्यय		Development						
जोड़ (पूंजी भाग) Total (Capital Section) 41.51 0.01 41.52 जोड़ (पूरक) Total (Supplementary) 41.54 2.38 43.92 भारित: Charged: 41.50 2.37 43.87	7601 - राज्य सरकारों को ऋण और	भारित:	7601 - Loans and Advances to State	Charged:	41.50	(छg)			41.50
जोड़ (पूरक) Total (Supplementary) 41.54 2.38 43.92 भारितः Charged: 41.50 2.37 43.87	अग्रिम		Governments						
भारित: Charged: 41.50 2.37 43.87	जोड़ (पूंजी भाग)		Total (Capital Section)		41.51		0.01		41.52
·	जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		41.54		2.38		43.92
स्वीकृत: Voted: 0.04 0.01 0.05		भारित:		Charged:	41.50		2.37		43.87
		स्वीकृत:		Voted:	0.04		0.01		0.05

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant/appropriation are required for:

<sup>(</sup>i) अन्य प्रशासनिक व्यय (₹ 0.07 करोड़), (ii) गौण निर्माण कार्यों (₹ 1.65 (a) meeting additional requirement (₹ 2.37 crore) for (i) Other

#### अन्दानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

करोड़) और (iii) किराया, दरों और करों (₹ 0.65 करोड़)का अतिरिक्त व्यय (₹ 2.37 करोड़) पूरा करना।

अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होगा।

- (ख) पेशेवर सेवाओं, विधानमंडल रहित संघ शासित राज्यों में स्कीम हेतु व्यय सहित सामान्य सहायता अनुदान आदि सहित स्वच्छ भारत मिशन (सूचना, शिक्षा और संप्रेषण) घटक (₹ 130.25 करोड़)।
  - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ग) संघ शासित सरकारों को अंतरण हेतु स्वच्छ भारत मिशन (₹ 1970.00 करोड़)।
  - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (घ) संघ शासित सरकारों को अंतरण हेतु स्वच्छ भारत मिशन (₹ 100.00 करोड़)।
  - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ङ) (i) लेखापरीक्षा (₹ 15.00 करोड़) और(ii) वित्त (राजस्व) (₹ 25.00 करोड़) के संबंध में रिहायशी आवास के निर्माण हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना।
  - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (च) (i) बंगलोर मेट्रो- ₹ 424.00 करोइ, (ii) कोच्चि मेट्रो- ₹ 78.82 करोइ और (iii) नागपुर मेट्रो- ₹ 10.00 करोइ को इक्विटी सहायता उपलब्ध कराना। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (छ) पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी परियोजना स्कीम के तहत राज्य सरकारों का ऋण व अग्रिम (₹ 41.50 करोड़)।
  - अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होगा।

- Administrative Expenses (₹ 0.07 crore), (ii) Minor Works (₹ 1.65 crore) and (iii) Rent, Rates & Taxes (₹ 0.65 crore).
- Taking into account the surrender of savings available in the Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- (b) Swachh Bharat Mission (Information, Education and Communication components) involving Professional Services, Grants-in-Aid General etc. including expenditure for the scheme in UTs without legislature (₹ 130.25 crore).
  - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) Swachh Bharat Mission for transfer to State Governments (₹ 1970.00 crore).
  - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) Swachh Bharat Mission for transfer to UT Governments (₹ 100.00 crore).
  - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (e) meeting additional expenditure for construction of residential accommodation in respect of (i) Audit (₹ 15.00 crore) and (ii) Finance(Revenue) (₹ 25.00 crore).
  - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (f) providing Equity to (i) Bangalore Metro (₹ 424.00 crore), (ii) Kochi Metro (₹ 78.82 crore) and (iii) Nagpur Metro (₹ 10.00 crore).
  - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (g) Loans and Advances to the State Government (₹ 41.50 crore) under the scheme of North Eastern Region Urban Development Project.
  - Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

## लोक निर्माण कार्य

#### **PUBLIC WORKS**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 132 देखिये)

(See page 132 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

					(करोड़ रुपये	Rupees	in Crore)
				राजस्व	पूंजी		जोड़
				Revenue	Capital		Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:		Charged:	1.03	1.00		2.03
	स्वीकृत:		Voted:	1513.67	832.32		2345.99
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now					
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:		Voted:	90.00	0.01		90.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1604.70	833.33		2438.03
	भारित:		Charged:	1.03	1.00		2.03
	स्वीकृत:		Voted:	1603.67	832.33		2436.00
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य ६	शीर्षों के अंतर्गत (	दिखाया जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accounted	d for under the	e following Ma	jor Heads:		
				आयोजना	आयोजना-		जोड़
				Plan	भिन्न		Total
					Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2059 - लोक निर्माण कार्य	स्वीकृत:	2059 -Public Works	Voted:		90.00	(कa)	90.00
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
4059 - लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी	स्वीकृत:	4059 - Capital Outlay on Public Works	Voted:		0.01	(खb)	0.01
परिव्यय							
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:		90.01		90.01

(b)

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

है।

- (क) वियुत और जल प्रभार आदि के भुगतान की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने हेतु (₹ 90 करोड़)।
   अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपरोक्त व्यय
  - में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) लेखा परीक्षा (₹ 12 करोड़), वित्त (राजस्व)(₹ 40 करोड़) और कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन (₹ 8 करोड़) के संबंध में कार्यालयी बिल्डिंग के निर्माण की अतिरिक्त जरूरत को पूरा करने के लिए। अन्दान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित

The supplementary grants are required for:

- (a) for meeting the additional requirement for payment of electrcity and water charges, etc. ( $\ref{eq}$  90 crore).
  - Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
  - For meeting the additional requirement for construction of office buildings in respect of Audit (₹ 12 crore), Finance (Revenue) (₹ 40 crore) and Personnel Public Grievances & Pension (₹ 8 crore).
    - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

## लेखन सामग्री और मुद्रण

### STATIONERY AND PRINTING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 133 देखिये)

(See page 133 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) पूंजी जोड राजस्व Revenue Capital Total ।. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: स्वीकृत: 277.98 1.15 279.13 Voted: इस समय आवश्यक रकम का प्रक Supplementary Estimate of the amount now अनुमान: required: भारित: Charged: 0.13 0.13 जोड़ (मूल और पूरक) 278.11 279.26 Total (Original plus Supplementary) 1.15 भारित: Charged: 0.13 0.13 स्वीकृत: 277.98 1.15 279.13 II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head: आयोजना आयोजना-जोड़ भिन्न Plan Total Non-Plan राजस्व भाग **REVENUE SECTION** म्ख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 2058 - लेखन सामग्री और मुद्रण भारित: 2058 - Stationery and Printing Charged: 0.13 0.13

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मेसर्स श्री कृष्णा पेपर मिल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. के पक्ष में मध्यस्थता अवार्ड को पूरा करने हेतु (₹ 0.13 करोड़)। उपर्युक्त में नकद व्यय होगा।

The supplementary appropriation is required for: meeting the Arbitration Award in favour of M/s. Shree Krishna Paper Mills & Industries Ltd. as per orders of Hon. Court (₹ 0.13 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo.

## जल संसाधन मंत्रालय

#### MINISTRY OF WATER RESOURCES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 134 देखिये)

(See page 134 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

					(ब	न्रोड़ रुपये Rup	ees in Crore)
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:		Charged:			4.00	4.00
	स्वीकृत:		Voted:	15143.11		228.63	15371.74
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount					
अनुमान:		now required:					
	भारित:		Charged:	13.26			13.26
	स्वीकृत:		Voted:	0.03			0.03
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		15156.40		232.63	15389.03
	भारित:		Charged:	13.26		4.00	17.26
	स्वीकृत:		Voted:	15143.14		228.63	15371.77
		II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्न II. This Supplementary Grant/Appropriati					Heads:
			on will be dee	आयोजना Plan		आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION	on will be dee	आयोजना		आयोजना- भिन्न	जोड़
<i>राजस्व भाग</i> मुख्य शीर्ष			on will 20 dec	आयोजना		आयोजना- भिन्न	जोड़
	स्वीकृत:	REVENUE SECTION	Voted:	आयोजना	(कa)	आयोजना- भिन्न	जोड़
मुख्य शीर्ष	स्वीकृत: स्वीकृत:	REVENUE SECTION MAJOR HEAD		आयोजना Plan		आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
<b>मुख्य शीर्ष</b> 3435 - पारिस् <b>थितिकी और पर्यावरण</b>	-	REVENUE SECTION  MAJOR HEAD  3435 -Ecology and Environment	Voted:	आयोजना <b>Plan</b> 0.01	(कa)	आयोजना- भिन्न Non-Plan 	जोड़ <b>Total</b> 0.01
<b>मुख्य शीर्ष</b> 3435 - पारिस् <b>थितिकी और पर्यावरण</b>	-	REVENUE SECTION  MAJOR HEAD  3435 -Ecology and Environment  3601 -Grants-in-aid to State	Voted:	आयोजना <b>Plan</b> 0.01	(कa)	आयोजना- भिन्न Non-Plan 	जोड़ <b>Total</b> 0.01
मुख्य शीर्ष 3435 - पारिस्थितिकी और पर्यावरण 3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत:	REVENUE SECTION  MAJOR HEAD  3435 -Ecology and Environment  3601 -Grants-in-aid to State  Governments	Voted: Voted:	आयोजना Plan 0.01 0.01	(कa) (खb)	आयोजना- भिन्न Non-Plan 	जोड़ Total 0.01 0.01
मुख्य शीर्ष 3435 - पारिस्थितिकी और पर्यावरण 3601 - राज्य सरकारों को सहायता 3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को	स्वीकृत: <i>भारित:</i>	REVENUE SECTION  MAJOR HEAD  3435 -Ecology and Environment  3601 -Grants-in-aid to State  Governments  3602 - Grants-in-aid to Union Territory	Voted: Voted:	आयोजना Plan 0.01 0.01	(कa) (खb)	आयोजना- भिन्न Non-Plan 	जोड़ Total 0.01 0.01
मुख्य शीर्ष 3435 - पारिस्थितिकी और पर्यावरण 3601 - राज्य सरकारों को सहायता 3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को	स्वीकृत:	REVENUE SECTION  MAJOR HEAD  3435 -Ecology and Environment  3601 -Grants-in-aid to State  Governments  3602 - Grants-in-aid to Union Territory	Voted: Voted: Charged:	आयोजना Plan 0.01 0.01	(कa) (खb) <i>(गc)</i>	आयोजना- भिन्न Non-Plan 	জীর Total 0.01 0.01
मुख्य शीर्ष 3435 - पारिस्थितिकी और पर्यावरण 3601 - राज्य सरकारों को सहायता 3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत: <i>भारित:</i>	REVENUE SECTION  MAJOR HEAD  3435 -Ecology and Environment  3601 -Grants-in-aid to State  Governments  3602 - Grants-in-aid to Union Territory  Governments	Voted: Voted: Charged:	आयोजना Plan 0.01 0.01 13.26 0.01	(कa) (खb) <i>(गc)</i>	आयोजना- भिन्न Non-Plan  	जोड़ Total 0.01 0.01 13.26 0.01
मुख्य शीर्ष 3435 - पारिस्थितिकी और पर्यावरण 3601 - राज्य सरकारों को सहायता 3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृतः भारितः स्वीकृतः	REVENUE SECTION  MAJOR HEAD  3435 -Ecology and Environment  3601 -Grants-in-aid to State  Governments  3602 - Grants-in-aid to Union Territory  Governments	Voted: Voted: Charged: Voted:	आयोजना Plan 0.01 0.01 13.26 0.01 13.29	(कa) (खb) <i>(गc)</i>	आयोजना- भिन्न Non-Plan  	जोड़ Total 0.01 0.01 13.26 0.01 13.29

यह पूरक अन्दान/विनियोग निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

 (क) 'राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण'(ईएपी) के तहत ₹ 168.00 करोड़ की पूंजीगत आस्तियों का मृजन और ₹ 5.00 करोड़ की सामान्य सहायता अनुदान।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(ख) 'राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण'(ईएपी) के तहत ₹ 110.00 करोड़ और राज्यों (हिरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश) को प्रदान करने के लिए 'राष्ट्रीय नदी संरक्षण आयोजना'(गैर-ईएपी) के तहत Rs 17.00 करोड़ की पूंजीगत आस्तियों का सृजन।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है। The supplementary grant/appropriation are required for:

- (a) creation of Capital Assets of ₹ 168.00 crore and Grants-in-aid General of ₹ 5.00 crore under 'National Ganga River Basin Authority'(EAP component).
  - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
  - Grants for creation of Capital Assets of ₹ 110.00 crore under 'National Ganga River Basin Authority'(EAP component) and Rs 17.00 crore under 'National River Conservation Plan'(Non-EAP component) for release to States (Haryana, Rajasthan and Madhya Pradesh).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

## अनुदानों की पूरक मांगे, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

- (ग) 'नदी प्रबंधन गतिविधियों और सीमा क्षेत्रों से संबंधित निर्माण कार्य ' केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के तहत पुडुचैरी सरकार को भुगतान के प्रयोजन से भारत की समेकित निधि से स्वीकृत ₹ 13.26 करोड़ के अग्रिम का रिकूपमेंट।
  - अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद नहीं देना होगा।
- (घ) 'राष्ट्रीय नदी संरक्षण आयोजना '(ईएपी)स्कीम के तहत ₹ 72.00 करोड़ की पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान और ₹ 8.00 करोड़ का सामान्य सहायता अनुदान।
  - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- c) recoupment of an advance of ₹ 13.26 crore sanctioned from the Contingency Fund of India for the purpose of payment to the Government of Puducherry under the central sector scheme 'River Management Activities and Works related to Border Areas'.
  - Taking into account the surrender of savings available in the Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
- (d) grant for creation of Capital Assets of ₹ 72.00 crore and Grants-inaid General of ₹ 8.00 crore under the Plan Scheme 'National River Conservation Plan'(EAP component).
  - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

### महिला और बाल विकास मंत्रालय

#### MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 135 देखिये)

(See page 135 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

						(करोड़ रुप	ये Rupee	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	21193.88				21193.88
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount						
अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.03				0.03
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		21193.91				21193.91
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख	त्य शीर्षों के अंत	नर्गत दिखाया उ	जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accou	nted for und	er the followi	ing Major	Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2235 - सामाजिक सुरक्षा और	स्वीकृत:	2235 -Social Security and Welfare	Voted:	0.01	(कa)	0.01	(खb)	0.02
कल्याण								
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(गc)			0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02		0.01		0.03

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) (i) राष्ट्रीय महिला आयोग (आयोजना):- राष्ट्रीय महिला आयोग की कार्यालयी इमारत के जारी निर्माण को पूरा करने के लिए पूंजीगत आस्तियों के मृजन (2235.02.103.35.00.35) (आयोजना) के लिए ₹ 5.85 करोड़ की अतिरिक्त राशि और नई बिल्डिंग में संबंधित फिटिंग, फिक्सचर और फर्निशिंग के लिए शीर्ष 2235.02.103.35.00.31 के तहत सामान्य सहायता अनुदान के लिए ₹ 3.23 करोड़ की राशि अपेक्षित है।
  - (ii) लिंग आधारित बजटिंग (आयोजना):-शीर्ष 2235.02.103.58.00.31(आयोजना) के तहत लिंग आधारित बजटिंग स्कीम के प्रशिक्षण घटक के लिए ₹ 0.22 करोड़ अपेक्षित है।
  - (iii) बेटी बचाओ और पढ़ाओ :- वर्तमान वर्ष के दौरान अनुमोदित बेटी बचाओ और पढ़ाओ स्कीम के साथ लड़की की देखभाल व सुरक्षा स्कीम के को मर्ज किया गया है। अत: लड़की की देखभाल और सुरक्षाण से बेटी बचाओ और पढ़ाओ स्कीम तक शीर्ष 2235.02.102.41.00.31(आयोजना)के तहत ₹ 13.50 करोड़ की राशि पुन: विनियोग किया जाएगा।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(ख) (i) एनआईपीसीसीडी (गैर-आयोजना):- राष्ट्रीय जन सहकारिता और बाल

The supplementary grants are required for:

(i)

- (i) National Commission for Women (Plan) :- Supplementary Grant for an additional amount of ₹ 5.85 crore are required for Creation of Capital Assets (2235.02.103.35.00.35) (Plan) for completion of ongoing construction of office building of NCW and ₹ 3.23 crore are required for Grant in Aid General (Plan) under the Head 2235.02.103.35.00.31 for related fitting, fixture and furnishing in the new building.
  - (ii) Gender Budgeting (Plan) :- ₹ 0.22 crores are required for training component of Gender Budgeting Scheme under the Head 2235.02.103.58.00.31 (Plan).
  - (iii) Beti Bachao Beti Padhao :- Care and Protection of Girl Child Scheme has been merged with the approved Scheme Beti Bachao Beti Padhao during the current year. Hence, an amount of ₹ 13.50 crores under the Head 2235.02.102.41.00.31(Plan) will be re-appropriated from Care and Protection of Girl Child to Beti Bachao Beti Padhao Scheme.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

NIPCCD(Non Plan) :- An additional amount of ₹ 2.80 crores

(c)

विकास संस्थान की प्रतिबद्ध देयताओं के लिए शीर्ष 2235.02.102.17.01.36 के तहत वेतन सहायता अनुदान(गैर आयोजना) के तहत ₹ 2.80 करोड़ की अतिरिक्त राशि और शीर्ष 2235.02.102.17.01.31 के तहत सामान्य सहायता अनुदान (गैर आयोजना) के तहत ₹ 1.80 करोड़ की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है।

(ii) सीएसडब्ल्यूबी (गैर आयोजना):- पेंशनरी लाओं के भुगतान के लिए शीर्ष 2235.02.103.42.01.31 के तहत ₹ 3.00 करोड़ और प्रतिबद्ध देनदारियों के लिए शीर्ष 2235.02.103.42.01.36 के तहत केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (एनपी)हेत् ₹ 0.25 करोड़ की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है।

> अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (ग) (i) लिंग आधारित बजिटंग (आयोजना):- शीर्ष 2552.00.125.14.00.31 के तहत पूर्वीतर क्षेत्रों के लिए लिंग आधारित बजट स्कीम (आयोजना) के प्रशिक्षण घटक के तहत ₹ 0.08 करोड़ की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है।
  - (ii) बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (आयोजना):- वर्तमान वर्ष के दौरान लड़की की देखभाल और सुरक्षा स्कीम को अनुमोदित बेटी बचाओ, बेटी पढाओ स्कीम के साथ आमेलित किया गया। अत: लड़की की देखभाल और सुरक्षा से बेटी बचाओ बेटी पढाओ तक पूर्वोत्तर राज्यों को सहायता अनुदान शीर्ष (2552.00.124.15.00.31)(आयोजना) के तहत ₹ 1.50 करोड़ की राशि का प्न: विनियोग किया जाएगा।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है। is required under the Grant in Aid Salary (Non Plan) under the Head 2235.02.102.17.01.36 and ₹ 1.80 crores under the Grant in Aid General (Non Plan) under the Head 2235.02.102.17.01.31 for National Institute of public Cooperation and Child Development to meet the committed liabilities.

(ii) CSWB(Non Plan):- An additional amount of ₹ 3.00 crores is required for Grants In Aid General (NP) under the Head 2235.02.103.42.01.31 for payment of pensionary benefits and ₹ 0.25 crore is required for Grant in Aid Salaries (NP) under Central Social Welfare Board Scheme under the Head 2235.02.103.42.01.36 for committed liabilities.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (i) Gender Budgeting (Plan) :- An additional amount of ₹ 0.08 crores are required under Training component of Gender Budget Scheme (Plan) for NE Region under the Head 2552.00.125.14.00.31.
- (ii) Beti Bachao Beti Padhao(Plan) :- Care and Protection of Girl Child Scheme has been merged with the approved Scheme Beti Bacho Beti Padhao during the current year. Hence, an amount of ₹ 1.50 crore under the Head Grant in Aid to NE States (2552.00.124.15.00.31) (Plan) will be reappropriated from Care and Protection of Girl Child to Beti Bachao Beti Padhao Scheme.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

## युवा मामले और खेल मंत्रालय

#### MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 136 देखिये)

(See page 136 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

						(करोड़ रुपये	Rupees	in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	1768.10		0.90		1769.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now						
अनुमान:		required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.04				0.04
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1768.14		0.90		1769.04
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य १	ीर्षों के अंतर	ति दिखाया उ	नायेगाः			
		II. This Supplementary Grant will be accounted	d for unde	the followi	ng Major	Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2204 - खेल और युवा मामले	स्वीकृत:	2204 -Sports and Youth Services	Voted:	0.01	(कa)	0.01	(खb)	0.02
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(गc)			0.01
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:	0.01	(घd)			0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.03		0.01		0.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान द्वारा सामान्य कार्यक्रम गातिविधियों को चलाने कि लिए ₹ 1.70 करोड़ की अंशदान की राशि प्रदान करने, अतिरिक्त सामान्य सहायता अन्दान। (ii) राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम के तहत जवाहर पर्वतारोहण और हिमालयन संस्थान के सभी मान्यता प्राप्त भारतीय स्तर/राज्य स्तर में युवा संस्थानों को युवा कार्यक्रम गतिविधियों राष्ट्रीय युवा उत्सव, प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी)-2015 इत्यादि के आयोजन के लिए ₹ 5.23 करोड़ की अतिरिक्त राशी अपेक्षित है। (iii) नेहरू युवा केंद्र संगठन स्कीम के तहत ₹ 17.55 करोड़ (क) स्टाफ को वेतन के भ्गतान हेत् (₹ 7.00 करोड़) (ख) कार्यक्रम गतिविधियों के लिए सामान्य सहरायता अनुदान (₹ 10.55 करोड़)(iv) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारिरिक शिक्षा अनुसंधान संस्थान, ग्वालियर में लड़कों व लड़कियों के लिए हॉस्टलों के निर्माण हेत् पूंजीगत आस्तियों के मृजन हेत् अन्दान के रूप में ₹ 10.00 करोड़ की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है। (v) राष्ट्रीय खेल परिषद को राष्ट्रीय टीमों को भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षक केन्द्रों में खिलाडियों को दिए जा रहे आहार प्रभारों में बढ़ोत्तरी खातापूरक और कोचिंग शिवरों की सहायता स्कीम के तहत सामान्य सहायता अन्दान के रूप में ₹ 10.00 करोड़ की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है। (vi) 2014 में राष्ट्रीयमंडल खेल व एशियाई खेलों में पदक विजेताओं जो छूट गए थे, को नकद पुरस्कार प्रदान करने के लिए विशेष नकद पुरस्कार स्कीम के तहत सामान्य सहायता अन्दान के रूप में ₹ 10.00 करोड़ की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है।(vii) डोप किट्स अन्शासनिक पैनल और पैनल सिटिंग प्रभारों की बढ़ी कीमत पूरी करने के लिए नई पहल श्रू करने, कार्यशालाएं आयोजित करने The supplementary grants are required for:

An additional amount of ₹ 1.70 crore as Grant-in -aid General is required for conducting the General Programme Activities by the Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development. (ii) An additional amount of ₹ 5.23 crore is required for releasing contributory money to Jawahar Institute of mountaineering & Himalayan Mountaineering Institute, payment to recognized All India Level/State Level Youth Organizations for conducting Youth Programme activities, National Youth Festivals, Pravasi Bharatiya Divas (PBD- 2015) etc. under the Scheme of National Programme for Youth and Adolescent Development. (iii) An additional amount of ₹ 17.55 crore is required under the Scheme of Nehru Yuva Kendra Sangathan for - (a) payment of salary to the staff (₹ 7.00 crore) (b) Grant-in-aid General for programme Activities (₹ 10.55 crore) (iv) An additional amount of ₹ 10.00 crore is required as Grant for creation of Capital Assets for construction of Boys & Girls Hostels at Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior. (v) An additional amount of ₹ 10.00 crore is required as Grant-in-aid General under the scheme of Assistance to National Sport Federations for meeting expenditure on increase in diet charges, food supplement and coaching camps being provided to

के लिए राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान के तौर पर ₹ 3.00 करोड़ की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है।(viii) देश में किनष्ठ खेल अकादिमियों की स्थापना हेतु प्रस्तावित नई स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान के रूप में ₹ 25.00 करोड़ की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है जैसा उनके बजट भाषण 2014-15 में वित्त मंत्रा द्वारा घोषणा की गई थी।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(ख) मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के संगठन में अंतरण के परिणाम: वित्त मंत्रालय द्वारा 15 पदों के पुनरूजीवन के कारण (₹ 3.00 करोड़) और कार्यालय व्यय को पूरा करने के व्यय (₹ 3.43 करोड़) के लिए स्टाफ को वेतन के भुगतान के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान के रूप में ₹ 6.43 करोड़ की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(ग) (i) राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम स्कीम के तहत कार्यक्रम गतिविधियों के आयोजन हेतु सामान्य सहायता अनुदान के रूप में ₹ 5.00 करोड़ की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है। (ii) एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र द्वारा कार्यक्रम गतिविधियों के तहत राष्ट्रीय सेवा स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान के रूप में ₹ 2.50 करोड़ की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है। (iii) नेहरू युवा केंद्र संगठन स्कीम के तहत कार्यक्रम गतिविधियों के लिए सामान्य सहायता अनुदान के रूप में ₹ 1.95 करोड़ की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है(iv) लक्ष्मोबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा द्वारा इसके क्षेत्रीय केंद्र, गोवाहाटी द्वारा पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु ₹ 20.00 करोड़ की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(घ) राष्ट्रीय सेवा स्कीम के तहत विभिन्न राज्यों में कार्यक्रम गातिविधियां आयोजित करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान के रूप में ₹ 27.80 करोड़ की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है। the sports persons at the Training Centres of Sports Authority of India for the National Teams. (vi) An additional amount of ₹ 10.00 crore is required as Grant-in-aid general under the Scheme of Special Cash Awards for issuing cash awards to the medal winners in commonwealth Games & Asian Games in 2014 which were left out. (vii) An additional amount of ₹ 3.00 crore is required as Grant-in-aid General under the Scheme of National Anti Doping Agency for launching new initiatives, conducting workshops, to meet increased cost of dope kits, Disciplinary panel and Appeal panel sitting charges. (viii) An additional amount of ₹ 25.00 crore is required as Grant-in-aid General under the New Scheme being proposed for Setting up of Junior Sports Academies in the Country as announced by FM in his Budget Speech 2014-15.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

An additional amount of ₹ 6.43 crore is required as Grant-in-aid General under the Scheme of Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development for payment of salary of the staff (₹ 3.00 crore) due to revival of 15 posts by MoF and for meeting Office Expenses (₹ 3.43 crore) consequent upon conversion of the Organization into an Institution of National Importance by the Cabinet.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) An additional amount of ₹ 5.00 crore is required as Grant-in-aid General under the Scheme of National Programme for Youth and Adolescent Development for conducting Programme activities. (ii) An additional amount of ₹ 2.50 crore is required as Grant-in-aid General under the National Service Scheme for conducting Programme activities by NSS Regional Centre. (iii) An additional amount of ₹ 1.95 crore is required as Grant-in-aid General under the Scheme of Nehru Yuva Kendra Sangathan for programme activities. (iv) An additional amount of ₹ 20.00 crore is required for creation of Capital Assets by Lakshmibai National Institute of Physical Education at its regional Centre, Guwahati.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

 An additional amount of ₹ 27.80 crore is required as Grant-in-aid General under National Service Scheme for conducting Programme activities in various States.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

## अनुबंध

वर्ष 2013-14 के दौरान संसद में प्रस्तुत की जाने वाली उन मदों का विवरण जिनमें पुनर्विनियोग अनुमोदित सीमाओं से अधिक हो जाता है। (करोड़ रुपए)

क्र.			बजट अनुमान	पुनर्विनियोग	
सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	योजना	2013-2014	की राशि	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6
1.	डेयरी उद्यमिता विकास	2404	189.90	23.40	स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न राज्य कार्यान्वित एजेन्सियों की अधिक मांगे।
	पशु और चारा विकास	3601	49.00	6.57	कार्यान्वित स्कीम के लिए विभिन्न राज्यों से ज्यादा मांगे।
	समुद्री मत्सय पालन, बुनियादी ढांचे और पोस्ट हार्वेस्ट संचालन का विकास	3601	30.00	19.29	विभिन्न राज्यों से चालू और नए फिशिंग बंदरगाहों के निर्माण के लिए ज्यादा मांगे।
	कुक्कुट-पालन उपक्रम पूंजी निधि	2403	27.00	10.00	स्कीम के कार्यान्वयन के लिए नाबार्ड की अतिरिक्त मांग।
2.	संस्कृति मंत्रालय	एम एच-2251 सचिवालय 2251.00.090.07.03.12	0.65 (एनपी)	0.50	प्रतिनिधियों के विदेशों में दौरे के लिए
		एम एच-2552 संगीत नाटक अकादमी 2205.00.102.03.01.31	12.99 (एनपी)	4.47	उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में बढ़ी गतिविधियों के लिए
		एम एच-2205 साहित्य अकादमी			
		2205.00.102.03.02.31	7.15 (पी)	2.00	- प्रकाशन, साहित्य, पुरस्कार, युवा पुरस्कार के लिए
		2205.00.102.03.02.31	0.34 (एनपी)	0.50	- बढ़े हुए किराये, एएमसी खर्चे, लेखा शुल्क, टेलीफोन बिलों और डाक टिकट शुल्क के भुगतान के लिए
		एम एच-2205 ललित कला अकादमी, नई दिल्ली			
		2205.00.102.03.03.35	4.0 (पी)	1.70	- क्षेत्रीय केन्द्रों, आदि के नवीकरण के लिए
		2205.00.102.03.03.31	1.43 (एनपी)	0.50	- - बिजली, पानी और टेलीफोन बिलों के भुगतान के लिए
		2205.00.796.29.00.31	0 (पी)	0.65	- जनजातीय उपयोजना के लिए
		एम एच-2205 नेशनल स्कूल आफ ड्रामा, नई दिल्ली			
		2205.00.102.03.04.36	7.23 (एनपी)	2.01	- कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए
		2205.00.102.03.04.31	18.00 (एनपी)	0.50	-उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में बढ़ी गतिविधियों के लिए

## ANNEXURE

Statement showing items requiring report to Parliament where re-appropriation exceeded the approved limits during 2013-14. (Rupees in Crore)

			(Кирее.	s in Crore)	
Sl. No.	Name of the Ministry/ Department	Scheme	Budget Estimates 2013-2014	Amount of Re-appro- priation	Remarks
1	2	3	4	5	6
1.	Dairy Entrepreneurship Development	2404	189.90	23.40	More demands from various states implementing agencies for implementation of scheme.
	Fodder and Feed Development	3601	49.00	6.57	More demands from various states for implementation of scheme.
	Development of Marine Fisheries, Infrastructure and Post Harvest Operations	3601	30.00	19.29	More demands from various states for construction of ongoing and also new fishing harbors.
	Poultry Venture Capital Fund	2403	27.00	10.00	Additional demand by NABARD for implementation of scheme.
2.	Ministry of Culture	MH 2251 Secretariat 2251.00.090.07.03.12	0.65 (NP)	0.50	For visits of delegations to foreign countries
		MH 2552 Sangeet Natak Akademi 2205.00.102.03.01.31	12.99 (NP)	4.47	For taking up enhanced activities in North Eastern Areas
		MH-2205 Sahitya Akademi 2205.00.102.03.02.31 2205.00.102.03.02.31	7.15 (P) 0.34 (NP)	2.00 0.50	<ul> <li>For publication, Sahitya Puraskar,</li> <li>Yuva Puraskar</li> <li>For payment of increased rent,</li> <li>AMC charges, audit fee telephone</li> <li>bills and postage charges</li> </ul>
		MH-2205 Lalit Kala Akademi, New Delhi 2205.00.102.03.03.35 2205.00.102.03.03.31	4.00 (P) 1.43 (NP)	1.70 0.50	<ul> <li>For renovation of Regional Centres, etc.</li> <li>For payment of electricity, water and telephone bills</li> </ul>
		2205.00.796.29.00.31  MH-2205  National School of Drama,  New Delhi	0 (P)	0.65	- For Tribal Sub Plan
		2205.00.102.03.04.36 2205.00.102.03.04.31	7.23 (NP) 18.00 (NP)	2.01 0.50	<ul><li>For payment of Salaries to its employees</li><li>For undertaking enhanced activities in North Eastern Areas</li></ul>

	(करोड़ रुपए)							
1 2	3	4	5	6				
	2205.00.796.29.00.31	1.25 (पी)	0.75	- जनजातीय क्षेत्रों में रंगशाला उत्सव औ रंगशाला कार्यशाला के लिए				
	एम एच-2205 सेन्ट्रल युनिवरसिटी आफ टीबिटिः स्टडीज	यन						
	2205.00.102.03.05.36	7.25 (एनपी)	3.20	कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए				
	एम एच-2205 गांधी स्मृति दर्शन समिति नई दिल्ली							
	2205.00.102.03.09.31	4.20 (पी)	1.17	कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए				
	एनएच-2205 हिमालय संस्कृति अध्ययन का के	न्द्रीय						
	संस्थान, दाहुंग 2205.00.102.03.15.36	0.70 (एनपी)	0.62	कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए				
	एनएच-2205 शताब्दी-महोत्सव और वर्षगांठ समारोह 2205.00.102.04.12.35	10.00 (पी)	6.00	स्वामी विवेकानन्द की 150वीं जयंती मनाने के लिए				
	एनएच-2205 राष्ट्रीय स्मारकों का रख-रखाव 2205.00.102.04.13.31	9.00 (पी)	15.00	कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय न्यास और इंदिर गांधी रमारक न्यास को आधारभूत निधि प्रदान करने के लिए				
	एनएच-2205 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र 2205.00.102.04.24.31	29.12 (पी)	25.00	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र को आधारभू निधि प्रदान करने के लिए				
	एनएच-2205 मौलाना अब्दुल कलाम अजाद आफ ऐशीयन स्टडीज 2205.00.102.04.31.36	0.49 (एनपी)	0.30	कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए				
	एनएच-2205 कला क्षेत्र, चैन्नई 2205.00.102.04.32.31	1.27 (पी)	1.00	स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क, कानूनी शुल्व के भुगतान के लिए				
	एनएच-2205 राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली 2205.00.102.06.02.26	0.00 (पी)	1.25	राष्ट्रव्यापी ख्यातिप्राप्त प्रतिष्ठित कलाकारं की प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए				
	एनएच-2205 खुदा बक्श पुस्तकालय 2205.00.105.02.03.31	0.44 (एनपी)	0.40	बिजली, पानी और टेलीफोन बिल के भुगता के लिए				
	एनएच-2205 रामपुर रजा पुस्तकालय, रामपुर 2205.00.105.02.06.36 2205.00.105.02.06.36	0.22 (पी) 0.97 (एनपी)	0.15 0.48	कामकाजी अध्येताओं को भुगतान के लिए अपने कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए				

# अनुदानों की पूरक मांगें 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

2	3	4	5	6
	2205.00.796.29.00.31	1.25 (P)	0.75	- For theatre festival and theatre workshop in tribal areas
	MH-2205			workshop in tribar areas
	Studies			For payment of salaries to it
	2205.00.102.03.05.36	7.25 (NP)	3.20	employees
	MH-2205			
	Gandhi Smriti Darshan Samiti,			
	New Delhi			For payment of salaries to it
	2205.00.102.03.09.31	4.20 (P)	1.17	employees
	MH-2205			
	Central Institute of Himalayan			
	Cultural Studies, Dahung	0.70 (NP)	0.62	For payment of salaries to it
	2205.00.102.03.15.36			employees
	MH-2205			
	Centenaries Anniversaries			
	Celebrations	10.00 (P)	6.00	For celebration of 150th birt
	2205.00.102.04.12.35			Anniversary of Swami Vivekananc
	MH-2205			
	Maintenance of National			For providing Corpus Fund
		9.00 (P)	15.00	Kasturba Gandhi National Turst ar
	2205.00.102.04.13.31			Indira Gandhi Memorial Trust
	MH-2205			
				For providing Corpus Fund
	for the Arts	29.12 (P)	25.00	Indira Gandhi National Centre fo
	2205.00.102.04.24.31			the Arts.
	MH-2205			
	Maulana Abdul Kalam Azad			
		0.49 (NP)	0.30	For payment of salaries to i
	2205.00.102.04.31.36			employees
	MH-2205			
		1.27 (P)	1.00	For payment of stamp dut
	2205.00.102.04.32.31			Registration Fees, Legal Fees etc
	MH-2205			
				For holding exhibitions
		0.00 (P)	1.25	nationally acclaimed emine
	2205.00.102.06.02.26			artists.
	MH-2205			
		0.44 (NP)	0.40	For payment of electricity, water a
	2205.00.105.02.03.31			telephone bills
	MH-2205			
	Rampur Raza Library, Rampur	0.00	0 · -	
				-For payment to working scholar
	2205.00.105.02.06.36	0.97 (NP)	0.48	-For payment of salaries to i
				employees
	2	2205.00.796.29.00.31  MH-2205 Central University of Tibetan Studies 2205.00.102.03.05.36  MH-2205 Gandhi Smriti Darshan Samiti, New Delhi 2205.00.102.03.09.31  MH-2205 Central Institute of Himalayan Cultural Studies, Dahung 2205.00.102.03.15.36  MH-2205 Centenaries Anniversaries Celebrations 2205.00.102.04.12.35  MH-2205 Maintenance of National Memorials 2205.00.102.04.13.31  MH-2205 Indira Gandhi National Centre for the Arts 2205.00.102.04.24.31  MH-2205 Maulana Abdul Kalam Azad Institute of Asian Studies 2205.00.102.04.31.36  MH-2205 Kalakshetra, Chennai 2205.00.102.04.32.31  MH-2205 National Gallery of Modern Art New Delhi 2205.00.102.06.02.26  MH-2205 Khuda Bakhsh Library 2205.00.105.02.03.31  MH-2205 Khuda Bakhsh Library 2205.00.105.02.03.31	2 3 4 2205.00.796.29.00.31 1.25 (P)  MH-2205 Central University of Tibetan Studies 2205.00.102.03.05.36 7.25 (NP)  MH-2205 Gandhi Smriti Darshan Samiti, New Delhi 2205.00.102.03.09.31 4.20 (P)  MH-2205 Central Institute of Himalayan Cultural Studies, Dahung 0.70 (NP) 2205.00.102.03.15.36  MH-2205 Central Institute of Himalayan Cultural Studies, Dahung 0.70 (NP) 2205.00.102.03.15.36  MH-2205 Centenaries Anniversaries Celebrations 10.00 (P) 2205.00.102.04.12.35  MH-2205 Maintenance of National Memorials 9.00 (P) 2205.00.102.04.13.31  MH-2205 Indira Gandhi National Centre for the Arts 29.12 (P) 2205.00.102.04.24.31  MH-2205 Maulana Abdul Kalam Azad Institute of Asian Studies 0.49 (NP) 2205.00.102.04.31.36  MH-2205 Kalakshetra, Chennai 1.27 (P) 2205.00.102.04.32.31  MH-2205 National Gallery of Modern Art New Delhi 0.00 (P) 2205.00.102.06.02.26  MH-2205 Khuda Bakhsh Library 0.44 (NP) 2205.00.105.02.03.31  MH-2205 Rampur Raza Library, Rampur 2205.00.105.02.03.66 0.22 (P)	2205.00.796.29.00.31  MH-2205 Central University of Tibetan Studies 2205.00.102.03.05.36  7.25 (NP)  3.20  MH-2205 Gandhi Smriti Darshan Samiti, New Delhi 2205.00.102.03.09.31  4.20 (P)  1.17  MH-2205 Central Institute of Himalayan Cultural Studies, Dahung 0.70 (NP) 0.62 2205.00.102.03.15.36  MH-2205 Centenaries Anniversaries Celebrations 10.00 (P) 6.00 2205.00.102.04.12.35  MH-2205 Maintenance of National Memorials 9.00 (P) 15.00 2205.00.102.04.13.31  MH-2205 Indira Gandhi National Centre for the Arts 29.12 (P) 2205.00.102.04.24.31  MH-2205 Maulana Abdul Kalam Azad Institute of Asian Studies 0.49 (NP) 0.30 2205.00.102.04.31.36  MH-2205 National Gallery of Modern Art New Delhi 0.00 (P) 1.25 2205.00.102.06.02.26  MH-2205 Khuda Bakhsh Library 0.044 (NP) 0.40 2205.00.105.02.03.31  MH-2205 Rampur Raza Library, Rampur 2205.00.105.02.03.36  0.22 (P) 0.15

		(करोड़ रुपए)							
	2	3	4	5	6				
		एनएच-2205							
		भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	21.50 (एनपी)	11.00	नैमित्तिक कामगारों (अस्थायी तौर पर) व				
		_	21.30 (\$141)	11.00	` ,				
		2205.00.106.01.03.02			वेतन और शेष राशि के भुगतान के लिए				
		H-HI-I 0005							
		एनएच-2205							
		भारत पुरातत्व सर्वेक्षण							
		2205.00.106.01.03.20	2.05 (पी)	1.26	- ब्रिटिश संग्रहालय, लंदन को प्रतिनियुवि				
					पर आए पेशावरों के वेतन के लिए				
		2205.00.106.01.03.34	0.25 (पी)	0.10	- छात्रवृत्ति/वजीफे में वृद्धि के कारण				
		एनएच-2205			पुस्तकालय की किताबों की प्राप्ति, ठेकेद				
		राष्ट्रीय संग्रहालय			के बिल, सहायक संग्रहपाल और सदस				
		2205.00.107.02.03.13	2.00 (पी)	1.00	की नियुक्ति जैसे बिलों का भुगतान कर				
					के लिए				
		एनएच-2205							
		सांस्कृतिक संपदा के संरक्षण के वि	<b>ਮ</b> ੋਪ						
		राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला,	0.41(एनपी)	0.30(एनपी)	अपने प्रशिक्षण संस्थान और अतिथिग्रह				
		लखनऊ	0.41(\$111)	0.00(\(\cdot\)	रख रखाव और बिजली के बिलों और ब				
		2205.00.107.03.01.13			हुई कीमत के लिए				
		एनएच-2205							
		सलार जंग संग्रहालय	40.50 (15.11)	2.00	वेतनों के भुगतान के लिए				
			10.50 (एनपी)	3.82	वतना क मुगतान क लिए				
		2205.00.107.04.00.36							
		11 <del>4</del> 11 <del>5</del> 1 2205							
		एनएच-2205							
		इलाहबाद संग्रहालय	0.40 (11.11)	0.00	<del>\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ </del>				
		2205.00.107.07.00.36	2.16 (एनपी)	0.80	वेतनों के भुगतान के लिए				
		11 <del>4</del> 11 <del>5</del> 1 2205			नेहरू स्मारक संग्रहालय के उन्नयन अ				
		एनएच-2205							
		नेहरू स्मारक संग्रहालय और			पुस्तकालय और राष्ट्रीय कार्यान्वयन समि				
		पुस्तकालय			के लिए सहायक कर्मचारियों को उपल				
		2205.00.107.08.00.31	152.90 (पी)	20.00	कराने के लिए, स्मारणोत्सव गतिविधि				
					आदि				
		एनएच-2205							
		विज्ञान शहर			विज्ञान शहर, कोलकाता आदि में विज्ञ				
		2205.00.107.19.00.35	0.00 (पी)	2.00	प्रयंवेक्षण परियोजना के लिए				
		एनएच-2205							
		संग्रहालय स्कीम			विशेषज्ञ समिति की बैठकों और संबंधि				
		2205.00.107.30.00.20	0.10 (पी)	0.05	व्यय के लिए				
		एनएच-2205			जनजातीय क्षेत्रों में लोक नृत्य उत्सव ३				
		आंचलिक संस्कृति केन्द्र	2.50 (पी)	2.10	कार्यशाला आयोजित करने के लिए				
		2205.00.796.10.00.31							
		एनएच-3601							
		शताब्दी-महोत्सव और वर्षगांठ							
		समारोह			स्वामी विवेकानन्द की 150वीं जयंती मन				
		3601.03.201.08.00.31	2.00 (पी)	2.00	हेतु				
		एनएच-4202			राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्राहलय द्व				
		11/4 4202			. 9				
		4202.04.106.01.00.53- मुख्य			संयुक्त कला भंडार प्रणाली की अधिप्रा				

# अनुदानों की पूरक मांगें 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

		(Rupees in Crore)					
1	2	3	4	5	6		
		MH-2205 Archaeological Survey of India 2205.00.106.01.03.02	21.50 (NP)	11.00	For payment of wages and arrear to casual workers (with temporary status)		
		MH-2205			-For payment to British Museum		
		Archaeological Survey of India			London towards deputation o		
		2205.00.106.01.03.20	2.05 (P)	1.26	Museum professionals		
		2205.00.106.01.03.34	0.25 (P)	0.10	- Due to increase of Scholarship Stipends		
		MH-2205			To make payment of bills such a		
		National Museum			procurement of library books		
		2205.00.107.02.03.13	2.00 (P)	1.00	contractors bills, engagement of Assistant Curators & Fellows.		
		MH 2205					
		National Research Labortory for			For maintenance of its training		
		Conservation of Cultural	0.41(NP)	0.30(NP)	Institute & guest house and		
		Property, Lucknow			increased cost of electricity bills		
		2205.00.107.03.01.13			horticulture etc.		
		MH-2205					
		Salar Jung Museum	10.50 (NP)	3.82	For payment of Salaries		
		2205.00.107.04.00.36					
		MH-2205					
		Allahabad Museum					
		2205.00.107.07.00.36	2.16 (NP)	0.80	For payment of Salaries		
		MH-2205			For portal select works, upgradation		
		Nehru Memorial Museum			of Nehru Memorial Museum		
		and Library 2205.00.107.08.00.31	152.90 (P)	20.00	Library and to provide supportin staff for National Implementatio Committee, commemoratio activities etc.		
		MH-2205					
		Science Cities			For Science Exploration Hal		
		2205.00.107.19.00.35	0.00 (P)	2.00	project at Science City, Kolkata		
		MH-2205					
		Museum Scheme			For expert Committee meetings an		
		2205.00.107.30.00.20	0.10 (P)	0.05	related expenditure		
		MH-2205	<b>.</b>	٠			
		Zonal Culture Centres	2.50 (P)	2.10	To organise folk dance festival an		
		2205.00.796.10.00.31			workshop in tribal areas.		
		MH-3601					
		Celebrations			For colobration of 15041 1:00		
		Celebrations 3601.03.201.08.00.31	2.00 (P)	2.00	For celebration of 150th birt Anniversary of Swami Vivekanand		
		MH-4202			For procurement of composite a		
		4202.04.106.01.00.53- Major			storage system by National Gallar		
		Works	3.00 (P)	0.93	of Modern Art.		
			(- )	<del>-</del>			

		(करोड़ रुपए)								
1	2	3	4	5	6					
3.	राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश को अंतरण	3601.02.101.41.00.35-चैन्नई में विलवणीकरण संयंत्र के लिए एसीए (पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के के लिए सहायता अनुदान।	0.0000	226.6871	चैन्नई के पास 100एमएलडी कैपेसिटी सी वाटर रिवर्स आसमेसिस विलवणीकरण संयंत्र को बनाने के लिए तीसरी किश्त के लिए प्रतिबद्ध निधियों को जारी करना।					
		3601.02.101.27.00.31-राष्ट्रीय ई-शासन कार्य योजना (सामान्य के लिए सहायता अनुदान)	157.5000	122.0650	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अनुसार वर्ष 2013-14 के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के तहत निधियां सामान्य सहायता अनुदान के तहत बुक कराई जा सकती है।					
		3601.02.101.36.01.31-नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, शहरी बुनियादी ढांचे और शासन प्रणाली पर उप-मिशन (सामान्य के लिए सहायता अनुदान)।	150.0000	100.0000	बजट अनुमान 2013-14 के पश्चात अनुमोदित परियोजनाओं/प्रस्तावों के लिए आवश्यक राशि की जरुरत को पूरा करने के लिए।					
		3601.02.101.08.00.31-विशेष सहायता केन्द्र (सामान्य के लिए सहायता अनुदान)।	9571.0000	1200.0000	वित्त मंत्री के अंतरिम बजट भाषण 2014- 15 (पैरा-44) के तहत, प्रतिबद्ध खर्चों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सहायता के लिए।					
		3601.02.101.41.00.35-चैनई में विलवणीकरण संयंत्र के लिए (पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान)।	0.0000	172.8769	चैन्नई के पास 100एमएलडी कैपेसिटी सी वाटर रिवर्स आसमेसिस विलवणीकरण संयंत्र को बनाने के लिए चौथी/अंतिम किश्त के लिए प्रतिबद्ध निधियों को जारी करना।					
		3601.02.101.48.00.35-वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों के लिए (पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान)।	1000.0000	209.0000	मंत्रिमंडल से यथाअनुमोदित, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों को योजना आयोग की सिफारिशों की सीमा के अन्दर धनराशि जारी करने के लिए।					
		3601.02.101.12.00.35-विशेष सहायता योजना (पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए सहायता अनुदान)।	6341.0000	165.0000	उत्तराखण्ड राज्य को मौजूदा वर्ष के लिए निम्नानुसार बाढ़/आपदा के कारण दीर्घकालिक पुनिर्माण पैकेज की सीमा तक और इस माध्यम के भाग के रूप में सहायता प्रदान करना।					
		3601.01.104.09.00.31-सड़कों और पुलों के रख-रखाव (सामान्य के लिए सहायता अनुदान) के लिए सहायता अनुदान।	5175.0000	155.0000	ब.अ. 2013-14 से परे वित्त आयोग XIII की सिफारिशों के अनुसार राशियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए।					
		3601.01.104.13.00.35-राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए सहायता अनुदान (पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए सहायता अनुदान।	6723.7500	700.0000	ब.अ. 2013-14 से परे वित्त आयोग XIII की सिफारिशों के अनुसार राशियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए।					
		3601.01.104.14.00.31-राज्य प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के लिए सहायता अनुदान (क्षमता निर्माण सहित (सामान्य सहायता अनुदान)।	5520.1700	578.9200	आपदा के बाद कई राज्यों को निधियां जारी करने के लिए।					

1	2	3	4	5	6
•	Transfers & to State and Union Territory Governments	3601.02.101.41.00.35-ACA for Desalination Plant at Chennai (Grant-in-Aid for creation of Capital Assets)	0.0000	226.6871	For release of committed funds for third instalment for setting up of 100 MLD Capacity Sea Water Reverse Osmosis De-salination Plant at Nemmeli near Chennai.
		3601.02.101.27.00.31-National E-Govenance Action Plan (Grant-in-Aid for General)	157.5000	122.0650	As per Department of Information Technology (Deity), funds under ACA release for the year 2013-14 may be booked under Grant-in-Aid for General.
		3601.02.101.36.01.31-Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission, Sub-Mission on Urban Infrastructure and Governance (Grant-in-Aid for General)	150.0000	100.0000	To meet requirement of funds for approved projects/proposals beyond BE 2013-14.
		3601.02.101.08.00.31-Special Central Assistance (Grant-in- Aid for General)	9571.0000	1200.0000	To meet the committed expenses of Additional Assistance as per Finance Minister's Interim Budget Speech, 2014-15 (Para-44).
		3601.02.101.41.00.35-ACA for Desalination Plant at Chennai (Grant-in-Aid for creation of Capital Assets)	0.0000	172.8769	For the release of committed funds for fourth/final instalment for setting up of 100 MLD Capacity Sea Water Reverse Osmosis Desalination Plant at Nemmeli near Chennai.
		3601.02.101.48.00.35-ACA for LWE Affected Districts (Grant-in-Aid for creation of Capital Assets)	1000.0000	209.0000	To released funds to LWE Affected Districts as approved by Cabinet and to the extent recommended by Planning Commission.
		3601.02.101.12.00.35-Special Plan Assistance (Grant-in-Aid for creation of Capital Assets)	6341.0000	165.0000	To support the state of Uttarakhandas a part of a medium and to the extent long term reconstruction package for the current year following floods/calamity.
		3601.01.104.09.00.31-Grant-in- Aid for Maintainance of Roads & Bridges [Grant-in-Aid (General)]	5175.0000	155.0000	To meet requirement of funds as per recommendations of FCXIII beyond BE 2013-14.
		3601.01.104.13.00.35-Grant-in-Aid for State Specific Needs (Grant-in-Aid for Creation of Capital Assets)	6723.7500	700.0000	To meet requirement of funds as per recommendations of FCXIII beyond BE 2013-14.
		3601.01.104.14.00.31-Grant-in- Aid for State Disaster Response Fund {SDRF} (including for Capacity Building) [Grant-in- Aid (General)]	5520.1700	578.9200	To release funds to several states following calamity.

		(करोड़ र	रुपए)	
1 2	3	4	5	6
4. भारी उद्योग विभाग	2852.08.215.10.00.31 हिंदुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड (कचार पेपर मिल्स) को अनुदान	0.00	47.23	गेज कन्वर्जन, कच्ची सामग्री के परिवहन के साथ ही सीपीएम से तैयार माल लाने- ले जाने में परेशानी को कम करने की 90 प्रतिशत परिवहन लागत को पूरा करने हेतु अनुदान
	4860.05.190.02.00.54 एनईपीए लिमिटेड में निवेश	0.00	8.10	एनईपीए लिमिटेड में आरएमडीपी के आंशिक कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार की इक्विटी के व्यय को पूरा करने के लिए निवेश
	6858.60.190.09.00.55 हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड (एचसीएल) को ऋण	0.00	47.37	एचसीएल के कर्मचारियों के बकाया वेतन/ पारिश्रमिक, सांविधिक देयों के भुगतान के लिए व्यय में बढ़ोत्तरी करने के लिए ऋण और अग्रिम।
	6858.60.190.19.00.55 हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड (एचएमटी) को ऋण	0.00	67.51	एचएमटी के कर्मचारियों के बकाया वेतन/ पारिश्रमिक और सांविधिक देयों के भुगतान के लिए व्यय में बढ़ोत्तरी करने के लिए ऋण और अग्रिम।
	6858.60.190.24.00.55 त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड (टीएसएल) को ऋण	0.00	1.53	टीएसएल के कर्मचारियों के बकाया वेतन/ पारिश्रमिक, सांविधिक देयों के भुगतानके लिए व्यय में बढ़ोत्तरी करने के लिए ऋण और अग्रिम।
	6858.60.190.25.00.55 तुंगभद्रा स्टील उत्पाद लिमिटेड (टीएसपीएल) को ऋण	0.00	2.71	टीएसपीएल के कर्मचारियों के बकाया वेतन/ पारिश्रमिक, सांविधिक देयों के भुगतान और रिट याचिका 43802/2002 में कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन के लिए व्यय में बढ़ोत्तरी करने के लिए ऋण और अग्रिम।
	6860.05.190.01.00.55 एनईपीए लिमिटेड को ऋण	0.00	29.93	एनईपीए लिमिटेड के कर्मचारियों के बकाया वेतन/पारिश्रमिक और सांविधिक देयों के भुगतान के लिए व्यय में बढ़ोत्तरी करने के लिए ऋण और अग्रिम।
	6860.05.190.02.00.55 (एनपीपीसी) के लिए हिंदुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड को ऋण	0.00	3.71	एचपीसी लिमिटेड की सहायक एनपीसीसी लिमिटेड के कर्मचारियों के बकाया वेतन/ पारिश्रमिक और सांविधिक देयों के भुगतान के लिए व्यय में बढ़ोत्तरी करने के लिए ऋण और अग्रिम।
	6860.60.216.01.00.55 हिंदुस्तान फोटो फिल्मस लिमिटेड को ऋण	0.00	8.29	एचपीएफ लिमिटेड के कर्मचारियों के बकाया वेतन/पारिश्रमिक और सांविधिक देयों के भुगतान के लिए व्यय में बढ़ोत्तरी करने के लिए ऋण और अग्रिम।

# अनुदानों की पूरक मांगें 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

1 2	3	4	5	6
. Department of Heavy Industry	2852.08.215.10.00.31 Grants to Hindustan Paper Corporation Ltd. (Cachar paper Mills)	0.00	47.23	Grants to meet the 90% transportation cost of gauge conversion, mitigating the hardships in transporting the raw materials as well as finished goods to and from CPM.
	4860.05.190.02.00.54 Investment in NEPA Ltd.	0.00	8.10	Investment to meet expenditure towards Gol equity for part implementation of RMDP in NEPA Ltd.
	6858.60.190.09.00.55 Loans to Hindustan Cables Ltd. (HCL)	0.00	47.37	Loans & advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages and statutory dues to the employees of HCL.
	6858.60.190.19.00.55 Loans to Hindustan Machine Tools Ltd. (HMT)	0.00	67.51	Loans & advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages and statutory dues to the employees of HMT.
	6858.60.190.24.00.55 Loans to Triveni Structurals Ltd. (TSL)	0.00	1.53	Loans & advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages and statutory dues to the employees of TSL.
	6858.60.190.25.00.55 Loans to Thungbhadra Steel Products Ltd. (TSPL)	0.00	2.71	Loans & advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages statutory dues to the employees of TSPL and for the compliance of judgment of High Court of Karnataka in WP 43802/2002.
	6860.05.190.01.00.55 Loans to NEPA Ltd.	0.00	29.93	Loans & advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages and statutory dues to the employees of NEPA Ltd.
	6860.05.190.02.00.55 Loans to Hindustan Paper Corporation Ltd. for (NPPC)	0.00	3.71	Loans & advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages and statutory dues to the employees of NPPC Ltd. subsidiary of HPC Ltd.
	6860.60.216.01.00.55 Loans to Hindustan Photo Films Ltd.	0.00	8.29	Loans & advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages and statutory dues to the employees of HPF Ltd.

	<u>_</u>	<u> </u>					
		(करोड़ रुपए)					
	1 2	3	4	5	6		
5.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	2202-सामान्य शिक्षा (मुख्य शीर्ष) 02-माध्यमिक शिक्षा (उप-मुख्य शीर्ष) 110-गैर सरकारी माध्यमिक स्कूलों को सहायता (लघु शीर्ष) को सहायता 01-केन्द्रीय विद्यालय संगठन (उप-शीर्ष)	1850.82	154.29	विशिष्ट मामले के रूप में, केवीएस की वेतन संबंधी देनदारी को पूरा करने के लिए जिसे ब.अयोजना 2013-14 के तहत उपलब्ध बचत से पूरा किया गया था।		
		01.00.36-सहायता अनुदान वेतन					

# अनुदानों की पूरक मांगें 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

			\ 1	,	
1	2	3	4	5	6
5.	Ministry of Human	2202-General Education (Major	1850.82	154.29	For meeting the Salary liability of
	Resource Development	Head)			KVS which was from the Savings
	Department of School	02-Secondary Education			available under the BE-Plan 2013-
	<b>Education &amp; Literacy</b>	(Sub Major Head)			14 as an exceptional case.
		110-Assistance to Non-Govt.			
		Secondary Schools			
		(Minor Head)			
		01-Kendriya Vidyalay			
		Sangathan (Sub-Head)			
		01.00.36-Grants-in-aid Salaries			